सोमवार,
७ सितम्बर, १९५३

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

चौथा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

# संसदीय वाद विवाद

## (भाग १—प्रश्न और उत्तर)

## शासकीय वृत्तान्त



## लोकसभा

सोमवार, ७ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### अहमदाबाद स्टेशन का पुनर्निर्माण

*१०७१. **श्री दाभी:** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि अहमदाबाद स्टेशन के तुरन्त पुनर्निर्माण की आवश्यकता है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार पुनर्निर्माण का कार्य कब आरम्भ करेगी ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां):**

(क) तथा (ख) सरकार पहले ही अहमदाबाद स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री सुविधाएं देने के प्रश्न पर विचार कर चुकी है। इसके लिए १½ करोड़ रुपये से भी अधिक लागत पर स्टेशन का पूर्ण पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। मेरे विचार में यह काम कुछ समय के बाद शुरू किया जा सकेगा।

**श्री दाभी:** मैं जान सकता हूं कि कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ? मैं जान सकता हूं कि यह काम कब शुरू किया जायेगा ?

**श्री शाहनवाज खां:** हम ने कोई तिथि निश्चित नहीं की। कांडला पत्तन खुलने और इस के विकास के बाद हम स्थिति देख रहे हैं। हमें आशा है कि यातायात उस रास्ते से होने लगेगा। हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं।

**श्री एस० जी० पारिख:** वर्तमान स्टेशन कब बनाया गया था और इस का पुनर्निर्माण कब किया गया था।

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन):** हम तत्काल तिथि नहीं बतला सकते।

**श्री दाभी:** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि स्थाना भाव के कारण बहुत सी मीटर गेज गाड़ियों को यार्ड से बाहर खड़ा किया जायेगा और इस से यात्रियों को बहुत कष्ट होगा ?

**श्री शाहनवाज खां:** जी हां, हमें विदित है। हमारा विचार है कि मीटर गेज रेलवे स्टेशन और यार्डों को आसवा पर स्थानातंरित किया जाये।

### पाकिस्तान से चावल का आयात

*१०७२. **श्री दाभी:** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुछ समय पूर्व कुछ पाकिस्तानी चावल और भारतीय गेहूं के विनिमय

के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच बात चीत हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो यह बातचीत किस प्रकार की थी ?

(ग) इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एप० वी० कृष्णप्पा)** :

(क) जी हां, श्रीमान् । यह बातचीत पाकिस्तानी चावल और भारत द्वारा आयात किये गये गेहूं के बारे में थी ।

(ख) पहले प्रस्ताव यह था कि पाकिस्तानी चावल का विनिमय एक लाख टन आयात किये हये गेहूं से किया जाये ।

(ग) कुछ नहीं ।

**श्री दाभी** : मैं जान सकता हूं कि इस बातचीत के असफल होने का कारण क्या है ।

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : पाकिस्तान का विचार था कि हम ने जो शर्तें पेश की थीं वे हमारे पक्ष के लिये अत्यधिक हितकर हैं ।

**फोर्ड प्रतिष्ठान को भेंट**

***१०७३. श्री एस० सी० सामन्त : खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि फ़ोर्ड प्रतिष्ठान की भेंट से अब तक कितनी अग्रिम विकास परियोजनाएं, विस्तार शाखायें तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) फ़ोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा कितनी राशि दिये जाने का वचन दिया गया है और अबतक कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ग) विभिन्न योजनाओं में रुपया किस प्रकार बांटा जा रहा है ; तथा

(घ) प्रत्येक योजना को कितना रुपया मिला है और योजनावार कितना रुपया अबतक खर्च हुआ है ।

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** :

(क) (१) अग्रिम विकास परियोजनायें १५

(२) कृषि महाविद्यालयों की विस्तार शाखायें ३

(३) विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र ३४

(ख) (१) फ़ोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा दी जाने वाली राशि १,६८,०३,६६२ रु०

(२) अब तक प्राप्त हुई राशि ७३,९१,४४० रु०

(ग) तथा (घ) विभिन्न परियोजनाओं को कुछ माने हुए सूत्रों के आधार पर रुपया दिया जाता है : कुछ मामलों में फ़ोर्ड प्रतिष्ठान सारा खर्च उठाता है और कुछ में खर्चा फ़ोर्ड प्रतिष्ठान, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा मिल कर उठाया जाता है, इन मामलों में जिम्मेदारी धीरे धीरे कम होती जाती है और कुछ समय के बाद सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो जाती है । प्रत्येक योजना के खर्चे का हिसाब सम्बन्धित महालेखापाल द्वारा रखा जाता है, इसलिये इनके बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : मैं जान सकता हूं कि प्राप्त हुई राशि सम्बन्धित व्यक्तियों के पास कैसे जमा की गई है और हिसाब तथा पैसे कौन रखता है ?

**डा० पी० एस० देशमुख**: मुझे इसके लिये कि पैसा कैसे जमा होता है और कैसे दिया जाता है , पूर्व सूचना चाहिये ।

**श्री बी० के० दास** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में जो राशि बताई गई है क्या उसमें

वह राशि भी शामिल है जो पिछले फ़ोर्ड प्रतिष्ठान समझौते के अन्तर्गत तय की हुई थी ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** हमने जो एक विशिष्ट समझौता किया है उसके अन्तर्गत यह राशि दी गई है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस पिछले समझौते को निर्दिष्ट कर रहें हैं ।

**श्री बी० के० दास :** दो अलग अलग समझौते हुए थे । मूल राशि कितनी थी और बाद में जो राशि तय हुई थी वह कितनी थी ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या दो समझौते हैं ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

**सरदार ए० एस० सहगल :** क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि किन किन प्रान्तों में पाइलट डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट स्कीम चल रही है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** पन्द्रह विकास योजनाएं चालू की गई हैं : आसाम, पैप्सू, हैदराबाद, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश.....

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप सारा पढ़ कर न सुनायें ।

**डा० पी० एस० देशमुख :** मध्य प्रदेश उसमें शामिल है ।

**श्री हेडा :** माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में खर्चा संघ सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा मिलकर उठाया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि वे मामले कौन से हैं और दोनों सरकारों द्वारा खर्चा किस अनुपात में उठाया गया है ।

**डा० पी० एस० देशमुख :** प्रथम वर्ष का सारा खर्चा फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा उठाया जाता है । अगले वर्ष भारत सरकार राज्य तथा टी० सी० ए० खर्चा उठाते हैं । फिर तीन वर्ष बाद भारत सरकार और राज्य मिल कर खर्च में हिस्सा बटायेंगे । कुछ समय बाद सारे खर्चे की जिम्मेदारी केवल राज्यों पर होगी।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरा सुझाव है कि इस तरह के मामलों में जहां माननीय सदस्य कुछ ऐसी विस्तृत बातें जानना चाहते हैं जो सदन में समय के अभाव के कारण नहीं दी जा सकतीं, यदि सरकार को आपत्ति न हो तो उनकी एक प्रतिलिपि पुस्तकालय में रख दी जानी चाहिये ।

**डा० पी० एस० देशमुख :** इसे सदन पटल पर पहले से ही रख दिया गया है ।

**प्रो० डा० सी० शर्मा :** इन विकास परियोजनाओं तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रबन्ध किस प्रकार होता है--भारतीयों तथा विदेशियों द्वारा मिलकर या केवल भारतीयों द्वारा ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** इन सब मामलों में विदेशियों से कोई सम्बन्ध नहीं ; विशेषज्ञों के रूप में जहां जहां वे हैं केवल वहीं कार्य कर रहे हैं । इन सब मामलों पर भारत सरकार तथा राज्यों का ही शासनिक नियन्त्रण है ।

**श्री नानादास :** ये प्रशिक्षण केन्द्र तथा परियोजना विस्तार शाखायें किस आधार पर चुनी जाती हैं ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** राज्य सरकारों से बातचीत करके ।

**श्री नानादास :** क्या आंध्र में भी कोई प्रशिक्षणें केन्द्र चल रहा है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** आंध्र राज्य तो अभी बनना है ।

**श्री पुन्नूस :** इस योजना के अन्तर्गत कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

**श्री सिंहासन सिंह :** ये विदेशी विशेषज्ञ भारत में कब तक रखे जायेंगे ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** हर मामले में, विशिष्ट समझौता है और विशिष्ट शर्तें हैं। कुछ केवल छः महीने के लिये हैं कुछ एक वर्ष के लिये। मेरे विचार में, कोई विशेषज्ञ तीन वर्ष से अधिक के लिये नहीं है।

**जे० जे० समिति की रीपोर्ट**

*१०७४. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक व तार के संयुक्त कार्यालयों के खर्चे में टेलीग्राफ का हिस्सा निश्चित करने के सूत्र के बारे में जे० जे० समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

(ख) क्या उन सिफारिशों पर विचार किया गया है ?

(ग) यदि हां तो उन पर क्या फैसला किया गया ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जे० जे० समिति नें सिफारिश की है कि चूंकि हाल ही के वर्षों में मंहगाई भत्ते आदि के बढ़ाये जाने तथा वेतन-श्रेणियों में परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप डाक व तार के संयुक्त कार्यालयों का खर्चा बहुत बढ़ गया है, अतः संयुक्त कार्यालयों के खर्चे में टेलीग्राफ के हिस्से को निश्चित करने के वर्तमान सूत्र में, जो १९३७-३८ में बनाया गया था, समिति द्वारा बताई गई बातों के आधार पर संशोधन किया जाये।

(ख) सिफारिशों पर विचार हो रहा है और अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या इस समिति ने सरंक्षण निधि के, जिसमें अधिकाधिक वृद्धि की जा सके, नवीकरण के बारे में विचार किया है ?

**श्री राज बहादुर :** समिति ने इस प्रश्न पर तथा अन्य कई प्रश्नों पर विचार किया था। परन्तु यह प्रश्न संयुक्त कार्यालयों के खर्चे में टेलीग्राफ के हिस्से के बारे में की गई सिफारिशों से सम्बन्धित है।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या इस समिति ने डाक व तार की आय को अलग करने तथा डाक और तार के हिस्सों को निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया था ?

**श्री राज बहादुर :** मैं इस समय यह नहीं बता सकता।

**श्रम कल्याण**

*१०७५. **श्री एस० सी० सामन्त :** **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मज़दूरों को सामयिक प्रकार के काम दिये जाने के कारण या मिलों के बन्द हो जाने के कारण जो कठिनाइयां होती हैं उन्हें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इसके लिये कोई नई योजना लागू की जाने वाली है ;

(ग) योजना का नाम तथा वे स्थान जहां इसे लागू किया जा चुका है ; तथा

(घ) उन मज़दूरों की संख्या व प्रतिशतता जो सामयिक प्रकार का काम कर रहे हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) :** (क) सरकार खास खास उद्योगों में तथा क्षेत्रों में सामयिक श्रम को खत्म करने का उद्देश्य रखने वाली योजनाओं को प्रोत्साहन देती है। जहां तक पोत घाट मज़दूरों का सम्बन्ध है, पोतघाट श्रमिक (सेवा-युक्ति का विनियमन) अधिनियम में इस प्रकार की योजनाओं को आरम्भ करने की व्यवस्था है।

(ख) कलकत्ता, मद्रास तथा कोचीन में पोतघाट मज़दूरों के लिये सामयिक श्रम को खत्म करने वाली योजनायें आरम्भ करने के कार्य में कदम उठाये जा रहे हैं। विशाखापटनम् पत्तन के लिये भी योजना बनाने का काम अन्य पत्तनों की योजनाओं के बारे में अनुभव प्राप्त करने के पश्चात शुरू करने का विचार है। कपड़ा मिल मज़दूरों के बारे में सामयिक श्रम की प्रणाली समाप्त करने का जहां तक सम्बन्ध है, राज्य सरकारों ने जिनसे इस मामले में राय ली गई थी, यह उत्तर दिया है कि इस समय वर्तमान योजनाओं को बढ़ाने या नई योजनायें लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) योजना का नाम स्थान जहां पर लागू की गई

| | |
|---|---|
| (१) बम्बई पोतघाट श्रमिकों की सेवायुक्ति के विनियमन से संबंधित योजना | बम्बई |
| (२) कपड़ा मिल मज़दूरों के लिय सामयिक श्रम समाप्त करने की योजना | बम्बई, अहमदाबाद तथा शोलापुर |
| (३) सामयिक श्रम समाप्त करने की योजना (कपड़ा मिल मज़दूर, चमड़ा उद्योग के मज़दूर आदि) | कानपुर |
| (४) कपड़ा मिल मज़दूरों के लिये सामयिक श्रम समाप्त करने की योजना | व्यावर (अजमेर) |

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

**श्री एस० सी० सामन्त:** मैं जान सकता हूं कि बम्बई में पोत घाट श्रमिकों के बारे में सामयिक श्रम खत्म करने वाली योजना का काम किस प्रकार चल रहा है और क्या माननीय मंत्री के पास अब भी शिकायतें आ रही हैं ?

**श्री वी० वी० गिरि:** शिकायतें तो हमेशा आती हैं और हमेशा उन पर विचार होता है। बम्बई पत्तन में सामयिक श्रम खतम करने वाली योजना में अन्य बातों के साथ इन इन बातों की व्यवस्था है : पोत घाट मज़दूरों की सेवा युक्ति का विनियमन, उन की भरती और योजना में उन का शामिल किया जाना ; सेवा युक्ति की शर्तों को, यानी मज़दूरी की दर, काम के घंटे वेतन सहित छुट्टियां विनियमित करना उन पोत घाट मज़दूरों की जिन पर योजना लागू नहीं होती, सेवायुक्ति पर रोक लगाना या नियंत्रण रखना, उन पोत घाट मज़दूरों के लिये लाभ की व्यवस्था करना जो ऐसे समय के लिये, जब उन्हें कोई काम या पूरा पूरा काम नहीं मिले, न्यूनतम वेतन दिय जानें की योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं।

**श्री एस० सी० सामन्त:** कलकत्ते में यह योजना क्यों आरंभ नहीं की जा रही है ? वहां क्या कठिनाइयां हैं ?

**श्री वी० वी० गिरि:** वह अब लागू हो रही है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** मिलों के बंद हो जाने के कारण मज़दूरों को जो कठिनाइयां होती हैं उन्हें दूर करने के लिये क्या किया गया है ? प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

**श्री वी० वी० गिरि:** मिलों के बन्द हो जाने पर ?

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** जी हां, प्रश्न के भाग (क) के अन्तिम भाग में यह पूछा गया है।

**श्री वी० वी० गिरि:** यह सब इस पर निर्भर करता है, कि मिल किन परिस्थितियों में बन्द हुई है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या सरकार ने कोई सिद्धान्त घोषित किये हैं जिन के अन्तर्गत मिलें बन्द की जा सकती हैं ?

**श्री वी० वी० गिरि :** बिजली की कमी या अन्य कारणों से मिलों के बन्द हो जाने के बारे में श्रम सम्मेलन की स्थायी श्रम समिति की हाल ही की बैठक में कुछ बातें तय हुई हैं ।

**श्री पुन्नूस:** माननीय मंत्री ने कहा कि कोचीन में सामयिक श्रम समाप्त करनें वाली योजना आरंभ करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। मैं जान सकता हूं कि उन सामयिक मज़दूरों की संख्या क्या है जो उस समय बेकार हैं और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही .....

**श्री वी० वी० गिरि:** मेरे पास इस समय यह सूचना नहीं है ।

**श्री मुनिस्वामी:** वर्ष १९५२-५३ में कितनी मिलें बन्द हुई हैं और कितने मज़दूर प्रभावित हुए हैं ?

**श्री वी० वी० गिरि:** यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न की सूचना दें तो शायद मैं सूचना अकठ्ठी कर सकूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय:** उन के पास सूचना नहीं है ।

**श्री दामोदर मेनन:** क्या मद्रास सरकार की सामयिक श्रम समाप्त करने की कोई योजना है ?

**श्री वी० वी० गिरि:** जी हां, वह लागू हो गई है । अभी हाल ही में एक पोतघाट पर्षद बनाया गया है ।

**श्री नानादास:** क्या सामयिक श्रमिकों को छुट्टी संबंधी सुविधायें तथा दुर्घटनाओं के लिये क्षतिपूर्ति दी जाती है ? यदि हां तो छुट्टी का और क्षतिपूर्ति का हिसाब किस प्रकार लगाया जाता है ?

**श्री वी० वी० गिरि:** मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

**श्री पुन्नूस:** क्या सरकार को पता है कि सीता राम मिल में बहुत से मज़दूरों को इस कारण निकाल दिया गया है कि वे सामयिक मज़दूर हैं जिस के फलस्वरूप वहां कड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है ?

**श्री वी० वी० गिरि:** मैं इस विषय में और अधिक सूचना चाहूंगा ।

**दरभंगा के लिये तार घर**

*१०७६. **श्री एल० एन० मिश्र:** क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बिहार सरकार ने दरभंगा जिले में कुछ नये तार घर खोलने के लिये भारत सरकार से अभ्यावेदन किया था ?

(ख) यदि हां तो किन किन स्थानों पर ?

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) तथा (ख) पटना के मुख्य पोस्ट मास्टर द्वारा लुकाहा तथा लुकही में तार घर खोलने की मांग बिहार सरकार द्वारा हमें मिली है ।

(ग) पटना के मुख्य पोस्ट मास्टर ने इन दो नये तार घरों के खोलने के बारे में प्रत्याभूति की शर्तें राज्य सरकार को दे दी हैं । उन शर्तों की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा है ।

**श्री एल० एन० मिश्र:** कब तक ये नये तार घर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे ?

**श्री राज बहादुर:** जैसे सरकार द्वारा प्रत्याभूती की शर्तें स्वीकार की जाती हैं और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित अधिकारी को इस की सूचना दी जाती है, वैसे ही कार्य प्रारंभ होजायेगा ।

**रेलवे कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति**

*१०७७. **श्री गिडवानी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रेलवे प्रशासन कर्मचारियों से एक ऐसे समझोते पर हस्ताक्षर कराने के लिये कह रहा है जिसका एक खंड प्रशासन को सम्पूर्ण रूप से ऐसा अधिकार देता है कि प्रशासन कर्मचारियों की सेवाओं को बिना किसी कारण के बताए हुए केवल एक महीने की पूर्व सूचना दे कर समाप्त कर सकेगा ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि यह खंड संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) का उल्लघंन करता है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) समझौते के अनुसार दोनों ही दल निर्दिष्ट सूचना दे कर सेवा समाप्त कर सकते हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री गिडवानी:** क्या अशिक्षित कर्मचारियों के हस्ताक्षर लेने से पूर्व उन को यह खंड भली प्रकार से समझा दिया जाता है, इस सम्बन्ध में सरकार क्या पूर्ण-पूर्ण सावधानी बरत रही है ?

**श्री अलगेशन:** इस खंड का सम्बन्ध चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से नहीं है अपितु दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों से है ।

**उपाध्यक्ष महोदय:** बहुत ठीक ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी:** प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या इस खंड के अनुसार बिना कोई कारण दिये हुए सेवा से अलग करना क्या संविधान के अनुच्छेद ३११ का उल्लंघन नहीं है ?

**श्री अलगेशन:** यह तो उत्तर में ही निहित था कि यह समझौता दोनों दलों को पूर्ण सूचना देने की सुविधा देता है, संविधान के उपयुक्त अनुच्छेद से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है । यही इस का उत्तर है ।

**श्री जी० पी० सिन्हा:** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एक समझौता भी संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन कर सकता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय:** हम माननीय मंत्री को विधि मंत्री बनाने के लिये नहीं कह रहे हैं ।

**श्री गिडवानी:** मेरा निर्देश तो यह था कि इन में से बहुत से कर्मचारी अशिक्षित हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय:** उन्हों ने कहा है कि यह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ लागू नहीं होता ।

**श्री अमजद अली:** क्या मैं जान सकता हूं कि यह समझौता नये कर्मचारियों के लिये है अथवा पुरानों के लिये और यह विशेष उद्देश्य क्या था जिस के लिए यह उपबन्ध किया गया है ?

**श्री अलगेशन:** यह सभी नये तथा पुराने कर्मचारियों के लिए लागू है, और जब कि रेलों की नौकरी में पेंशन नहीं होती तो यह खंड समझौते में बहुत दिनों से है और यह बराबर कार्यन्वित है ।

**श्री मुनिस्वामी:** यह समझौता कब से लागू है ?

**श्री अलगेशन:** बहुत वर्षों से यह समझौता लागू है ।

**उपाध्यक्ष महोदय:** १९४७ के पहिले से ।

**श्री अलगेशन** : निश्चय ही ।

**श्री फ्रंक एन्थनी** : क्या यह सत्य नहीं है कि भूतपूर्व रेल मंत्री श्री गोपाला स्वामी आयंगर ने मेरी इस विषय की आलोचना का उत्तर देते हुए---मेरा विचार है कि यह नियम संख्या १७८ है---यह स्वीकार किया था कि बिना कारण बताये सेवा से अलग करने का नियम बहुत बुरा है और उन्हों ने यह अश्वासन दिया था कि इसे अलग कर दिया जायेगा । भूतपूर्व रेल मंत्री के इस अश्वासन के प्रति क्या किया गया है ?

**श्री अलगेशन** : भूतपूर्व रेल मंत्री श्री आयंगर द्वारा दिये गये अश्वासन के बारे में मैं एक दम अभी उत्तर देने में असमर्थ हूं । किन्तु समझौते के इस खंड को कार्यान्वित करने का जहां तक सम्बन्ध है मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं, कि साधारण रुप से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, और समझौते के इस खंड के अन्तर्गत बहतों को अलग नहीं किया गया है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न : श्री सहगल ।

**सरदार ए० एस० सहगल** : क्या यह तथ्य है कि पूर्वी रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने इस नियम के अन्तर्गत सेवा से अलग किये जाने के फलस्वरूप अभ्यावेदन किये थे ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** क्या यही अगला प्रश्न है ?

**श्री अलगेशन** : मुझे पता नहीं . . . .

### टलीफून तथा तार घर

*१०७९. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) उपमंडलीय मुख्यालय में सार्वजनिक टेलीफून कार्यालय खोलने तथा (२) बिहार में थाना मुख्यालय में तार घर खोलने की योजना को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (१) अप्रैल १९५३ से बिहार में दो उप-मंडलीय मुख्यालय में सार्वजनिक टेलीफून कार्यालय खोल दिये गये हैं। अन्य नौ कार्यालय खोलनेका प्रश्न विचाराधीन है ।

(२) अप्रैल १९५३ से दो थाना स्टेशनों में तार घर खोल दिये गये हैं और दूसरे मामलों की जांच हो रही है ।

**श्री झूलन सिन्हा** : क्या मैं जान सकता हूं कि वे दो कौन कौन से स्थान हैं जहां टेली-फून कार्यालय खोले गये हैं और वे दो कौन कौन से स्थान हैं जहां पर कि तरघर खोले गये हैं ?

**श्रीराज बहादुर** : टेलीफून कार्यालय नयी टेलीफून लिंक सह सराम में नये तार घर मुघेर जिले के एक तो पतारापुर में तथा दूसरा खड़ग पुर में ।

**श्री झूलन सिन्हा** : क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरे उप मंडलों में जहां कि कार्या-लय इस वर्ष खोले जायेंगे वहां आज कल क्या हो रहा है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : दूसरे उप मंडल ।

**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैं ने कहा है कि ९ मामलों की जांच हो रही है और वहां शीघ्रातिशीघ्र ये कार्यालय खुलें इस बात को देखने के लिये उचित पग उठाये जायेंगे ?

**श्री झूलन सिन्हा** : वे ९ स्थान कौन कौन से हैं ?

**श्री राज बहादुर** : मैं उन के नाम देने में असमर्थ हूं ।

**श्री एन० एल० जोशी** : क्या ऐसी योजना सब राज्यों में लांगू की जा रही है ?

**श्री राज बहादुर** : जी हां ।

**श्री एल० एन० मिश्र** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि सहसराम में सार्वजनिक

टेलीफून कार्यालय खोले गये हैं। क्या सरकार को इस का पता है कि वर्तमान कार्यालय सुचारुरूप से काम नहीं कर रहा है और ट्रंक काल के समय आवाज़ अच्छी तरह सुनाई नहीं पड़ती है ?

**श्री राज बहादुर** : इस प्रकार की कोई शिकायत मुझे नहीं भेजी गई है। और न इस प्रकार की कोई सूचना विभाग को दी गई है। किन्तु फिर भी उचित शिकायत के मिलने तथा न मिलने पर भी मैं इस का ध्यान रखूंगा।

**प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रत्येक उप मंडलीय मुख्यालय में सार्वजनिक टेलीफून कार्यालय खोलने और समस्त देश में प्रत्येक थाना मुख्यालय में तार घर खोलने की नीति सरकार की है अथवा यह नीति केवल उसी राज्य के लिए है जिसका कि प्रश्न चल रहा है ? यदि यह ठीक है तो इसे कार्यान्वित करने के लिए समस्त भारत में क्या क्या किया गया है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न को समस्त भारत के लिये फैला रहे हैं। नीति के सम्बन्ध में भी प्रश्न हो सकता है।

माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि तारघर तथा टेलीफून कार्यालय खोलने का कार्य एक उप मंडल के विशेष मुख्यालयों में अथवा थानों में, केवल बिहार राज्य तक ही सीमित है अथवा अन्य दूसरे राज्यों में भी किया जायगा ?

**श्री राज बहादुर** : आय व्ययक वाद-विवाद के समय सदन में यह घोषणा की गई थी यह नीति समस्त देश के लिए है। यह हमारा उद्देश्य है मैं समझता हूं कि उचित समय पर हम इसे पूरा कर सकेंगे यह उचित समय दो वर्ष हो सकता है अथवा तीन वर्ष।

**श्री ए० एम० टामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसे कि डाक घर तथा तार-घर खोलने के लिये जन संख्या का निम्नांक रख दिया है क्या उसी प्रकार सार्वजनिक टेलीफून कार्यालय खोलने के लिए भी जन संख्या का कोई निम्नांक रखा गया है ?

**श्री राज बहादुर** : सार्वजनिक टेलीफून कार्यालय के लिए मैं समझता हूं कि २० हज़ार जन संख्या निश्चित की गई है।

**प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या सरकार ने दो टेलीफून कार्यालय बिहार के एक ज़िले पालामऊ में खोले हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : भला किस प्रकार माननीय मंत्री इन विस्तृत बातों को याद रख सकते हैं ? यहां तक कि माननीय सदस्य भी इसे याद नहीं रख सकते, तो क्या वह मंत्री हो जाय।

**श्री सारंगधर दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि वह निश्चित तिथि कौन सी है जब कि यह योजना समस्त देश में पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो सकेगी ?

**श्री राज बहादुर** : अभी तक हम ने कोई निश्चित तिथि नहीं रखी है। यह कार्य वास्तव में वित्त तथा वस्तुओं की प्राप्ति पर निर्भर करता है जिन में से बहुत कुछ तो विदेशों से आयेंगे तथा शेष यहीं बन सकेगा।

### जामनगर में केन्द्रीय अनुसंधान संस्था

*१०८०. **श्री झूलन सिन्हा** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी की क्या औषधि की देशी प्रणालियों में अनुसंधान के लिये जाम नगर में प्रस्तावित केन्द्रीय संस्था ने कार्य शुरू कर दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो यदि उस के कोई सफल कार्य हुए हैं तो वे क्या हैं ?

**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर):** (क) हां। २४ अगस्त १९५३ से।

(ख) अभी उस की सफलताओं का अनुमान लगाना समय से बहुत पूर्व है।

**श्रीमती ए० काले :** मैं पूछ सकती हूं कि रोग निवृत्ति के लिए जो सूर्य-सेवन गृह बनाया गया है, उसका क्या बन रहा है अर्थात क्या वहां पर किए गए प्रयोग सफल सिद्ध हुए हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस सूर्य-सेवन गृह का क्या प्रयोजन है ?

**श्रीमती ए० काले :** सूर्य की किरणों के रोग-चिकित्सा करने के हेतु जामनगर में सूर्य-सेवन गृह बनाया गया है।

**श्रीमती चन्द्रशेखर:** माननीया सदस्या द्वारा जिस संस्था का निर्देश किया जा रहा है, वह वही नहीं है जिसका निर्देश मैं कर रही हूं। जामनगर की संस्था एक अस्पताल में स्थापित की गई है जो पहले से वहां मौजूद था।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका सम्बन्ध स्वदेशी औषधि से है। उक्त-सूर्य-सेवन गृह तो नई खोज जान पड़ती है।

**श्री बी० के० दास :** मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसन्धान सम्बन्धी कोई कार्यक्रम बनाया गया है तथा यदि ऐसा है तो क्या मैं उस कार्यक्रम के बारे में कुछ जान सकता हूं ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** वैज्ञानिक मंत्रणा समिति ने, जिसपर अनुसन्धान कार्यक्रम बनाने का उत्तरदायित्व है, दौर्बल्य तथा तत्सम्बन्धी रोगों के अनुसन्धान का एक कार्यक्रम बनाया है। आयुर्वेद संचालक, सौराष्ट्र से मिलकर 'गिनी' कीट के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान किया जा रहा है। एक संचालक चिकित्सा सम्बन्धी तथ्यों आदि के एकत्र करने और परिणामों को प्रस्तुत करने के अभिप्राय से आवश्यक प्रपत्र तैयार करने में लगे हैं। वह समय को भी निश्चित करेंगे। औषधि में भी अनुसन्धान किए जा रहे हैं। उसी संस्था में एक वाह्य रोगी विभाग खोलने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

**श्री बी० के दास :** अभी तक कितने अनुसन्धान-कार्य कर्ताओं की नियुक्ति की गई है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** अभी इसे अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** कितने कर्मचारी ऐसे एलोपैथिक डाक्टर हैं जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे आयुर्वेदिक प्रणाली की आवश्यक्ताओं के प्रति कुछ सहानुभति दिखा सकें ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** टैक्नीक्ल कर्मचारियों के बारे में निर्णय करने के लिए हाल ही में एक समिति की बैठक की गई है। सूचना को प्राप्त करके बाद में प्रकाशित किया जायगा।

**श्री दाभी :** इस संस्था का कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय कितना है तथा इसे कहां से पूरा किया जाता है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर:** संस्था ने केवल २४ अगस्त से काम करना आरम्भ किया है। इसके लिए वर्ष १९५३-५४ के लिए ४ लाख रुपये अलग रखे गए हैं। उसमें से लगभग ६७,५०० रुपये संस्था को दिए जा चुके हैं।

**श्री जांगड़े :** भारत में कितने आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्रों को भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है तथा मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार भारत में अन्यत्र कहीं आयुर्वेदिक केन्द्र के खोलने का विचार कर रही है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** मुझे तो केवल इसी संस्था के बारे में मालूम है जिसे केन्द्रीय

सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

**श्री मुनिस्वामी** : मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसन्धान के प्रयोजनों से सिद्ध प्रणाली को स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों में शामिल किया गया है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मैं समझती हूं कि यदि किसी व्यक्ति को सिद्ध प्रणाली में अनुसन्धानकरने की रुचि हुई तो इसे भी शामिल कर लिया जायगा।

**श्री अच्युतन** : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों को उगाने के लिए इस संस्था से जड़ी बूटियों का कोई बागीचा भी संलग्न किया गया है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

**रांची में पागलपन का अस्पताल**

*१०८१. **श्री झूलन सिन्हा** : स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रांची के अन्तर राज्य पागलपन के अस्पताल को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की प्रस्थापना की इस समय क्या स्थिति है ?

**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: अंशदाता राज्यों ने, जिन से इस मामले में परामर्श लिया गया था, कहा है कि रांची के मानसिक रोगों के अस्पताल के केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्धित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके भावी प्रशासन के प्रश्न की जांच हो रही है तथा इस में वित्तीय और प्रशासन सम्बन्धी परिणामों को विचाराधीन रखा जा रहा है।

**श्री झूलन सिन्हा** : इस मामले की कितने समय से छान बीन हो रही है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर** : केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को अनुमोदन के लिए लिखा था। हाल ही में कुछ सप्ताह पहले, हमें पश्चिमी सरकार से एक उत्तर मिला था कि वे केन्द्रीय सरकार की इस अस्पताल को स्वयं चलाने की प्रस्थापना को स्वीकार करने के लिए तय्यार हैं।

**श्री झूलन सिन्हा** : क्या सरकार को विदित है कि अस्पताल का प्रबंध विभिन्न सरकारों जैसे बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन होने से वहां पर एक प्रकार की उपेक्षा तथा अक्षमता से काम चल रहा है जिस कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में तुरन्त ले लेने की नितान्त आवश्यकता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न में यह बात आ जाती है। विभिन्न राज्यों से इस बारे में पूछ ताछ की जा चुकी है।

**श्री एन० सी० सामन्त** : क्या मैं विभिन्न अंशदाता सरकारों के नाम जान सकता हूं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार इस अस्पताल को अपने हाथ में लेगी तो उसे सारे कार्यालय सौंप दिए जायेंगे अथवा उन्हें कोई व्यय करना होगा ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर** : पागलपन के अस्पताल को अपने हाथ में लेने का अभिप्राय यह है कि इसे मानसिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान तथा शैक्षणिक संस्था का रूप दिया जाय। इस अस्पताल के बनाए रखने में पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार उड़ीसा, मध्य प्रदेश आसाम तथा दिल्ली राज्यों का भाग था जहां से इस अस्पताल में रोगियों को भेजा जाता रहा है।

**चीनी का आयात**

*१०८२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ से भारत में चीनी की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया है ;

(ख) किस देश अथवा किन देशों से इसका आयात किया गया है ; तथा

(ग) किस मूल्य पर इसका आयात किया गया है ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख):** (क) जावा से ६,३०० टन। १,३०,००० टन अधिक चीनी की खरीद भी पूर्णत: कर ली गई है ।

(ख) तथा (ग) । अपेक्षित जानकारी सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३६]**

**श्री नानादास :** मैं जान सकता हूं कि क्या इस चीनी को सरकारी खाते पर खरीदा गया है या निजी परमिट वालों द्वारा ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** इसका आयात सरकारी लेखे पर किया गया है, परन्तु जिन अभिकरणों के माध्यम से इसे खरीदा गया है, उनके नाम विवरण में दिए गए हैं ।

**श्री झुनझुनवाला :** चीनी के आयात करने का तात्कालिक अभिप्राय चीनी के मूल्यों का कम करना बतलाया जाता है । क्या यह तथ्य है कि मूल्य केवल दिल्ली में ही कुछ कम हुए हैं जब कि भारत के अन्य भागों में मूल्य यथापूर्व बहुत अधिक हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):** मूल्य वान्छनीय सीमा से कुछ अधिक थे तथा इस कारण इस चीनी का आयात किया गया है ताकि चीनी का विक्रय हमारी नियन्त्रित चीनी के मूल्यों पर किया जा सके और इस प्रकार से बाज़ार में मूल्यों का नियन्त्रण हो सके ।

**श्री टी० के० चौधरी :** आयात की चीनी को जमा रखने के क्या प्रबन्ध हैं तथा इसके लादने उतारने और विक्रय के लए मुक्त करने के प्रबन्ध भी क्या हैं जिसे फुटकर खरीददारों को उचित मूल्यों पर चीनी मिल सके ?

**श्री किदवई :** जहां तक बंगाल का सम्बन्ध हैं .....

**श्री टी० के० चौधरी :** मैं केवल बंगाल के बारे में ही नहीं पूछ रहा हूं .....

**श्री किदवई :** जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है, वित्तरण के लिए एक अभिकरण की स्थापना की गई है जो इस चीनी का विक्रय आदि करेगी तथा इसने चीनी को सारे राज्य में एक ही दामों पर अर्थात १२ १/२ आने प्रति सेर से बेचने का काम अपने ज़िमे लिया है । इस प्रकार से मूल्य स्थिर रह सकेंगे। जहां तक दूसरे पत्तन नगरों का सम्बन्ध है, बम्बई में भी एक संस्था की स्थापना की जा रही है, परन्तु स्थिति अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाई है । दूसरे स्थानों में इसे निजी व्यापार को वर्णित थोक मूल्यों पर ।

**श्री रघुरामय्या :** मैं जान सकता हूं कि क्या इस देश में चीनी का उत्पादन देश का आन्तरिक खपत के लिए काफ़ी नहीं है, क्या इस आयात का अभिप्राय केवल मूल्यों का कम करना ही है तथा क्या सरकार को संतोष है कि इस प्रकार से इसे सर्वोत्तम ढंग से दिया जा सकेगा ?

**श्री किदवई :** हम कई बार बहस कर चुके हैं तथा प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं ।

**सरदार लाल सिंह :** इन बातों पर विचार करते हुए कि देश में अत्यन्त बेकारी है; देश में चीनी की अपेक्षित मात्रा के उत्पादन का सामर्थ्य उपलब्ध है तथा कि दो लाख टन चीनी के उत्पादन से लाखों व्यक्तियों को काम मिल सकेगा, क्या विदेशों से चीनी का आयात सचमुच देश के हित में है ?

**श्री किदवई :** मैं समझता हूं कि माननीय सरदार साहिब को चीनी के उद्योग के बारे में और किसी सदस्य से अधिक पता है ।

मेरा विचार है कि चीनी मिलों के बन्द हो जाने के बारे में उन्हें विदित है। इस कारण अधिक चीनी के आयात से अब और कोई फैक्टरी बन्द नहीं होगी। आयात मूल्यों के नियन्त्रण के लिए की गई है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोगता को उचित दामों पर चीनी मिल सके।

**श्री गाडगिल** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को ऐसा कोई त्रुटिरहित सूत्र मिल गया है जिससे वह उपभोक्ता गन्ना उत्पादक तथा चीनी निर्माता के हितों का समायोजन कर सकेंगे ?

**श्री किदवई** : त्रुटिरहित सूत्र यह है कि बाज़ार में खपत से अधिक चीनी लाई जाय। इस से मूल्य कम रहेंगे।

**श्री बंसल** : श्रीमान मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री को यह सूचना कहां से मिली कि सरदार लाल सिंह को चीनी के बारे में और सदस्यों से अधिक जानकारी प्राप्त है ?

**श्री किदवई** : मैंने उनके दावे को स्वीकार कर लिया है तथा मैंने मामले की अधिक विस्तार से जांच नहीं की है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जिरह नहीं चलनी चाहिये।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमान मैं जान सकती हूं कि क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बंगाल सिंडीकेट के बारे में मूल्यों को दो पैसे कम करके भी २–१२–० रु० प्रति मन का लाभ रहता है। क्या ऐसा किया गया है तथा यदि नहीं तो इसका कारण क्या है ?

**श्री किदवई** : शायद मैं ने माननीय सदस्य को ठीक नहीं समझा है। परन्तु चीनी के मूल्य सर्वत्र एक ही रहेंगे। अतएव हो सकता है कि कलकत्ता में लाभ कुछ अधिक हो। परन्तु कूच-बिहार तथा अन्य स्थानों में चीनी के परिवहन सम्बन्धी व्यय को विचार में रखना पड़ेगा। तब कलकत्ता, कूच बिहार, दार्जिलिंग तथा अन्य दूरवर्ती स्थानों में चीनी के दाम एक जैसे रहेंगे।

**कई माननीय सदस्य** उठे—

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को पता होना चाहिये कि जब कई एक सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं तो मुझे सारी स्थिति का पता लग जाता है। उनके बैठ जाने पर मैं उन माननीय सदस्यों को बुलाता हूं जिन्हें प्रश्न करने होते हैं। परन्तु एक माननीय सदस्य के बैठ जाने पर जब कि मुझे उसे उठने के लिए कहना पड़ता है, मैं उनको खड़े होने के लिये प्रेरित नहीं कर सकता। श्री वी० बी० गांधी।

**श्री वी० वी० गांधी** : क्या ....

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न बनाने से पहले माननीय सदस्यगण क्यों खड़े होते हैं ?

**श्री वी० वी० गांधी** : सरकार ने अब इतनी मात्रा में चीनी आयात कर ली है और यदि अब भी नियंत्रण रहे होते तो क्या सरकार यह समझती है कि उसका काम बिना चीनी के आयात के चल सकता था ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो काल्पनिक उत्तर पाने के लिये काल्पनिक प्रश्न पूछना है।

**डा० पी० एस० देशमुख** : हमें नियंत्रणों का कटु अनुभव रहा है।

**श्री टी० के चौधरी** : माननीय मंत्री ने अभी बंगाल और बम्बई में भी वितरण अभिकरणों के बनाये जाने की ओर निर्देश किया था। ये अभिकरण गैर सरकारी हैं अथवा सरकारी और ये किन के द्वारा प्रशासित हैं ?

**श्री किदवई** : वे गैर सरकारी अभिकरण हैं। मुझे मालूम हुआ है कि एक विशेष वितरण कम्पनी—एक लिमिटेड कम्पनी—बनाई गई है जिस ने सारे बंगाल में दूर दूर

के गांवों और बड़े नगरों में इस चीनी को एक ही भाव पर बेचने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। मैं समझता हूं कि किसी अन्य प्रबन्ध की अपेक्षा इस से उपभोक्ता की सेवा अच्छी होगी।

**श्री विभूति मिश्र** : अभी मंत्री जी ने कहा कि साढ़े बारह आने सेर चीनी बाज़ारों में मिलती है। इस तरह से ३१ रु० ४ आ० मन चीनी का दाम हुआ। लेकिन अब उपजाने वालों को २७ रु० मन चीनी की कीमत के अनुसार गन्ने का दाम दिया। तो क्या मंत्री जी की इस नीति से केन उपजाने वालों को सवा चार रु० मन के हिसाब से जो गन्ने की (प्रोपोर्शनल) कीमत मिलती है उसमें घाटा नहीं पड़ा है ?

**श्री किदवई** : यह कीमत इसी हिसाब से लगाई गई है कि मिलों में २७ रुपये पर शकर बिकेगी तो वहां जा कर गवर्नमेंट के टैक्स, रेल का भाड़ा और मोटर का भाड़ा, सब मिला कर कलकत्ते में ३२ रुपये पर बिकेगी बम्बई में ३० रुपये पर बिकेगी और मद्रास में ३० रुपये पर बिकेगी। उसी पर २७ रुपये का हिसाब लगाया गया है।

**श्री ए० एम० दास टामन** : माननीय मंत्री द्वारा यह बात अक्सर स्वीकार की गई है कि भारत में उपभोक्ता जो मूल्य देत हैं वह बहुत अधिक है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह संसार में सब से अधिक मूल्य नहीं है ?

**श्री किदवई** : मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान और लंका जैसे हमारे पड़ोसी देशों में मूल्य क्या है ; लेकिन वह हमारे यहां के मूल्य से बहुत अधिक है। हमारा मूल्य इस देश में चीनी की उत्पादन लागत पर आधारित है।

**श्री झुनझुनवाला** : माननीय मंत्री के उत्तर से ज्ञात होता है कि चीनी बन्दरगाह वाले नगरों में वितरित की जाती है और कुछ अभिकरण बनाये गये हैं। क्या केवल बन्दरगाह वाले नगरों में ही सस्ती दरों पर चीनी देने की सरकार की नीति है, और क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जो वितरण अभिकरण बनाये गये थे वे उसे उचित मूल्य पर बेच रहे हैं अथवा बहुत ऊंची दरों पर बेच रहे हैं ?

**श्री किदवई** : वितरण का प्रबन्ध एक निश्चित मूल्य पर किया गया है। हमें अभी यह देखना है कि उस निश्चित मूल्य पर चला जायेगा अथवा उसका दुरुपयोग किया जायगा। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, यदि मैं यह देखता हूं कि मेरठ में मूल्य ३० रुपये तक चढ़ गये हैं तो मैं मेरठ में चीनी भेजूंगा और वहां पर २७ रुपये ४ आने के भाव से बेचूंगा।

**श्री सिंहासन सिंह** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि प्रति मन एक रुपया चीनी उपकर लगाते समय उन्हों ने यह घोषणा की थी कि चीनी दस आना सेर बिकेगी, लेकिन अब वह लगभग १३ आना सेर के भाव से बिक रही है? क्या उन्हों न अपने इस सदन में दिये गये वक्तव्य के अनुसार चीनी के बिकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

**श्री किदवई** : मुझे पता नहीं किसने वह आश्चर्यजनक वक्तव्य दिया था।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं क्या जो लिमिटेड कम्पनी बनाई गई है उसमें अधिकांश हिस्से बंगाल चीनी व्यापारी संघ और बंगाल चीनी सिंडीकेट के पास हैं और उन दोनों का अभिलेख बहुत काला रहा है ?

**श्री किदवई** : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मण्डल (बोर्ड) कौन बनाता है। हमारे पास उस फर्म की सिफारिश बंगाल सरकार द्वारा की गई है। वास्तव में यह बंगाल सरकार का काम है कि वह उसको स्वयं वितरित करे या वितरण का काम किसी और को सौंप दे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे उन संस्थाओं के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। संभवतः माननीय सदस्य को उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त है। किन्तु यथासंभव, सदन में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जिन्हें यहां पर अपने बचाव में कुछ भी कहने का अवसर नहीं प्राप्त है, 'काला अभिलेख' आदि जैसे प्रासंगिक निर्देश टाले जा सकते हैं।

**श्री सारंगधर दास :** जब महिला सदस्य ने, 'काले अभिलेख' के बारे में कहा तो वह चीनी सिंडीकेट के संबंध में था। उनकी जानकारी के अनुसार चीनी सिंडीकट इस नव निर्मित लिमिटेड कम्पनी से संबंधित है। यदि यह उस से संबंधित नहीं है तो मंत्री महोदय कह सकत हैं कि वह उस से संबंधित नहीं है।

**श्री टी० के० चौधरी :** मैं इस सम्बन्ध में गंगानाथ समिति के निर्णयों की ओर भी निर्देश कर दूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

### खाद्यान्नों का आयात

*१०८३. **श्री राधा रमण :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५३-५४ में भारत में खाद्यान्नों के आयात में कोई कटौती की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो ऐसी कटौती की मात्रा क्या है और वह किन मदों में की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :** (क) हां, श्रीमान।

(ख) खाद्यान्नों का आयात पत्री वर्ष के आधार पर किया जाता है। वर्ष १९५३ की आवश्यकताओं में खाद्यान्नों के आयातों में कटौती लगभग २ लाख टन गेहूं में, ५ लाख टन चावल में और एक लाख टन मिलो में होने की सम्भावना है। कुल कटौती लगभग ८ लाख टन हो जायगी।

**श्री राधा रमण:** श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह कटौती इस कारण की गई है क्योंकि पर्याप्त स्टाक पास में है या क्योंकि भूमि को पुनः कृषि के योग्य बनाने से अथवा कृषि के सुधरे हुए तरीकों के फल-स्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की आशा की जाती है ? क्या मंत्री महोदय का भारत के और नगरों में राशनिंग चालू करने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** स्पष्ट है कि आयातों में जो कमी की गई हैं वह इस देश में अधिक उत्पादन और नियंत्रणों में ढ़ील के कारण है जिनके कारण बाज़ार में जितना खाद्यान्न पहले उपलब्ध था उससे अधिक आ गया।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास चावल के स्टाक की अच्छी स्थिति है, श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या चावल की मात्रा और बढ़ाई जायेगी ?

**श्री किदवई :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या को यह ज्ञात है कि बंगाल में (कलकत्ता के बाहर) चावल की खरीद पर कोई रोक नहीं है और लोगों को कदाचित् अपनी आवश्यकता से अधिक चावल मिल रहा है लेकिन जिन क्षेत्रों में नियंत्रण लागू है उनमें अधिक चावल प्राप्त होगा।

**श्री शिवनंजप्पा :** श्रीमान्, क्या मैं गत दो वर्षों में आयातित खाद्यान्नों की मात्रा तथा उसका मूल्य जान सकता हूं ?

**श्री किदवई :** मैं समझता हूं कि इस में कुछ दिन पूर्व दिये गये एक उत्तर की ओर निर्देश है, लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं आंकड़े देता हूं। १९५१ में हमने ४८ लाख टन आयात किया था। १९५२

में हमने ४७ लाख टन आयात करने की योजना बनाई थी किन्तु वस्तुतः आयात ३८ लाख टन थे। १९५३ में हम ने २९ लाख टन आयात करने की योजना बनाई थी किन्तु वस्तुतः हमने २१ लाख टन आयात किये थे।

**औद्योगिक अपीलीय न्यायाधिकरण**

*१०८४. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में औद्योगिक अपीलीय न्यायाधिकरणों की संख्या ;

(ख) वे कहां कहां पर हैं ; और

(ग) क्या दक्षिण भारतीय श्रम संघों द्वारा दक्षिण भारत में किसी स्थान पर एक न्यायाधिकरण स्थापित करने की कोई प्रार्थना की गई है ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि )** : (क) और (ख)। केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक झगड़ों के (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के आधीन एक श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया है। इस न्यायाधिकरण का मुख्यालय कलकत्ता में है और न्यायाधिकरण की दो शाखायें बम्बई और लखनऊ में स्थापित हैं। लखनऊ की बेंच मद्रास और आस पड़ौस के राज्यों के पक्षों द्वारा न्यायाधिकरण के सम्मुख की गई अपीलों को सुनने के लिये नियमित रूप से मद्रास का दौरा करती है।

(ग) हां।

**श्री शिवनंजप्पा** : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दक्षिण भारत में किसी स्थान पर ऐसा एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

**श्री वी० वी० गिरि** : मामले की जांच हो रही है।

**श्री पुन्नूस** : क्या मैं त्रावनकोर-कोचीन और मद्रास राज्यों से इस न्यायाधिकरण को की गई अपीलों की संख्या जान सकता हूं ?

**श्री वी० वी० गिरि** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

**रेलवे कर्मचारियों की वेतन वृद्धियों का रोके रखना**

*१०८५. **श्री फ्रैंक एन्थनी**: (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मजदूरियों के भुगतान अधिनियम के द्वारा शासित रेलवे कर्मचारियों की वेतन वृद्धियों को रोके रखना उस अधिनियम के अधिकार के बाहर है ?

(ख) इस मामले में यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, तो वह क्या है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख)। सरकार को यह ज्ञात है कि कुछ लोगों का यह विचार है कि उस अधिनियम के द्वारा शासित रेलवे कर्मचारियों की वेतन वृद्धियों को रोके रखना अधिकार के बाहर है और यह मामला आज कल सरकार के विचाराधीन है।

**स्टेशन मास्टर**

*१०८६. **श्री फ्रैंक एन्थनी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ६४—४—१७० रुपये के क्रम पर स्टेशन मास्टर हैं ;

(ख) क्या बुकिंग क्लर्क, पार्सल क्लर्क और टिकट कलेक्टरों जैसे उन के अधीनस्थ उच्चतर वेतन क्रमों में हैं ; और

(ग) क्या यातायात निरीक्षकों और सेक्शन नियंत्रकों के पदों का कोई प्रतिशत भाग, जो पहले स्टेशन मास्टरों के लिये खुला था, अब सीधी भरती के लिये रक्षित है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) हां, श्रीमान् । स्टेशन मास्टरों के लिये जो विहित वेतन क्रम लागू है उन में ६४-४-१७० रुप्ये का वेतन क्रम निम्नतम है ।

(ख) ऐसे मामलों का सरकार को ज्ञान नहीं है । स्टेशन मास्टरों पर लागू होने वाले विभिन्न विहित वेतन क्रम बुकिंग क्लर्कों, पार्सल क्लर्कों और टिकट कलेक्टरों के वेतन क्रमों से उच्चतर हैं ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी** : भाग (ख) के उत्तर के संबंध में मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार को यह बात पता नहीं है कि बुकिंग क्लर्क और टिकट कलेक्टर स्टेशन मास्टरों से अधिक वेतन पा रहे हैं । क्या यह तथ्य नहीं है कि तेनाली स्टेशन पर स्टेशन मास्टर १५०-२२५ रुपये के वेतन क्रम में है जब कि प्रधान टिकट कलेक्टर २००-३०० रुपये के वेतन क्रम में काम कर रहा है ?

**श्री अलगेशन** : इस का सम्बन्ध कुछ ऐसे सहायक स्टेशन मास्टरों से है जो निम्नतर वेतन क्रम में हो सकते हैं । जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उस विशेष मामले में प्रधान टिकट कलेक्टर स्टेशन मास्टर से अधिक वेतन पा रहा है, तो उन का तात्पर्य क्या है यह मुझे ठीक से समझ में नहीं आया है ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी** : प्रधान टिकट कलेक्टर २००-३०० रुपये के वेतन क्रम में है जबकि स्टेशन मास्टर केवल १५०-२२५ रुपये के वेतन क्रम में है ।

**श्री अलगेशन** : इस की जांच हो सकती है ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी** : क्या यह तथ्य नहीं है कि सलेम में मुख्य बुकिंग क्लर्क २००-३०० रुपये के वेतन क्रम में है जब कि स्टेशन मास्टर ११० रुपये के वेतन क्रम में है ।

**श्री अलगेशन** : यदि माननीय सदस्य हमारा ध्यान ऐसे बहुत कम देखे जाने वाले उदाहरणों की ओर आकर्षित कर हैं, तो हम निश्चय ही उन की जांच करेंगे ।

**श्री विट्ठल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि किन विचारों से प्रेरित हो कर यातायात निरीक्षकों तथा सेक्शन नियंत्रकों के रूप में पदोन्नति के लिये स्टेशन मास्टरों के लिये रक्षण का प्रतिशत भाग समाप्त कर दिया गया है ?

**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि किन विचारों से प्रेरित हो कर यातायात निरीक्षकों तथा सेक्शन नियंत्रकों के रूप में पदोन्नति के लिये स्टेशन मास्टरों के लिये रक्षण का प्रतिशत भाग समाप्त कर दिया गया है ।

**श्री अलगेशन** : संवर्ग के गुण को सुधारने के लिये हम २५ प्रतिशत रिक्त स्थानों पर सीधी भर्ती कर रहे हैं ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी** : क्या यह तथ्य है कि वेतन आयोग द्वारा गार्डों और ड्राइवरों जैसे लोगों के लिये जिन वेतन क्रमों की सिफारिश की गई है, वे हड़ताल के फलस्वरूप बढ़ा दिये गये हैं लेकिन स्टेशन मास्टरों के वेतन क्रम नहीं बढ़ाये गये हैं ?

**श्री अलगेशन** : ऐसी बात नहीं है । स्टेशन मास्टरों के वेतन क्रम भी बढ़ा दिये गये हैं ।

**रेलवे पोर्टरों द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन**

*१०८८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि रेलवे पोर्टरों

ने ५ अगस्त, १९५३ को दिल्ली में प्रदर्शन किये थे ?

(ख) क्या उन के कष्टों और मांगों के सम्बन्ध में रेल मंत्री से कोई अभ्यावेदन किया गया था ?

(ग) यदि हां, तो उन के कष्टों के दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) । रेलवे कुली संघ, दिल्ली के प्रधान ने २ जुलाई १९५३ की तिथि से अंकित एक अभ्यावेदन रेल मंत्री के नाम भेजा था जो कि उचित कार्यवाही के लिये उत्तर रेलवे के महा प्रबन्धक के पास भेज दिया गया ।

**श्री मुनिस्वामी** : मैं यह जान सकता हूं कि पोर्टरों की मांगें और उन के कष्ट क्या हैं ?

**श्री शाहनवाज खां** : ये मांगें सीधे मंत्रालय से की गई थीं । मुझे मालूम है कि ५ अगस्त को उन की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था; उस के पश्चात् उन्हों ने संसद् भवन के बाहर प्रदर्शन किया, यह कहा जाता है कि वे श्रीमती सुचेता कृपलानी से मिले ।

**श्री मुनिस्वामी** : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी अन्य रेलवे की ओर से भी ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ?

**श्री शाहनवाज खां** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

**सरदार ए० एस० सहगल** : क्या सरकार ने इस विषय में पूछ ताछ की है कि क्या यह प्रदर्शन स्वाभाविक था या किसी के द्वारा भड़काया हुआ था ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : क्या बढ़िया प्रश्न है ।

**श्री शाहनवाज खां** : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

**श्री पुन्नूस** : कुली संघ के प्रधान का अभ्यावेदन रेलवे यूनियन के प्रधान के पास भेज दिया गया था । मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रदर्शनों के पश्चात् उन के कष्टों की ओर ध्यान दिया गया है ?

**श्री शाहनवाज खां** : वास्तविक कष्टों की ओर सदा ही ध्यान दिया जाता है ।

**श्री पुन्नूस** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन प्रदर्शनों के पश्चात् सरकार ने इस बात की पूछ ताछ की है कि क्या सरकार द्वारा उन के अभ्यावेदन की ओर ध्यान दिया गया है ?

**श्री शाहनवाज खां** : हमें कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ?

**श्री पुन्नूस** : एक अभ्यावेदन अधिकारियों के पास भेजा तो गया है ।

**श्री शाहनवाज खां** : वह अभ्यावेदन इस प्रदर्शन से पहले प्राप्त हुआ था ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय यह बतला सकते हैं कि उस अभ्यावेदन का क्या हुआ ? क्या मंत्रालय किसी ज्ञापन विशेष की ओर, जो कि उसे भेजा गया है, ध्यान दे रहा है ?

**श्री शाहनवाज खां** : हां, श्रीमान् । कुछ कष्ट मंत्रालय के ध्यान में लाये गये थे जिन की ओर अच्छी प्रकार ध्यान दिया गया था ।

**श्री दाभी** : क्या हम यह समझें कि सरकार को उन मांगों और कष्टों का ज्ञान नहीं है जिन के विषय में कि वे अभ्यावेदन करना चाहते थे ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : हमें इस सम्बन्ध में सदन पटल पर एक विवरण रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

**भारत तथा टर्की के बीच माल का यातायात**

*१०८९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत तथा टर्की द्वारा अपने बीच हुए व्यापार समझौते के उस खंड के अधीन, जिस में दोनों देशों के नौपरिवहन को प्रोत्साहन देने का उपबन्ध रखा गया है, क्या पग उठाये गये ह; तथा

(ख) क्या दोनों देशों के बीच माल का यातायात अपने अपने जहाज़ों में होगा अथवा वे इस के लिये एक दूसरे के जहाज भी काम में लायेंगे ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) नौपरिवहन सम्बन्धी खण्ड तो, जिस का कि निर्देश किया गया है, एक प्रकार से अनुमति देने और समर्थ बनाने के लिये रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत और टर्की के बीच माल का यातायात बहुत सीमित परिमाण में होता है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि आज कल भी टर्की के पत्तनों को जाने वाले माल का एक भाग भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार करने वाले भारतीय जहाजों द्वारा ले जाया जाता है, भारत सरकार ने इस खण्ड को कार्यन्वित करने के लिये न तो कोई विशेष पग उठाये हैं और न ही वह आवश्यक समझती है। भारत सरकार के पास टर्की द्वारा इस खण्ड के अधीन उठाये गये पगों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) करार में जहां तक सम्भव हो दोनों देशों के जहाजों के प्रयोग की व्यवस्था है। वस्तुयें अधिकांशतया व्यापारिक लेखे में जाती है और उन के किसी भी राष्ट्र के जाहाज में ले जाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री रघुनाथ सिंह** : इन दोनों देशों के व्यापार के लिये प्रति वर्ष कितने जहाजों की आवश्यकता होगी ?

**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैं ने बतलाया कि जो जहाज भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार करते हैं वही टर्की का भी कुछ माल ले जाते हैं और वह माल मिस्र के पत्तनों पर दूसरे जहाजों में लाद दिया जाता है।

**श्री रघुनाथ सिंह** : अब तक क्या हिन्दुस्तान में वहां से कोई सामान जहाज से आया है, कोई व्यापार हिन्दुस्तान और टर्की के बीच में अब तक हुआ है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या भारत और टर्की के बीच कोई व्यापार हुआ है ?

**श्री अलगेशन** : हां, श्रीमान्।

**चावल छानने की कलें**

*१०९१. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार के पास बिजली से चलने वाली चावल छानने की कलें हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस समय कितनी राज्य सरकारों को इन कलों की आवश्यकता है ?

(ग) इस प्रकार की कलों की लागत कितनी है ?

**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) बम्बई सरकार के पास बिजली से चलने वाली साफ करने की १७ कलें हैं जो कि राज्य के ८ विभिन्न स्थानों में लगी हुई हैं। मद्रास सरकार के पास मद्रास नगर में एक है और केन्द्रीय सरकार के पास बम्बई में उन के डिपों में एक है अन्य किसी राज्य सरकार के पास बिजली से चलने वाली साफ करने की कल नहीं है। ये कलें सभी प्रकार का अनाज साफ करने के काम में आती हैं।

(ख) प्राप्त सूचनाओं से यह विदित होता है कि किसी राज्य सरकार को इन कलों की आवश्यकता नहीं है।

(ग) इस की लागत इस के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। मद्रास की कल की लागत २,५०० रुपये है, किन्तु बम्बई में लगी हुई कलों में से प्रत्येक की लागत ८,००० रुपये से १०,००० रुपये तक है। केन्द्रीय सरकार ने इसे ५,००० रुपये में खरीदा था।

**श्री बुच्चिकोटैय्या :** मैं जान सकता हूं कि इन कलों की लागत का भार कौन उठायेगा —क्या इसे केन्द्र उठायेगा या राज्य सरकारें ?

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** केन्द्र के लिये हम देते हैं राज्यों का उन्हें अपने कोष में से देना पड़ेगा।

**श्री बुच्चिकोटैय्या :** मैं जान सकता हूं कि क्या ये कलें कंकड़ और चावल के टुकड़े दोनों को छानने के लिये हैं ?

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** यह चावलों तथा अन्य अनाजों को साफ करने के लिये है।

**श्री बुच्चिकोटैय्या :** मैं जान सकता हूं कि क्या इन कलों को लगाने से पहले किसी राज्य सरकार ने किसी पर कंकड़ और चावल के टुकड़े मिलाने के लिये अभियोग चलाया था ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** अभियोग चलाना तो एक अलग बात है। इस समय हम कलों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं।

**श्री बुच्चिकोटैय्या :** मैं जान सकता हूं कि क्या इन कलों के लगाने से पहिले किसी राज्य सरकार ने सरकार से चावलों में कंकड़ और चावल के टुकड़े मिलाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत की थी ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह बात तो सर्व-विदित है। राज्य सरकारें इस में हस्तक्षेप क्यों करें ?

**श्री मुनिस्वामी :** मैं जान सकता हूं कि क्या ये कलें विदेशों से खरीदी गई थीं या भारत में ही बनाई गई थीं ?

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** मेरे पास यह जानकारी नहीं है, किन्तु सम्भवतया उन का विदेशों से आयात किया जाता है

**श्री दाभी :** मैं जान सकता हूं कि ये कलें कितना काम करती हैं ?

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

**श्री बुच्चिकोटैय्या :** मैं जान सकता हूं कि क्या ये कलें सफल सिद्ध हुई हैं और यदि ये सफल सिद्ध नहीं हुई हैं तो इन कलों का लागत व्यय कौन उठायेगा।

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** यदि कोई कल सफल सिद्ध न हो तो आयात करने वाले या खरीदने वाले को उस की लागत देनी पड़ती है।

### रेलवे की आय

*१०९५. **पंडित लिंगराज मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों के एक भाग में व्यक्त किये गये इस भय की ओर आकर्षित किया गया है कि वर्तमान महाखण्ड प्रणाली को लागू करने के पश्चात् रेलों की विशेषतया पूर्व रेलवे की आय काफी घटती जा रही है ; और

(ख) वास्तविक स्थिति क्या है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) तथा (ख). जी नहीं। भारतीय रेलों की १९५२-५३ की वास्तविक कुल आय २६९.७९ करोड़ रुपये थी इस के विरुद्ध १९५१-५२ में (रेल के कोयले तथा सामग्री के भाड़ा-व्यय के अतिरिक्त) २७५.२८ करोड़ रुपये की आय हुई थी ; आय में कमी का मुख्य कारण आर्थिक

कारणों के कारण यात्रियों के यातायात में हुई कमी थी ।

जहां तक पूर्व रेलवे का सम्बन्ध है वर्गीकरण से पूर्व की इस की इकाइयों के साथ तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भूतपूर्व ईस्ट इन्डियन रेलवे के ७ में से ३ डिविज़न उत्तर रेलवे को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं और रेलवे के भाग आय के अलग अलग आंकड़े नहीं रखते ।

**पंडित लिंगराज मिश्र :** क्या सरकार का भूतपूर्व बंगाल नागपुर रेलवे के क्षेत्रों को मिला कर सातवां महाखण्ड बनाने का विचार है ?

**श्री अलगेशन :** नहीं, श्रीमान् ।

**श्री नानादास :** मैं जान सकता हूं कि क्या किसी अन्य रेलवे में भी यात्रियों के यातायात में कमी हुई है ?

**श्री अलगेशन :** हां, श्रीमान् । यात्रियों के यातायात में सभी जगह कमी हुई है ?

**श्री सारंगधर दास** श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या राजस्व में कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का किराये घटाने का कोई विचार है ?

**श्री अलगेशन :** नहीं, श्रीमान् ।

**श्री ए० एम० टामस :** गत सत्र में आयव्ययक सम्बन्धी चर्चा के समय सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि यात्रियों से होने वाली आय में कमी की जांच करने के लिये एक समिति बनाई जायेगी । मैं जान सकता हूं कि क्या वह समिति बना दी गई है और क्या इस ने इस विषय की जांच की है ?

**श्री अलगेशन :** मुझे यह विदित नहीं है कि यात्रियों से होने वाली आय में कमी की जांच करने के लिये कोई समिति बनाने का ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी :** क्या सरकार के पास विशेष रूप से यह दिखाने के लिये कोई आंकड़े हैं कि कुछ लाइनों पर प्रथम श्रेणी के हटा देने से यात्रियों की आय में कमी हुई है ?

**श्री अलगेशन :** नहीं, श्रीमान् ।

**श्री नानादास :** सरकार ने यात्रियों के यातायात को बढ़ाने के लिये क्या पग उठायें हैं ?

**श्री अलगेशन :** सदन को पहिले ही यह विदित है कि हम ने 'शताब्दी' टिकट अर्थात् महाखण्ड के रियाती टिकट चलाये थे और मैं सदन को यह बता दूंगा कि इस से कोई विशेष आय नहीं हुई है ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी :** मैं मंत्री महोदय का उत्तर समझ नहीं सका । क्या उन का यह तात्पर्य है कि प्रथम श्रेणी को हटा देने से यात्रियों से होने वाली आय में कोई कमी नहीं हुई है ? क्या सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं ?

**श्री अलगेशन :** ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि आय में कमी का कारण....

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या राजस्व में प्रथम श्रेणी को हटा देने से किसी अंश में कमी हुई है ? यह एक बड़ा सरल सा प्रश्न है ।

**श्री अलगेशन :** मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किन्तु अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है ।

**रेले के डिब्बों में पानी की टंकियां**

*१०९६. **श्री अच्युतन :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या लम्बे रास्तों पर द्वितीय श्रेणी, मध्यम श्रेणी और तृतीय श्रणी के रेल के डिब्बों

में लगी हुई पानी की टंकिया एक ही लम्बाई चौड़ाई आकार और माप की होती है ?

(ख) यदि नहीं, तो उन में क्या क्या अन्तर होते हैं ?

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि यात्रियों को विशेषतया लम्बे रास्तों पर यात्रा करने वाले तृतीय और मध्यम श्रेणी के यात्रियों को पानी भरने के स्टेशनों के बीच पानी की टंकियों में पानी के अभाव के कारण कठिनाई होती है ?

(घ) यदि हां, तो पानी की कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तृतीय तथा मध्यम श्रेणी के डिब्बों में प्रति यात्री लगभग २·५ गैलन पानी की व्यवस्था के बावजूद भी कभी कभी पानी की कमी देखी गई है । यह अधिकांशतया दो पानी भरने के स्टेशनों के बीच कुछ यात्रियों द्वारा पानी को व्यर्थ नष्ट करने के कारण होता है ।

(घ) एक शौचालय की पानी की टंकी को ५० गैलन से बढ़ा कर ६० गैलन की और दो शौचालयों की टंकी को १०० गैलन से बढ़ा कर १२० गैलन की कर देने का विचार है । अधिक से अधिक इतना ही आकार किया जा सकता है ।

**श्री अच्युतन :** मैं जान सकता हूं कि क्या जल की टंकी की लम्बाई चौड़ाई तथा डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या के बीच कोई अनुपात रहता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या डिब्बे की गंजाइश के अनुसार जल की टंकी भी भारी जाती है ?

**श्री शाहनवाज़ खां :** हां, श्रीमान् ।

**श्री अच्युतन :** डेवढ़े तथा तीसरे दर्जे में ?

**श्री शाहनवाज़ खां :** इस समय, दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिये ४.२ गैलन और तीसरे तथा डेवड़े दर्जे के यात्रियों के लिये ढ़ाई गैलन पानी रखा जाता है ।

**श्री अच्युतन :** क्या सरकार को मालूम है कि डेवढे तथा तीसरे दर्जे के डिब्बों में दूसरे दर्जे के डब्बों की अपेक्षा अधिक यात्री यात्रा किया करते हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** तो, क्या इसे प्रति व्यक्ति के इसी हिसाब से भरा जाता है ?

**श्री अच्युतन :** डेवढ़े तथा तीसरे दर्जे के डिब्बों में अन्य दर्जों वालों डिब्बों की अपेक्षा अधिक यात्री यात्रा किया करते हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इन डिब्बों में काफ़ी भीड़ रहती है । क्या उस भीड़ का भी ध्यान रखा जाता है ?

**श्री सारंगधर दास :** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि उन जगहों पर जहां पानी भरने की उपयुक्त व्यवस्था है, इन टंकियों को नहीं भरा जाता है ?

**श्री शाहनवाज़ खां :** हमें इस तरह की किसी भी बात का ज्ञान नहीं, किन्तु माननीय सदस्य यदि किन्हीं विशेष बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे तो हम अवश्य उन पर ध्यान देंगे ।

**श्री के० के० बसु :** क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरे दर्जे और तीसरे तथा डेवढ़े दर्जे के यात्रियों के लिये इस प्रकार विषय अनुपात में यानी अधिक और कम, पानी रखे जाने का क्या कारण है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन में अधिक भीड़ रहा करेगी।

**श्री अच्युतन :** क्या सरकार लम्बे रेल मार्गों पर पानी भरने के स्टेशनों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ?

**श्री शाहनवाज़ खां :** इस समय इस प्रकार की कोई भी योजना हमारे विचार में नहीं है ।

**बाढ़ द्वारा हुई हानि**

*१०९७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार,पश्चिमी बंगाल और गोदावरी ज़िलों में हाल की बाढ़ के कारण हुई फसलों की अनुमानित हानि कितनी है ;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में धान की उपज कम होने की संभावना है; तथा

(ग) क्या इस बाढ़ के फलस्वरूप सरकार को विदेश से चावल मंगाना पड़ेगा ?

**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा):** (क) अभी तक राज्य सरकारें बाढ़ के कारण हुई फसलों की हानि का ठीक ठीक अन्दाज़ा नहीं लगा सकी हैं क्योंकि वे सम्बद्ध ज़िलों से जानकारी इकट्ठी कर रही हैं । यों तो उन्होंने इतना बताया है कि बहुत अधिक हानि नहीं हुई है। इस सिलसिले में तो २८-८-१९५३ को गोदावरी बाढ़ों से सम्बद्ध अल्प सूचना प्रश्न तथा ३-९-५३ को बिहार की बाढ़ों से सम्बद्ध अल्प सूचना प्रश्न के उत्तरों की ओर जो लोक सभा में दिये गये, ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकारें जब धान की फसल को हुई हानि का ठीक ठीक अनुमान लगायेंगी तभी इस बात का सही अन्दाज़ा लगाया जा सकेगा कि इस वर्ष धान की कितनी फसल होगी, और बाढ़ों से हुई हानि को पूरा करने के लिये विदेशों से अतिरिक्त धान खरीदने के प्रश्न पर भी तभी विचार विमर्श किया जाएगा जब राज्यों से सूचना प्राप्त होगी ।

**श्री गणपति राव :** इस बाढ़ से ईस्टर्न यू० पी० की फ़सल पर क्या असर होगा ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):** बाज़ जगह पर ख़राब हो जायगी और बाज़ जगह पर अच्छी हो जायगी ।

**श्री पुन्नूस :** इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि भारत के बहुत से भागों में भंयकर बाढ़ें आ रहीं हैं, क्या सरकार धान की खेती को हुई हानियों का सर्वोपरि अनुमान लगाने का विचार कर रही है ?

**श्री किदवई :** देश भर में वर्षा हुई है । यद्यपि कई भागों में फसल को हानि पहुंची है, फिर भी अन्य भागों में जो अधिक फसलें हुई हैं उन से न केवल घाटा पूरा होगा बल्कि कुछ राशि बनी रहेगी ।

**श्री पुन्नूस :** क्या सरकार भारत भर म हुई हानि का अनुमान लगा रही है ?

**श्री किदवई :** यह बताया जा चुका है कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में हुई हानि का अनुमानित ब्योरा प्रस्तुत करेंगी ।

---

## अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

**फ़्रांसीसी माही तथा तेलिचेरी के बीच की सड़क**

१. **श्री एन० पी० दामोदरन :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या माही स्थित फ्रांसीसी अधिकारियों ने दक्षिण रेल पर ऊपर से जाने वाले एक पुल के साथ साथ गई माही

तथा तेलीचेरी के बीच की भारत संघ की सड़क को १४ अगस्त, के आस-पास ठीक करने का प्रयत्न किया था ?

(ख) उक्त सड़क और रेल के ऊपर से जाने के इस पुल पर अधिकार जमाने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ग) क्या यह सच है कि इस सड़क पर भारतीय तथा फ्रांसीसी पुलिस का पहरा रहता है, और इस चीज़ के कारण माही तथा आस-पास के क्षेत्रों में बहुत तनातनी चलती है ?

(घ) क्या यह सच है कि पेरिस स्थित फ्रांस की सरकार के वैदेशिक कार्य विभाग के सचिव तथा कई फ्रांसीसी पदाधिकारियों ने अभी हाल में माही के निकट की भारतीय संघ की एक सड़क का दौरा किया और इस सड़क के फोटोचित्र भी लिये; और यह भी कि भारत सरकार को इस घटना का ज्ञान था और उन्हें भारत सरकार से इस बात की आज्ञा मिल चुकी थी ?

(ङ) यदि नहीं, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(च) क्या यह सच है कि कई व्यक्ति जिन में फ्रांसीसी भारत के नागरिक भी हैं ; अभी हाल में माही से भारत संघ को इसलिये निर्वासित किये गये हैं क्योंकि उनकी विचारावली भारत के पक्ष में थी ?

(छ) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). भारत संघ के क्षेत्र पर फ्रांसीसी अतिक्रमण की सूचना पाते ही रेल-पट्टरियों के ऊपर से जाने वाले पुल पर मालाबार की विशेष पुलिस की एक टुकड़ी को इस बात की निगरानी के लिये रखा गया कि अतिक्रमण की रोकथाम हो । फ्रांसीसीयों ने अब भारत संघ-क्षेत्र से अपने उन लोगों को वापिस बुलाया है । सरकार के पास इस बात की कोई भी जानकारी नहीं कि इस घटना के कारण तनातनी हुई थी ।

(घ) तथा (ङ). इस प्रकार की रिपोर्टें आई हैं कि फ्रांसीसी विदेश कार्यालय का एक कनिष्ट पदाधिकारी वहां के स्थानीय फ्रांसीसी पदाधिकारियों के साथ इस माही स्थित विवादग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने आया था, और उसने वहां उस स्थल के चित्र भी लिये थे । चूंकि सीमान्त को प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है ; अतः फोटो-चित्र लेने पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाये गये हैं । यों तो, इस घटना के सम्बन्ध में मद्रास सरकार से एक अधिक विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा चुकी है।

(च) तथा (छ). जी हां । पांडिचेरी स्थित महावाणिज्य दूत ने एक निर्वासित के विषय में पहले ही फ्रांसीसी सरकार के पास विरोध भेजा है । इस सारे प्रश्न पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है ।

**श्री एन० पो० दामोदरन :** इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इधर कुछ दिनों से माही स्थित फ्रांसीसी पदाधिकारियों ने भारत के विरुद्ध कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो मित्रता के विरूद्ध हैं, क्या सरकार इस बात को वाञ्छनीय समझ रही है कि फ्रांसीसी भारतवासी भारत संघ में प्रवेश पाने के लिये आज्ञापत्र या पासपोर्ट प्राप्त करेंगे ? यदि हां, तो कब से; यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हमें आज्ञा पत्र

प्राणाली प्रारम्भ करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** कार्यवाही के हेतु एक सुझाव दिया गया है ।

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** शायद इस बात की आवश्यकता पड़ेगी किन्तु इस से भी बड़ा एक प्रश्न जिस पर प्राय: विचार किया जा चुका है, पुन: विचार में लाया जाय–यानी हमें इस प्रणाली के लाभ और हानि के पक्षों को देखना होगा । किन्तु इस विशेष मामले में, माही एक बहुत ही छोटी जगह है जिस का एक भाग फ्रांसीसी बस्ती बन चुका है । जब तक वहां इस प्रकार की फ्रांसीसी बस्ती बनी रहेगी, तब तक इस प्रकार की तनातनी रहेगी, और ऐसी घटनायें हुआ करेंगी––क्योंकि स्थिति असाधारण है––ऐसी विदेशी बस्ती को तो हमारे देश में कतई नहीं होना चाहिये । इस सारे झगड़े की जड़ वास्तव में यही है ।

**श्री ए० के० गोपालन :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि १९४९ में जब कल्लाई पर फ्रांसीसी सेना ने अधिकार किया था तो वहां इसी प्रकार की घटना हुई थी, और बाद में मलबार के कलैक्टर को पुन: इस पर अधिकार करना पड़ा था ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि कोई घटना घटी थी । मुझे ठीक तरह से याद नहीं आ रहा किन्तु जरूर कोई घटना हुई थी । इस विशेष मामले में घटना का कोई भी महत्व नहीं है । घटना ही कुछ विचित्र है । माना जाता है कि उस पुल के दोनों ओर की जमीन फ्रांसीसी माही क्षेत्र की है किन्तु जहां पर सड़कें हैं, वह क्षेत्र भारतीय प्रदेश में है । मामला बड़ा पेचीदा है । चूंकि रेलवे लाइन भारतीय है, अत: इस पुल को भी भारतीय माना जाता है । दुर्भाग्यवश, वहां के स्थानीय अधिकारियों की शिथिलता के कारण विगत कई वर्षों में उन्हों ने फ्रांसीसी लोगों को यहां आने तथा पुल की मरम्मत करने की आज्ञा दी । इस लिये उन का यह दावा है कि पुल में उन का भी एक भाग सम्मिलित है । जब लोगों ने बताया कि उन्हों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया तो इस का अर्थ है कि वे पुल पर आये–वे बहुत दूर तक नहीं आये–और उन्हें वहां से बाहर धकेला गया ।

**श्री पुन्नूस :** बताया गया है कि १४ अगस्त को वहां फ्रांसीसी पुलिस रखी गई थी और मालाबार की विशेष पुलिस की टुकड़ी वहां २१ अगस्त को भेजी गई थी । श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे भारतीय क्षेत्र पर पुन: अधिकार करने और फ्रांसीसी पुलिस को वहां से धकेल निकालने में किस तरह सात दिन बर्बाद किये गये ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे पास सही दिनांक नहीं है । किन्तु मैं सदन के समक्ष यह प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर चुका हूं कि उक्त प्रदेश या 'क्षेत्र' पुल पर की थोड़ी सी उस दूरी तक था जहां वह मरम्मत कर रहे थे । इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें इस को मरम्मत नहीं करनी चाहिये थी किन्तु इस घटना से पहले, जब इस मामले को कोई भी महत्व नहीं दिया गया था, उन्हें मरम्मत करने की आज्ञा मिली थी । यही कारण है कि वे उस भाग की मरम्मत कर रहे थे । कानून की दृष्टि से उन्हों ने एक गलत कदम उठाया था, इसलिये हम ने आपत्ति की । किन्तु इस मामूली अतिक्रमण को भारत पर बड़ा आक्रमण नहीं कहा जा सकता है ।

**श्री केलप्पन :** श्रीमान्, क्या यह सच है कि माही में भारत संघ के स्वामित्व के कई क्षेत्र कुछ समय से फ्रांसीसी सरकार के अधिकार में रहे हैं ।

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** श्रीमान्, मुझे मालूम नहीं है । जब तक माननीय सदस्य मुझे उस के विषय में और भी कुछ जानकारी

नहीं देते तब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

**श्री एन० पी० दामोदरन** : क्या माही में से गुजरने वाले भारत संघ के नागरिकों को प्रस्तुत होने वाली कठिनाइयों तथा बाधाओं की दृष्टि में भारत सरकार मालाबार स्थित कालीकट-तेलिचेरी सड़क की दिशा को इस तरह बदलने पर विचार कर रही है कि फ्रांसीसी माही से गुजरना न पड़े ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, श्रीमान् हम न केवल विचार कर रहे हैं बल्कि विचार कर चुके हैं इस उद्देश्यको पूरा करने के लिये हम कार्यवाही भी कर चुके हैं ।

**डा० लंका सुन्दरम** : अभी अभी प्रधान मंत्री ने बतलाया कि भारत स्थित माही में फ्रांसीसी बस्ती नहीं होनी चाहिये थी । श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि फ्रांसीसी अधिकार हटाने के लिये भारत सरकार अथवा प्रधान मंत्री क्या विशेष कार्यवाही कर रहे हैं ?

**श्री जवाहरलाज नेहरू** : माननीय सदस्य मुझ से इस प्रश्न के उत्तर की आशा नहीं करें क्योंकि भले ही माही भारत का एक नगण्य भाग हो, इस का प्रश्न उन बड़ी बड़ी बातों में अन्तर्ग्रस्त है जिन से विश्व की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है । अतः एक विश्व की राजनीति के साथ साथ इस प्रश्न पर भी विचार करना पड़ता है ।

**श्री दामोदर मैनन** : श्रीमान्, क्या यह सच है कि माही स्थित फ्रांसीसी अधिकारी इधर कुछ समय से कडैकल से भारतीय क्षेत्र के रास्ते सिपाही बुलवा कर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यद्यपि माही स्थित सैन्य शक्ति में वे लोग शत प्रतिशत वृद्धि करें, फिर भी एक छोटी सी पलटन से उन का मुकाबला किया जा सकता है ।

## बर्मा से वस्तु विनिमय

**श्री हेडा** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन का ध्यान 'कड़वा चावल' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जो २७ अगस्त १९५३ के "टाइम्स आफ इंडिया" में छपा था । उस में बर्मा के वाणिज्य मंत्री, माननीय थाकिन थाकिन, के उन शब्दों का विशेष निदेश किया गया था जो उन्हों ने आप के लिये कहे थे और क्या आप यह बतायेंगे कि तथ्य क्या है ?

(ख) इस आकस्मिक घटना का भारत बर्मा व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(ग) आज चावल-सौदा किस स्थिति में है ?

**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एन० वी० कृष्णप्पा)** : (क) हां, श्रीमान् । फिर भी सूचना सत्य नहीं है, एक विवरण, जिस में इस मामले के तथ्यों का वर्णन है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ख) इस का भारत-बर्मा के सामान्य व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) हम ने बर्मा सरकार से कह दिया है कि १९५३ के शेष काल के लिये हमें और चावल की आवश्यकता नहीं है और दिसम्बर १९५३ में हम उन्हें १९५४ के लिये अपनी आवश्यकता बता देंगे ।

**श्री हेडा** : बर्मा सरकार के यथाकथित उत्तरदायी पदाधिकारियों द्वारा लगाये गये इस आरोप की दृष्टि से कि श्री किदवई बर्मा के चावल को अत्यन्त थोड़े मुल्य पर लेना चाहते थे और भारतीय वस्तुओं के लिये अधिकतम मूल्य मांगते थे, क्या खाद्य मंत्री इस वस्तु विनियमय के सौदा में अपने प्रस्ताव (आधार) की व्याख्या बतायेंगे ?

**श्री किदवई** : जब बर्मा के मन्त्री यहां थे, सौदे की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उस समय तक हम ने अनुमान लगा लिया था कि इस वर्ष हमें और अधिक चावल की आवश्यकता होगी । जिस के लिये हम ने प्रार्थना की थी और बर्मा के क्रय-मण्डल ने जिसे स्वीकार किया था वह यह था कि यदि हम उन्हें नवम्बर अथवा दिसम्बर में अपनी आवश्यकता बता दें तो वे हमें आगामी वर्ष पांच लाख टन तक कोई भी मात्रा देने को तैयार होंगे । अतः बर्मा-चावल के लिये थोड़ा मूल्य देना अथवा किसी वस्तु के लिये अधिक मूल्य की मांग करने का कोई प्रश्न ही न था । जहां तक बर्मा-सरकार को हमारे सम्भरण का सम्बन्ध है, वे जो कुछ चाहते थे हमने उन्हें दे दिया है और उस मूल्य पर दिया है जो उन्हें अन्य देशों में मूल्यों की अपेक्षा अधिक लाभप्रद था ।

**श्री हेडा** : प्रेस के समाचार में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग था अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य मंत्री ने इस ओर देखा था कि उन के शब्दों की जिन के उच्चारण का उन पर आरोप लगाया गया था, थाकिन नू को सूचना दी जाये । श्री किदवई ने यह कहा था, प्रकाशित हुआ है, कि "चावल के सौदे के लिये भारत आने की बजाय किसी अन्य देश को क्यों नहीं जाते ?"

**श्री किदवई** : ऐसी कोई बात नहीं थी । वास्तव में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। मैं ने बर्मा के प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है और उस में मैं ने उन का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया है तथा उन से प्रार्थना की है कि वे वित्त मंत्री थाकिन थाकिन, तथा रसद मंत्री से इस समाचार का प्रतिषेध करने को कहें ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं जान सकता हूं कि क्या बर्मा-सरकार ने १० लाख मन चावल भारत को सद्भावना का प्रतीक के रूप में देने का प्रस्ताव दिया था और यहां खाद्य मंत्री के विचारों को जान कर उन्हों ने यह प्रस्ताव वापस ले लिया ?

**श्री किदवई** : मैं समझता हूं कि इस समाचार के विषय में कुछ भ्रम है, मैं यह बताता हूं कि वास्तव में क्या हुआ है । जब मैं बर्मा में था, उस समय वस्तु-विनिमय की कुछ बातें हुई थीं और उन्हों ने कहा था कि यदि हमारी वस्तुओं का मूल्य अन्य देशों में प्रचलित मूल्यों की अपेक्षा कम हुआ तो वे हमें कुछ छूट देंगे । तब हम मूल्य विवरण देने की स्थिति में न थे । अतः यह स्वीकार किया गया था एक क्रय-मण्डल भारत आयेगा । मण्डल यहां आया था और मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष है कि हम ने उन्हें उन सब वस्तुओं का प्रस्ताव दिया जो उन्हें चाहियें थीं— उन्हें जितनी मात्रा की आवश्यकता थी उस का मूल्य उन के लिये बहुत ही लाभप्रद था । उन्हों ने वस्तु-विनिमय के लिये कुछ चावल का प्रस्ताव दिया, परन्तु इस कारण कि उस समय हम और अधिक चावल का क्रय करने को तैयार न थे, वस्तु विनिमय संबंधी बात चीत समाप्त हो गई ।

**श्री यू० म० त्रिवेदी** : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या बर्मा सरकार ने चावल वहां २२ रु० प्रति टन के भाव लिया था और हमें उस से दुगने मूल्य पर देना चाहती है, और इस के परिणामस्वरूप केवल हमारे सारे धन से अपनी सरकार चलाना चाहती है ?

**श्री किदवई** : यह बर्मा सरकार का प्रयोजन है : चावल उन की मुख्य फसल है जिसे धन क्रय-कर्ता माना जा सकता है और उन्हें स्वयं अपनी अर्थ-व्यवस्था करनी होगी । अतः यह उन की इच्छा पर है कि वे वह मूल्य स्वीकार करें जो उन्हें लाभप्रद हो ।

**श्री सारंगधर दास** : इस दृष्टि से कि हमारे मंत्री का मृषा वर्णन किया गया है जैसा कि वह स्वयं कहते हैं क्या सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि बर्मा के प्रधान मंत्री को लिखने के अतिरिक्त, एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाये ताकि जनता को यह विदित हो जाये कि परिस्थिति क्या थी ?

**श्री किदवई** : आज एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है ।

**श्री कासलीवाल** : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि बर्मा ने लंका को उस मूल्य की अपेक्षा बहुत सस्ते मूल्य पर चावल देने का प्रस्ताव दिया है जिस पर वह हमें देना चाहता था ?

**श्री किदवाई** : यह प्रेस समाचार था । मैं नहीं जानता कि वस्तुतः क्या हुआ, परन्तु आशा की जाती है कि आगामी वर्ष चावल का मूल्य गिर जायेगा ।

**श्री हेडा** : उस समय जब कि हमारे खाद्य मंत्री तथा बर्मा के वाणिज्य मंत्री के बीच वार्ता हो रही थी, क्या बर्मा सरकार का कोई पदाधिकारी भी उपस्थित था ?

**श्री किदवई** : वार्ता में दोनों सरकारों के सारे पदाधिकारी उपस्थित थे ।

**डा० राम सुभग सिंह** : समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में कहा गया था कि संबंधित पदाधिकारी ने भारत के विरुद्ध कुछ धमकी दी है । श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने आपने पत्र में बर्मा के प्रधान मंत्री से इस का भी प्रतिषेध करने की प्रार्थना की है ?

**श्री किदवई** : मैं नहीं समझता कि बर्मा सरकार उन धमकियों में से किसी का पालन करेगी । इस ओर बर्मा सरकार का ध्यान आकर्षित करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## टैक्निकल सहायता कार्यक्रम

*१०७०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री उस टैक्निकल सहायता कार्यक्रम की प्रगति बताने की कृपा करेंगे जो त्रावंकोर-कोचीन की मछली पकड़ने वाली दो जातियों में गहन रूप से लागू किया गया था ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : एक विवरण, जिस में त्रावंकोर-कोचीन में मछली पकड़ने वाली जाति के विकास की योजना की प्रगति दिखाई गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८**]

## दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली यात्री-रेलगाड़ी

*१०७८. **पंडित एम० बी० भार्गव** : (क) रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी रेल की मुख्य लाइन पर दिल्ली अहमदाबाद या दिल्ली से अजमेर तक जाने वाली और उधर से आने वाली कोई भी ऐसी यात्री-रेलगाड़ी नहीं चलती है जो प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हो ?

(ख) यदि ऐसा है तो, क्या सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि लाइन के स्टेशनों से जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कम से कम एक ऐसी रेलगाड़ी चालू की जाये ?

(ग) ऐसी रेलगाड़ी कब चलाई जायेगी ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हां ।

(ख) हां, दिल्ली तथा अजमेर के बीच मुख्य लाइन से हो कर एक यात्री-रेलगाड़ी की व्यवस्था के लिये ।

(ग) १ अक्टूबर १९५३ से २३१ अप तथा २३२ डाउन तीव्रगामी यात्री-रेलगाड़ी को, दिल्ली तथा अजमेर के बीच कोई हो कर, यात्री-गाड़ी में बदलने का विचार है। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच अजमेर हो कर आज कल दोनों ओर से दो तीव्रगामी यात्री-रेलगाड़ियां चलती हैं। इन के अतिरिक्त दिल्ली तथा अजमेर के बीच मुख्य लाइन से जाने वाली एक यात्री-रेलगाड़ी की, जो प्रत्येक स्टेशन पर रुके व्यवस्था के लिये कोई उचित कारण नहीं है।

**उखाड़ी गई रेल-वस्तुओं का विक्रय**

*१०८७. **श्री गणपति राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहटा बेस डिपो से उखाड़े गये स्लीपरों तथा पटरी का विक्रय हो गया है अथवा अभी तक लोहटा स्टेशन पर रखी हैं ;

(ख) डिपो के खोलने तथा अमुक सहायक-रेल-लाईन के उखाड़ने में कितना व्यय हुआ ;

(ग) वस्तुओं के विक्रय अथवा नीलाम से सरकार को कुल कितना धन प्राप्त हुआ ;

(घ) अनोपयोगी स्लीपरों तथा अन्य वस्तुओं को लोहटा-स्टेशन पर रखने के क्या कारण हैं ; तथा

(ङ) इन वस्तुओं की देख भाल पर सरकार को क्या व्यय करना पड़ा ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) अधिकतर स्लीपर और पटरियां बिक चुकी हैं और अवशेष लोहटा स्टेशन पर रखे हैं।

(ख) डिपो खोलने में १०,१९,१३७ रु० व्यय हुआ था और उखाड़ते समय ५५,७१५ रु० व्यय हुआ था।

(ग) मुक्त माल के लिए रेल-खाते में ४,१६,२५२ रु० जमा हुए।

(घ) अतिरेक माल को समीपतम उपयुक्त स्थान पर रखा गया है ताकि उठाने व रखने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का अनावश्यक व्यय बचाया जा सके।

(ङ) १९५१ से १,२४१ रु०

**गेहूं का मूल्य**

*१०९०. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गेहूं का कोई ऐसा समाहार-मूल्य है जिस पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को गेहूं विक्रय करेगी ?

(ख) यदि हां, तो मूल्य क्या है ?

(ग) किस मूल्य पर आसाम सरकार को गेहूं विक्रय किया जाता है ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार गेहूं का विक्रय आसाम सरकार को कलकत्ता में करती है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) हां, विदेशी आयात किये गये गेहूं के लिये।

(ख) तथा (ग). पत्तन-आयुक्त-गोदाम के बाहर मालगाड़ी के डिब्बों/ठेलों में लदे केन्द्रीय सरकार के गोदामों के बाहर बोरों में भरे माल के लिये १६ रु० ८ आने प्रति मन जो कि आसाम के लिये भी लागू है।

(घ) हां। कलकत्ता में पत्तन। केन्द्रीय सरकार के गोदामों के बाहर माल दिया जाता है।

**चौकाघाट-सीतापुर लाइन पर भारी भीड़**

*१०९२. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर

रेलवे की चौकाघाट-सीतापुर लाइन पर कुछ समय से तीसरे दरजे के दो ही डिब्बों वाली एक गाड़ी चल रही है ; तथा

(ख) क्या इस से तीसरे दरजे के यात्रियों को असुविधा होती है ।

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां ) :** (क) तथा (ख). पिछले जून तथा जुलाई में कभी ऐसा हुआ था जिस के कारण यात्रियों को असुविधा हुई । अब जितने तीसरे दरजे के डिब्बे उपलब्ध हो रहे हैं स्थिति में उतना ही सुधार हो रहा है ।

**कलचरा-खोवई सड़क**

*१०९३. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलचरा-खोवई सड़क के निर्माण पर कितना व्यय हुआ ?

(ख) इस सड़क पर सामान्य गाड़ियां कब चलने लगेंगी ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) १.३८ लाख (लगभग) ।

(ख) दिसम्बर १९५३ तक ।

**आसाम-अगरतला सड़क**

*१०९४. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धर्मनगर से अगरतला तक की आसाम-अगरतला सड़क पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

(ख) यह सड़क कब बन कर तैयार होगी ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जून १९५३ के अन्त तक लगभग २०८ लाख रु० ।

(ख) मार्च १९५४ तक ।

**बम्बई तथा औरंगाबाद के बीच वायु-यातायात**

*१०९८. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा औरंगाबाद (दक्षिण) के बीच फिर वायु-यातायात आरम्भ करने का विचार है जो कि छः मास पूर्व बन्द कर दिया गया था ; तथा

(ख) यदि नहीं तो, इस के क्या कारण हैं ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) तथा (ख). बम्बई-औरंगाबाद वायु-यातायात को पुनरारम्भ करने का अभी कोई विचार नहीं है, परन्तु इस प्रश्न पर टैक्निकल समिति विचार करेगी । नये मार्गों के बारे में निगम को मंत्रणा देने के लिए यह समिति भारतीय वायुमार्ग ने स्थापित की थी ।

**खाद्यान्नों का संचय**

*१०९९. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार के पास गोदामों में अनाज बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि यह अनाज गोदामों में सड़ रहा है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई ) :** (क) केन्द्रीय सरकार के गोदामों में इस समय अनाज का जो स्टाक है उस की मात्रा ७ लाख टन से कुछ अधिक होगी ।

(ख) जी नहीं ।

**टेलीफोन**

*११००. **श्रीमती माजदेव :** (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा मांगे गये टेलीफ़ोनों में से अभी कितने नहीं दिये गये हैं ?

(ख) पूना में टेलीफ़ोनों के लिये प्रतीक्षा सूची में कितने प्रार्थी हैं ?

(ग) क्या सरकार पूना में 'अपने टेलीफ़ोन पर स्वामित्व प्राप्त करो योजना' लागू करने का विचार कर रही है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १ अप्रैल १९५३ को हरेक राज्य में टेलीफ़ोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूचियों में जितने लोग थे, उस का विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९]**।

(ख) पूना में प्रतीक्षा सूची में प्रार्थियों की संख्या १,०२२ है।

(ग) जी नहीं, क्योंकि पूना टेलीफ़ोन एक्सचेंज में अभी नये कनेक्शन देने की क्षमता नहीं है।

**राजस्थान में वनीकरण**

*११०१. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रेगिस्तान का प्रसार रोकने के प्रयोजन से किये जाने वाले वनीकरण के लिये विमानों द्वारा बोये गये बीजों के कितने प्रतिशतक में अंकुर निकले हैं ;

(ख) कितने वर्षों में यह भरा पूरा वन हो जायगा ;

(ग) क्या इस विषय में विदेशी या भारतीय विशेषज्ञों का परामर्श लिया गया है; तथा

(घ) यदि लिया गया है, तो उन विशेषज्ञों के नाम क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) से (घ). विमानों से बीज राजस्थान सरकार द्वारा डाले गये थे। राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

**मधु मक्खी पालन**

*११०२. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हाल ही में यह फैसला किया गया है कि अखिल भारतीय मधुमक्खी पालक संघ और 'भारतीय मधुमक्खी पालन परिषद्' को मिला कर एक कर दिया जाये ?

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन दोनों संस्थायें एक हुईं ?

(ग) इस संघटन को सहायता देने के उद्देश्य से सरकार क्या क़दम उठाना सोच रही है ?

(घ) कितने और किन किन राज्यों में यह संघटन कार्य कर रहा है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) प्रस्तावित एकीकरण की संबंधित संघटनों द्वारा अभी पुष्टि की जानी है।

(ख) से (घ). जब तक स्वीकृत संघटन के बारे में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक इस का उत्तर देना कठिन है।

**ग्वालपाड़ा के लिये नाव से आने जाने की व्यवस्था**

*११०३. **श्री अमजद अली** : यातायात मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम में जोगीघोपा से ग्वालपाड़ा के लिये ब्रह्मपुत्र में नाव से आने जाने की व्यवस्था राष्ट्रीय राजपथों का एक भाग है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : जी हां।

**वनस्पति तेल**

*११०४. **पंडित ठाकुर दास भार्गव**: (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की

कृपा करेंगे कि क्या डालडा तथा अन्य वनस्पति तेलों में विटामिन मिलाये जाते हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि कौन से विटामिन मिलाये जाते हैं और किन चीज़ों से ?

(ग) क्या यह सच है कि इन वस्तुओं में समुद्री जन्तुओं से निकाला गया तेल भी मिलाया जाता है ?

(घ) यदि हां, तो क्या यह तेल केवल मछलियों से निकाला जाता है या पानी के अन्य जानवरों से भी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) जी हां, केवल कुछ फ़ैक्टरियों द्वारा ।

(ख) सांश्लेषित विटामिन डी, जो खमीर में से निकाला जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**अहरसा तथा मानसी रेलवे-स्टेशनों के बीच रेल-पथ**

५५९. **श्री वी० मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे के सहरसा स्टेशन और मानसी जंक्शन के बीच स्थायी रेल-पथ बनाने की कोई योजना सरकार के पास है;

(ख) उन पुलों की संख्या, जो मानसी और सहरसा तथा मधेपुरा और मूरलीगंज के बीच बनाने पड़ेंगे ;

(ग) क्या उन पुलों का निर्माण, जो बनने वाले थे, आवश्यक पदार्थों की कमी के कारण रुक गया है ;

(घ) यदि हां, तो नई लाइन के कब तक पूरे होने की संभावना है; तथा

(ङ) वह राशि जो इस पर व्यय होगी ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) जहां तक मानसी-सहरसा लाइन का संबंध है, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मधेपुरा और मुरलीगंज के बीच अट्ठारह पुल बनाने होंगे ।

(ग) मधेपुरा और मुरलीगंज के बीच पुलों को बना कर पूरा करने के काम में पुल के आधार-स्तम्भ समय से नहीं मिलने के कारण देर हो गई है ।

(घ) मधेपुरा तथा मुरलीगंज के बीच की लाइन के अगले वर्षाकाल के आगमन से पहले पूरे हो जाने की आशा है ।

(ङ) लगभग ३३ लाख रुपये ।

**समुद्र में मत्स्य-ग्रहण**

५६०. **श्री वी० पी० नायर** (क) **खाद्य तथा कृषि मंत्री** सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में दिखाया गया हो कि वर्ष १९५० से १९५२ तक प्रति वर्ष खास खास क़िस्मों की मछलियां अलग अलग कितनी मात्रा में पकड़ी गईं ?

(ख) इस क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली कितनी नावों से काम लिया जाता है ?

(ग) इस समय इस तट पर अनुमानतः कितने मछुए मछली पकड़ने के लिये आते हैं ?

(घ) समुद्र के कितने क्षेत्र में वे मछली पकड़ने का काम करते हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०]**

**टेलीफोन डाइरेक्टरियां**

५६१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **संचरण मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२

५३ में डाक व तार विभाग द्वारा जारी की गई टेलीफ़ोन डाइरेक्टरियों की संख्या;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में जो आय तथा व्यय हुआ है उस का कोई अलग हिसाब रखा गया है ;

(ग) यदि ऐसा है तो (१) काग़ज़ का मूल्य, (२) छापने तथा जिल्द बनवाने का मूल्य, (३) नियुक्त किये गये कर्मचारी, उन की श्रेणी व संख्या तथा उन पर होने वाला वार्षिक व्यय, (४) नई प्रतिलिपियां बेचने से होने वाली आय, (५) जनता या सरकारी विभागों द्वारा लिखवाई गई अतिरिक्त लाइनों या अन्य संबंधित बातों से होने वाली आय, (६) विज्ञापन से होने वाली कुल तथा शुद्ध आय, (७) विज्ञापन प्राप्त करने के लिये प्रबन्ध, (८) टेलीफ़ोनों की संख्या जिस के लिये डाइरेक्टरी छापी जाती है और (९) टेलीफ़ोन रखने वालों द्वारा लौटाई गई पुरानी प्रतिलिपियों की बिक्री से होने वाली आय; तथा

(घ) इन वर्षों में किन किन टेलीफ़ोन यूनिटों ने लाभ दिखाया और किन-किन ने हानि ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (घ). सूचना इकटठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

**"अधिक अन्न उपजाओ" योजनायें**

५६२. **श्री वी० पी० नायर : खाद्य तथा कृषि मंत्री** २५ अगस्त १९५३ को "अधिक अन्न उपजाओ" ऋणों के सम्बन्ध में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४५७ के बारे में दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रावणकोर-कोचीन राज्य द्वारा मांगी गई राशि के बारे में कोई विस्तृत योजना मिली है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार योजना की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखेगी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):** (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा १९५३-५४ में जिन योजनाओं के लिये ऋणों की मांग की गई थी उन में से प्रत्येक के बारे में विस्तृत विवरण की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१**]।

**केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन**

५६३. **पंडित सी० एन० मालवीय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राज्य-वार कुल एकड़ भूमि जो केन्द्रीय ट्रेक्टर संघटन द्वारा जोती गई; तथा

(ख) संघटन पर राज्य-वार व्यय की गई राशि जिस में भूमि को जोतने का व्यय तथा संबंधित विभागों द्वारा प्रशासन एवं निरीक्षण पर किया गया व्यय शामिल हो ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय ट्रेक्टर संघटन द्वारा जितनी भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया है उस का विवरण इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | २,०९,००६ एकड़ |
| मध्य प्रदेश | ३,१० ७५१ एकड़ |
| मध्य भारत | १,८५,९२५ एकड़ |
| भोपाल | २,६१,०८९ एकड़ |
| पंजाब | १३,५२१ एकड़ |
| | कुल ९,८०,२९२ एकड़ |

(ख) वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के अंत तक केन्द्रीय ट्रेक्टर संघटन पर कुल लगभग ८,७५,३६,००० रुपया ख़र्च किया गया है। यह आंकड़ा अनुमानित इसलिये है क्योंकि १९५२-५३ का व्यय अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है। राज्यवार व्यय का हिसाब नहीं रखा जाता। संघटन द्वारा किये गये विभिन्न प्रकार के कामों के लिये विभिन्न राज्यों से ख़र्चा वसूल करने की समान दरों का हिसाब लगाने के लिये संघटन के सारे ख़र्चे को गिना जाता है। जो राशि ऊपर दी गई है उस में सारा ख़र्चा, यानी कर्मचारियों पर होने वाला व्यय, ट्रेक्टरों तथा अन्य मशीनों का मूल्य, ईंधन तथा मशीन में डालने के तेलों पर होने वाला व्यय आदि शामिल है।

**टेलीफोन एक्सचेन्ज**

**५६४. प्रो० डी० सी० शर्मा : संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशियारपुर, कांगड़ा और गुरदासपुर ज़िलों में कितने टेलीफ़ोन एक्सचेंज हैं ;

(ख) क्या इन ज़िलों में नये टेलीफ़ोन एक्सचेंज खोलने या टेलीफ़ोन लाइनों को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है; तथा

(ग) इन ज़िलों में टेलीफ़ोन करने के सार्वजनिक स्थान कितने हैं ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** :

(क) होशियारपुर १
कांगड़ा १
गुरदासपुर ४

(ख) इस वर्ष पालमपुर (ज़िला कांगड़ा) में एक एक्सचेंज खोला जायेगा। नरपुर और शाहपुर में टेलीफ़ोन करने के सार्वजनिक स्थान खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) होशियारपुर ८
कांगड़ा ११
गुरदासपुर १५

बिना टिकट सफर

**५६५. प्रो० डी० सी० शर्मा : रेल मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में बिना टिकट के सफ़र को प्रभावी रूप में रोकने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं; तथा

(ख) इन के क्या परिणाम निकले ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) उत्तर रेलवे में बिना टिकट के सफ़र को प्रभावी रूप से रोकने के लिये निम्नलिखित क़दम उठाये गये हैं :—

(१) मुख्य तथा जंक्शन स्टेशनों पर टिकट कलक्टरों को आने जाने वाले मुसाफ़िरों के टिकट चेक करने के लिये नियुक्त किया गया है।

(२) टिकट चेक करने के स्टेशनों पर, जो बड़े बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं, सारी गाड़ियों को, जो वहां से चलती हैं या गुज़रती हैं, पूरी तरह से चेक किया जाता है।

(३) जहां जहां संभव होता है एक टी० टी० ई० को गाड़ी को पूरे रास्ते चेक करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

(४) गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण में चेकिंग करने के लिये टिकट चेकरों की विशेष टुकड़ियों की व्यवस्था की जाती है।

(५) विशेष रेलवे मजिस्ट्रेटों के साथ काम करने वाली टुकड़ियों तथा प्रधान कार्यालय की टुकड़ी द्वारा एक गज़ेटेड अधिकारी के निरीक्षण में अचानक चेकिंग किया जाता है। कभी कभी यह टुकड़ियां बस से जा कर छोटे स्टेशनों पर अचानक चेकिंग भी करती हैं। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वहीं के वहीं कार्यवाही की जाती है।

(६) समाचार पत्रों द्वारा तथा अन्य प्रकार से इस बात का प्रचार किया जाता

है कि लोग बिना टिकट सफ़र न करें। इन के द्वारा गाड़ी में चलने से पहले उचित टिकट खरीदने के बारे में प्रत्येक नागरिक के कर्त्तव्य की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में उत्तर रेलवे में जितने मुसाफ़िर बिना टिकट के या ग़लत टिकट के पकड़े गये और उन से जो राशि वसूल की गई उस का विवरण इस प्रकार है :—

| | पकड़े जाने वाले मुसाफ़िरों की संख्या | वसूल की गई राशि रु० |
|---|---|---|
| १९५१-५२ | २,२१२,५८७ | ४२,६२,५०६ |
| १९५२-५३ | १,८६२,६८९ | ३५,८८,७२१ |

**उत्तर रेलवे पर यात्रियों की सुविधाओं सम्बन्धी समिति**

५६६. **प्रो० डो० सो० शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर यात्रियों की सुविधाओं सम्बन्धी समिति बनाई गई है ;

(ख) क्या इस ने कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ग) इस द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं; तथा

(घ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या पग उठाए गए हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) रेलवे मंत्रणा समितियों के पुनर्संघठन पर, १-३-१९५३ से यात्रियों की सुविधाओं सम्बन्धी समिति जो पहले उत्तरी रेलवे पर काम किया करती थी नहीं रही। ज्यूं ही महाखण्डीय रेलवे प्रयोक्ताओं की परामर्शदात्री समिति बनाई गई तो पुरानी स्थानीय मंत्रणा समिति के स्थान पर २७ जुलाई १९५३ को एक नई समिति बनाई गई थी।

(ख) नई यात्रियों की सुविधाओं संबंधी समिति १९५४-५५ के लिए प्रस्थापनाओं की जांच करेगी और किसी समय अगले वर्ष अपनी सिफारिशें भेजेगी।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**पेप्सू में फालतू चने और चने की दाल**

५६७. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पैप्सू के पास चने की दाल और चने फालतू हैं ?

(ख) सरकार ने बीकानेर तथा राजस्थान इत्यादि में दुर्भिक्ष का मुकाबला करने के लिये इस अतिरिक्त अन्न को प्रयोग करने के हेतु क्या पग उठाए हैं ?

(ग) सरकार ने पैप्सू की चने की भूसी तथा चूरी को दुर्भिक्ष के क्षेत्रों के पशुओं के लिये प्रयोग करने के हेतु क्या पग उठाए हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)**: (क) जी हां।

(ख) राजस्थान में भी चने फालतू हैं और इसलिए पैप्सू के चने वहां प्रयोग करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायता प्रथमतया राज्य का उत्तरदायित्व है। क्योंकि चारे को राज्यों में लाने ले जाने पर प्रतिबंध नहीं है सम्बन्धित राज्य सरकारें चारे की जितनी मात्रा आवश्यक समझें पैप्सू से आयात करने के लिये स्वतंत्र हैं।

**फाबसगंज-बोरपुर तार की लाईन**

५६८. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या संचरण मंत्री २० अप्रैल १९५३ को पूछे

गए तारांकित प्रश्न सं० १४५३ की ओर निर्देश करने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बलवा बाज़ार नरपत गंज की ओर से, फार्बसगंज से बीरपुर तक तार की लाईन लगाने के लिए प्रत्याभूति के निबन्धनों को बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो कब कार्य आरम्भ होने की आशा है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**रेल के कर्मचारी**

५६९. **पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च १९५३ को विभिन्न अनुसचिवीय वर्गों में काम करने वाले स्नातक तथा स्नातकोत्तर रेलवे कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) ऐसी स्थायी तथा अस्थायी स्वीकृत नौकरियों की संख्या क्या है जिन के लिये विहित अर्हता विश्वविद्यालय की उपाधि है और जो संयुक्त मंत्रणा समिति की सिपारिशों पर रेलवे बोर्ड के निर्णय अनुसार केन्द्रीय वेतन आयोग के ८०–२२० रु० के स्तर पर रखी गई थी ; तथा

(ग) क्या रेलवे में अन्य सरकारी विभागों से भिन्न अपर डिवीज़न वर्ग के क्लर्क अथवा वैसी ही अनुसचिवीय नौकरियां नहीं हैं, जिन में नियुक्ति अथवा तरक्की के लिये केवल स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पात्र हो सकते हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सं० ४२**]

(ख) अब रेलवे में ऐसी अनुसचिवीय नौकरियां नहीं हैं जिन के लिए विहित अर्हता विश्वविद्यालय की उपाधि हो, परन्तु १२० क्लर्क जो १९४९ से पूर्व विश्वविद्यालय की उपाधि सहित नियुक्त किए गए थे उन्हें निजी तौर पर ८०–२२० रु० का स्तर दिया गया था ।

(ग) अब कोई अनुसचिवीय नौकरियां नहीं हैं जिन के उम्मीदवारों के लिए स्नातक होना आवश्यक हो ।

**बिना टिकट यात्रा**

५७०. **पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) वर्ष १९५२-५३ में पकड़े गये बिना टिकट यात्रियों की संख्या तथा;

(२) ऐसे यात्रियों से वसूल किये गये जुर्माने और किराए की कुल राशि क्या है ;

(ख) (१) कितने व्यक्ति न्यायालय में चलान किये गये, (२) कितने अपराधी थे और अपराधी ठहराए गए, तथा (३) उन से जुर्माने की कितनी राशि वसूल की गई; तथा

(ग) ये आंकड़े गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) (१) १९५२-५३— ८,४१५,०८८

(२) १,६६,६८,०७३ रु०

(ख) (१) २६२,६५३

(२) १७२,०५३

(३) ५,१२,२१९ रु०

(ग) प्रश्न के (क) तथा (ख) भाग के सम्बन्ध में १९५१-५२ के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं

(क) (१) ७,९००,९१८

(२) १,६५,५८,१८० रु०

(ख) (१) २२४,५००

(२) १५९,४८६,

(३) ४,५७,०६४ रु० ।

**नए चिकित्सालय**

५७१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३ में भारत सरकार ने नए चिकित्सालयों की रचना के लिये कुल कितनी राशि के सहायता-अनुदानों की स्वीकृति दी है ?

**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री मती चन्द्रशेखर)** : जहां तक १९५३-५४ का सम्बन्ध है अभी तक कोई नहीं ।

**तम्बाकू**

५७२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में तम्बाकू की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन कियां गया; तथा

(ख) १९५३-५४ में कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की कृषि हुई ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) १९५२-५३ के तम्बाकू के अन्तिम अनुमान के अनुसार २११,००० टन । तो भी अनुपूरक अनुमान के आधार पर जो अभी उपलब्ध नहीं इस में संशोधन किया जा सकता है ।

(ख) उपलब्ध नहीं । बहुत से क्षेत्रों में अभी तम्बाकू का बोना पूरा नहीं हुआ ।

**सार्वधातुक रेलवे-कोचें**

५७३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में आजकल प्रयोग में आने वाली सार्वधातुक रेलवे कोचों की कुल संख्या;

(ख) भारत में निर्मित होने वाली इस प्रकार की कोचों की संख्या; तथा

(ग) विदेश से आयात होने वाली कोचों की संख्या ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ७९५.

(ख) ५८०.

(ग) २१५.

**चाय बागों के श्रमिक**

५७४. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में चाय बागों के श्रमिकों में से कितनों की छंटनी की गई है ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)** : प्राप्य सूचना के अनुसार १९५३ में पश्चिमी बंगाल से भिन्न राज्यों में स्थित चाय बागों से १२,५५८ श्रमिकों की छंटनी की गई थी। पश्चिमी बंगाल में चाय बागों के बन्द हो जाने से नवम्बर ५२ से अप्रैल १९५३ की कालावधि में ८०७३ श्रमिक बेकार हो गए। पश्चिमी बंगाल के १९५३ के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**नीलस्फसैकिज (Kynite) की खानों में श्रमिकों का उपद्रव**

५७५. **श्री रघुवैय्या** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जून तथा जुलाई १९५३ के महीनों में नैलोर ज़िले की नीलस्फसैकिज (Kynite ) की खानों में कोई श्रमिकों का उपद्रव हुआ ?

(ख) यदि ऐसा है तो उस के क्या कारण हैं ?

(ग) सरकार ने श्रमिकों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या पग उठाये हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)** :(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) हाल के निरीक्षण से पता लगा है कि वहां कोई बड़ी अनियमिता अर्थात् परिश्रमिक का न देना अथवा अवैध कटौतियां नहीं हुईं। श्रमिकों को अतिरिक्त पारिश्रमिक दिये बिना अधिक समय काम करने के लिए नहीं कहा जाता। पारिश्रमिक देर से देने के कुछ छोटे मामले थे। इन पर तथा आवश्यक समझी गई सुविधाएं देने के प्रश्न पर प्रबंधक विचार कर रहे हैं। कर्मचारि वृन्द के लिये स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने और मज़दूर समितियां स्थापन करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

**उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी**

५७६. **श्री संगण्णा** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी लि० आरम्भ करने के लिए मोटर गाड़ियां खरीदने पर कुल कितनी राशि व्यय हुई;

(ख) क्या मोटर गाड़ियों के खरीदने से पूर्व रेलवे प्रशासन से परामर्श लिया गया था;

(ग) गैर सरकारी गाड़ियों के मालिकों को प्रतिकर रूप में कितनी राशि दी गई;

(घ) प्रतिकर देने के विषय में क्या प्रणाली अपनाई गई है;

(ङ) क्या प्रतिकर के कोई दावे शेष हैं;

(च) रेलवे प्रशासन समवाय के प्रबन्ध पर किस प्रकार का नियंत्रण रखता है;

(छ) समवाय के आरम्भ से कितनी गाड़ियां खरीदी गईं; तथा

(ज) कितनी गाड़ियां अब सड़क पर चलने योग्य हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी लि० ने जनवरी १९५१ में कार्य आरम्भ करने के समय मोटर गाड़ियों के खरीदने पर ७·३७५ लाख रुपया लगाया। ५ दिसम्बर १९५० को समवाय के निर्देशकों के बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में मोटर गाड़ियों की खरीद का अनुमोदन किया था।

(ग) से (ङ). उड़ीसा सरकार से मिली जानकारी के अनुसार समवाय ने निकाले गये कर्मचारियों को उड़ीसा मोटर गाड़ियां (तांगे तथा सार्वजनिक वाहन सेवाओं का विनियमन) अधिनियम १९४७ और उस के अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार उन काम करने वालों को जो निकाले गये हैं, १०,८८० रुपए का प्रतिकर दिया है। प्रतिकर के अभी शेष दावे १४ हैं।

(च) आठ निर्देशकों का बोर्ड समवाय के प्रशासन को चलाता है, जिन में से दो रेलवे प्रशासन द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये हैं।

(छ) तथा (ज). इस के आरम्भ से समवाय ने ७२ बसें, एक ट्रक, एक स्टेशन वैगन एक सहायता गाड़ी तथा दो मोटर साईकल खरीदे हैं। ये सब गाड़ियां अभी सड़क पर चलने योग्य हैं सिवाए १२ पुरानी बसों के जो निकाले गए काम करने वालों से ली गईं। इन खराब हुई १२ गाड़ियों में से ५ निलामी द्वारा बेची गईं, २ चलने के योग्य नहीं, और बाकी ५ की पूरी मुरम्मत हो रही है और आशा है कि वे शीघ्र चलने योग्य बन जायेंगी।

**सिंगारानी कोयला खानों में दुर्घटनायें**

५७७. **श्री विट्ठल राव**: (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिनांक २५ जुलाई, १९५३

को कोथागुदिम में प्रातःकाल सिंगारानी कोयला खानों की ढाल सं० ३ में एक छत के गिर जाने के फलस्वरूप तीन मज़दूरों की मृत्यु हो गई और एक बुरी तरह घायल हो गया ?

(ख) सिंगारानी कोयला खानों में १९५२ के पत्री वर्ष और पहली जनवरी से ३१ वीं जुलाई, १९५३ के बीच सांघातिक दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी थी ?

(ग) ढाल सं० ३ का खानों के निरीक्षण द्वारा पिछली मर्तबा कब निरीक्षण किया गया था ?

(घ) एक वर्ष में कितनी मर्तबा उन से किसी खान के निरीक्षण की आशा रखी जाती है ?

(ङ) ढाल संख्या ३ की दुर्घटना के कितने दिनों पश्चात् खानों के निरीक्षक ने उक्त दुर्घटना की जांच की थी ?

(च) निरीक्षक महोदय की जांच का क्या परिणाम है ?

(छ) सिंगारानी कोयलाखानों की बहु-संख्यक दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में दिनांक ३० जुलाई १९५२ की अर्द्धघण्टीय बहस में मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दुर्घटना की जांच के लिये क्या सरकार एक अ-राजकीय समिति स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि):** (क) हां।

(ख) १९५२ में २० और १९५३ में ३१ जुलाई तक ४.

(ग) २८ जनवरी, १९५३ .

(घ) वर्ष में एक बार और परिस्थितियां अनुमति दें तो प्रायः कई बार। निरीक्षक के पास खानों का एक कनिष्ठ निरीक्षक भी है जो खानों की जांच करता है।

(ङ) आठ दिन।

(च) निरीक्षण के अनुसार छत की एक परत के फिसल कर छत पर गिर जाने से उक्त दुर्घटना घटी। छत का आधार यथेष्ट दृढ़ था और निरीक्षण का कर्मचारी-वर्ग ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह किया था।

(छ) सन् १९५१ में सिंगारानी की खानों में दुर्घटना का अनुपात भारत की समस्त कोयलाखानों की औसत से प्रायः तिगुना था वह १९५३ में औसत से नीचा हो गया है। इस सुधार को ध्यान में रखते हुए और खानों के निरीक्षक द्वारा वर्तमान दुर्घटना की जांचकर लेने और उस के कारणों की स्पष्ट रूप से स्थापना कर चुकने पर यह प्रकट है कि किसी भी भांति व्यवस्था का दोष नहीं है। उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में आगे जांच करने के आदेश की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

**कटनी-परवाडा में रेल के डिब्बों के प्रबन्ध की क्षमता**

५७८. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४७ से प्रारम्भ हो कर १९५२ तक और सन् १९५३ के प्रथम छः महीनों के लिये, प्रत्येक वर्ष के अलग-अलग, दैनिक औसत के निम्न आंकड़े :—

(१) हिंगीरामपुर और ईब नदी की दो उड़ीसा की कोयला खानों सहित मध्यभारत कोयलाखानों द्वारा मंगाये गये डब्बों की संख्या ;

(२) कोयला आयुक्त द्वारा स्वीकृत कोयला रवाना करने के कार्यक्रम के अनुसार उक्त कोयला खानों द्वारा अपेक्षित डब्बों की संख्या; और

(३) उक्त कोयला क्षेत्र को वस्तुतः सम्भरण किये गये डब्बों की संख्या;

(ख) क्या यह संच है कि कटनी–पखाड़ा का सीमित प्रबन्ध ही उक्त कोयला क्षेत्र से कोयले के कम यातायात का मुख्य कारण है; और

(ग) कटनी-परवाड़ा की रेल के डब्बों की प्रबन्ध-क्षमता में वृद्धि कर उक्त क्षेत्रों में कोयले के संचय की स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में क्या सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (१) से (३). मांगे गये डब्बों की औसत दैनिक संख्या, कोयला आयुक्त द्वारा आवंटन और हिंगर रामपुर तथा ईब नदी की दो उड़ीसा कोयला खानों सहित मध्य भारत कोयला क्षेत्रों को वस्तुतः सम्भृत परिमाण बतलाने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा है। [देखो परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४३]

(ख) कटनी-परवाड़ा यार्ड की सीमित प्रबन्ध क्षमता मध्य भारत कोयला क्षेत्र से कोयला के कम परिवहन के मुख्य कारण है।

(ग) हां और उक्त क्षमता की वृद्धि के लिये अपेक्षित कार्य १९५४–५५ में पूर्ण होने की संभावना है।

### डाक और तार कारखाने

५७९. **श्री के० सी० सोधिया:** (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीपुर, बम्बई और जबलपुर में से प्रत्येक में (१) निरीक्षणिका कर्मचारी वृन्द (२) श्रमिक (कुशल और अकुशल) शीर्षकों के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक ३१ मार्च १९५२ और दिनांक ३१ मार्च १९५३ को कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या थी?

(ख) उक्त कारखानों में से प्रत्येक का १९५१–५२ और १९५२–५३ में क्रमशः उत्पादन कितना था?

(ग) उक्त कारखानों द्वारा १९५१–५२ और १९५२–५३ में प्रयुक्त किये गये कच्चे माल का कुल मूल्य कितना था?

(घ) उपर्वर्णित अवधि में उक्त कारखानों में से प्रत्येक का निर्वाह व्यय कुल कितना था?

(ङ) उक्त अवधि में प्रबन्ध बोर्ड का व्यय कितना था?

**संचरण उप मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है :–

| कर्मचारियों की श्रेणी | कर्मचारियों की कुल संख्या ३१ मार्च १९५२ | ३१ मार्च १९५३ |
|---|---|---|
| **अलीपुर का कारखाना** | | |
| निरीक्षणिका | | |
| कर्मचारी-वृन्द | १०६ | १३४ |
| कुशल श्रमिक | १६७४ | १६६४ |
| अकुशल श्रमिक | २९५ | २७० |
| योग | २०७५ | २०६८ |
| **बम्बई का कारखाना** | | |
| निरीक्षणिका | | |
| कर्मचारीवृन्द | ७४ | ८५ |
| कुशल श्रमिक | ९७९ | १०५० |
| अकुशल श्रमिक | १४७ | १६६ |
| योग | १२०० | १३०१ |
| **जबलपुर का कारखाना** | | |
| निरीक्षणिका | | |
| कर्मचारीवृन्द | ७६ | ७६ |
| कुशल श्रमिक | ९६० | ९९१ |
| अकुशल श्रमिक | ३४१ | ३४७ |
| योग | १३७७ | १४१४ |

(ख) कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :—

| | १९५१–५२ रुपयों में | १९५२–५३ रुपयों में |
|---|---|---|
| अलीपुर | ६५·१ लाख | ८१·२ लाख |
| जबलपुर | ५२·१ लाख | ७४·१ लाख |
| बम्बई | ८०·८ लाख | ११०·८ लाख |
| योग | १९८·० लाख | २६६·९ लाख |

(ग) प्रयुक्त कच्चे माल का मूल्य इस तरह है :—

| | १९५१–५२ रुपयों में | १९५२–५३ रुपयों में |
|---|---|---|
| अलीपुर | २७,४४,७५२ | ३७,९१,२९२ |
| जबलपुर | ३७,४३,७६० | ५८,६७,५२२ |
| बम्बई | ५०,७७,८०७ | ७०,३९,६०६ |
| योग | १,१५,६६,३१२ | १,६६,९८,४२० |

(घ) कुल निर्वाह व्यय निम्न है :—

| | १९५१–५२ रुपयों में | १९५२–५३ रुपयों में |
|---|---|---|
| अलीपुर | २१,६७,७८२ | २०,५६,१६९ |
| जबलपुर | १२,६२,४९१ | १६,४३,९७१ |
| बम्बई | २०,३५,५०१ | १७,३०,६९३ |
| योग | ५४,६५,७७४ | ५४,३०,८३३ |

(ङ) प्रबन्ध बोर्ड का निर्वाह व्यय १९५१–५२ में लगभग १०,५०० रु० और १९५२–५३ में लगभग ११,२०० रु० था।

### चावल

५८०. **श्री अच्युतन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में केन्द्र के पास १९५३ के उत्तरार्द्ध के लिये चावल के कुल परिमाण की स्थिति क्या है और १९५४ के लिये यह अनुमानतः कितनी है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):** दिनांक १ जुलाई १९५३ को केन्द्रीय अधिरक्षित गोदामों में २६,००० टन और राज्य सरकारों के पास ९१२,००० टन अर्थात् कुल ९३८,००० टन चावल उपलब्ध था। वर्तमान चिन्हों के आधार पर पहली जनवरी, १९५४ को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास लगभग साढ़े तीन लाख टन चावल उपलब्ध होने की संभावना है।

### मैडिकल कालेज

५८१. **श्रीमती मायादेव :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४७ के पश्चात् भारत में कितने मेडिकल डिग्री कालेज प्रारम्भ किये गये हैं ?

(ख) उक्त कालेजों में से कितने अभी भी अस्वीकृत हैं ?

(ग) भारत में कितने राज्यों में मेडिकल डिग्री कालेज हैं ?

(घ) क्या पूना का मेडिकल कालेज सरकार द्वारा स्वीकृत है ?

(ङ) यदि नहीं है तो उस के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) :** (क) नौ।

(ख) इन मेडिकल कालेजों में से आठ अभी भी अस्वीकृत हैं।

(ग) पन्द्रह।

(घ) नहीं।

(ङ) कालेज में अध्ययनार्थ निवेशित सुविधाओं और परीक्षाओं के निर्धारित स्तर की अक्टूबर, १९५२ में जांच की गई थी। निरीक्षकों के प्रतिवेदन को जनवरी १९५३ में पूना विश्वविद्यालय के पास उन के टीका-टिप्पणी हेतु प्रेषित कर दिया गया था। विश्वविद्यालय की टीका भारत की मेडिकल

परिषद् को जून १९५३ में प्राप्त हुई और परिषद् की पिछले मार्च की बैठक में विचार की दृष्टि से काफी देर हो चुकी थी। परिषद् अक्टूबर १९५३ की आगामी बैठक में इस पर विचार करेगी।

**आमला-पटसिया लाइन पर एक मालगाड़ी की टक्कर**

५८२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन की आमला-परसिया लाइन पर २२ अगस्त, १९५३ को एक मालगाड़ी एक इंजन से टकरा गयी, जिस के फलस्वरूप छः डिब्बे पलट गये और ४ डिब्बे पटरी से उतर गये;

(ग) यदि यह सच है, तो दुर्घटना का कारण; तथा

(ग) क्या कोई हताहत हुआ और यदि हां, तो कितने ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां। दिनांक २२ अगस्त '५३ को लगभग पौने तीन बजे सं० ७९० अप मालगाड़ी आमला-परसिया लाइन पर बोरघई और नवेगांव स्टेशनों के बीच डाऊन लाइट एंजिन से टकरा गई। फलस्वरूप दोनों एंजिन तथा मालगाड़ी के एंजिन के पीछे लगे हुए नौ डब्बे पटरियों से उतर गये। इन नौ में से छः डब्बे चूर चूर हो गये। दसवें डब्बे को क्षति हुई।

(ख) रेलों के सरकारी निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिन्हों ने कि उस सम्बन्ध में जांच की थी उक्त दुर्घटना का कारण ज्ञात हो सकेगा।

(ग) मालगाड़ी के ड्रायवर और दो कोयला झोंकने वाले घायल हो गये इन में से पहले की अवस्था गंभीर है।

**मिली जुली टिकटें**

५८३. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिवास के विभिन्न दर्जों और गाड़ियों अर्थात् मेल, एक्सप्रेस अथवा सामान्य गाड़ियों में दोनों के सम्बन्ध में मिली जुली टिकटें जारी करने के क्या नियम हैं ?

(ख) क्या यह नियम प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार परिवर्तनीय है अथवा सभी छहों क्षेत्रों के लिये समान है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). सामान्य नियम यह है कि मिली जुली टिकटें केवल वही जारी की जाती हैं जहां कि यात्रा के दौरान में रेल-मार्ग के समूचे भाग में उसी दर्जे का अधिवास उपलब्ध नहीं है। दक्षिण रेल के अतिरिक्त सभी रेलों के सहायक नियमों के अनुसार मिली जुली टिकटें वहीं जारी की जाती हैं जहां कि यात्रा का एक भाग मेल या एक्सप्रेस गाड़ियों से पूरा करना पड़ता है और शेष सामान्य गाड़ियों से। दक्षिण रेल में मेल या एक्सप्रेस और सामान्य गाड़ियों की मिलीजुली टिकटें स्थानीय टिकटघरों पर ही जारी की जाती हैं, दूसरी रेलों के टिकट लेने की अवस्था में, मेल या एक्सप्रेस अथवा सामान्य गाड़ियों के लिये उपलब्ध होने वाली टिकटें ही दी जाती हैं।

**वनस्पति तेलों को रंगदार बनानेवाली सामग्री का आयात**

५८४. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वनस्पति में रंग देने और उस में घी की महक उत्पन्न करने के लिये १५ अगस्त १९४७ से ३१ मार्च १९४८ तक और १९४८-४९ से १९५१–५२ के वित्तीय वर्षों में किस परिमाण तथा कितने मूल्य के पदार्थों का आयात किया गया ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : सूचना संग्रहीत की जा रही है।

**विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली**

५८५. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल को लेने और उसे विस्तृत रूप देने के विषय में वर्तमान स्थिति क्या है ?

**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: इस विषय में नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली राज्य सरकार का जो परामर्श लिया गया वह प्राप्त हो गया है और उक्त परामर्श को हस्तिगत रखते हुए इस प्रश्न की जांच की जा रही है।

सोमवार,
७ सितम्बर, १९५३

सत्यमेव जयते

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

चौथा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

# लोक सभा

सोमवार, ७ सितम्बर १९५३

---

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्न और उत्तर

**(देखिए भाग १)**

---

९.३२ म० पू०

## सदन पटल पर रखे गय पत्र

**विभिन्न आश्वासनों इत्यादि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण**

**सांसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा)** : म सदन पटल पर कुछ विवरण रखता हूं जिनसे प्रकट होता है कि सरकार ने विभिन्न सत्रों में दिये गए आश्वासनों, वचनों तथा वायदों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है। प्रत्येक विवरण के साथ उस सत्र का भी हवाला दिया गया है जिसमें तत्सम्बन्धी आश्वासन दिया गया था।

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ४—लोकसभा का १९५३ का तीसरा सत्र [**देखिए परिशिष्ट**.....]





(२) अनुपूरक विवरण संख्या ५—लोक सभा का १९५२ का दूसरा सत्र [**देखिये परिशिष्ट**.....]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ६—लोक सभा का १९५२ का पहला सत्र [**देखिए परिशिष्ट**.....]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ६—अस्थायी संसद् का १९५० का तीसरा सत्र (पहला भाग) [देखिये परिशिष्ट.....]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या ९—अस्थायी संसद का १९५० का पहला सत्र **देखिये परिशिष्ट**.....]

---

## सम्पदा शुल्क विधेयक—जारी

**खण्ड ३० शीघ्र घटित होने वाले उत्तराधिकार इत्यादि के लिये रियायतें**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन, सम्पदा शुल्क के आरोपण तथा वसूली के उपबन्ध बनाने के लिये इस विधेयक पर आगे विचार करेगा। २ से २९ तक के खण्डों पर विचार हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम ३० से ३४ के खण्डों पर विचार करेंगे। इस के लिये तीन दिन का समय देंगे।

**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि खण्ड ३४ के परिशिष्ट पर भी विचार किया जायगा ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ३४ के साथ परिशिष्ट पर भी विचार किया जायगा।

[उपाध्यक्ष महोदय]

अब माननीय सदस्य खण्ड ३० के संशोधन प्रस्तावित करें।

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १८ पंक्ति ४० में :

"ten"["दस"] के स्थान पर "thirty" ["तीस"] रक्खा जाये।

[इस खण्ड के विषय में इन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये :

श्री जी० डी० सोमानी, श्री वी० पी० नायर, श्री मूलचन्द दुबे, श्री शोभाराम, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री एच० जी० वैष्णव, श्री झूलन सिन्हा, श्री कृष्णचन्द्र, श्री सिंहासन सिंह, श्री सी० आर० इय्यनी, श्री तेलकीकर तथा श्री के० के० बसु]

**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले वित्त मंत्री फिर अन्य सदस्य अपने अपने संशोधनों पर बोलें।

**श्री सी० डी० देशमुख** : पृष्ठ १८ पंक्ति ४० में 'तीस' के स्थान पर 'दस' टाइप की भूल है। हमें खेद है कि हम इसे पहले नहीं देख पाये।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़): तब मैं अपना संशोधन जिसकी संख्या ८३ है वापस लेता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १८ पंक्ति ४० में,—

"ten" ["दस"] के स्थान पर "thirty" ["तीस"] रक्खा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर—दक्षिण): मैं भी अपना संशोधन संख्या ५२९ वापस लेता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि कोई माननीय सदस्य अपने संशोधन पर बोलना चाहता हो तो वह बोले।

**श्री जी० डी० सोमानी** : (नागौर पाली) श्रीमान्, यह खण्ड इंग्लैण्ड के अधिनियम से लिया गया है। हमारे देश में इंग्लैण्ड की अपेक्षा मृत्यु संख्या बहुत अधिक है जिसके कारण पर्याप्त रियायतें देने की आवश्यकता है। अतः मैं सदन से अपने संशोधन को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

**श्री कृष्णचन्द्र** (ज़िला मथुरा पश्चिम) : कहा गया है कि हमारे देश की मृत्यु संख्या इंग्लैण्ड की अपेक्षा बहुत अधिक है। इस का तो अर्थ यह है कि इंग्लैण्ड में मृत्यु एक के बाद दूसरी शीघ्र नहीं होती है जब कि हमारे देश में शीघ्र होती है। इसका प्रभाव यह होगा कि इस उपबन्ध से इंग्लैण्ड को इतनी हानि नहीं उठानी पड़ती है जितनी हमें उठानी पड़ेगी।

मृत्यु संख्या के अधिक होने का तात्पर्य यह नहीं है कि मृत्यु एक के बाद दूसरी शीघ्र होगी क्योंकि यदि मृत्यु संख्या अधिक है तो वह सब के लिये है। यदि इंग्लैण्ड में बच्चे एक के बाद दूसरे देर में जन्मते हैं तो इसका अर्थ है कि इंग्लैण्ड में मृत्यु भी एक के बाद दूसरी देर में होती है। परन्तु हमारे देश में बच्चे एक के बाद दूसरे डेढ़ दो वर्ष ही में पैदा हो जाते हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि यदि हम इस देश में भी वही रियायतें देंगे जो इंग्लैण्ड में दी गई हैं तो हमें इंग्लैण्ड की अपेक्षा कहीं अधिक हानि होगी। अस्तु, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

**श्री सी० डी० पाण्डे** (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर) : मेरा विचार है श्री कृष्णचन्द्र ने इस देश की स्थिति के सम्बन्ध में जो विचार बताया है वह अत्यन्त भ्रम-

मूलक है। इंग्लैण्ड में भारत की जैसी संयुक्त परिवार प्रणाली नहीं है; अस्तु यदि यह रियायतें इस देश में न दी गई तो एक के बाद दूसरी शीघ्र होने वाली मृत्यु के कारण बड़ी कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी। क्योंकि यद्यपि सम्पत्ति अलग अलग सदस्यों के नाम अलग चढ़ी है फिर भी वे संयुक्त हैं।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : खण्ड ३० में रखे गए संशोधन यथोचित हैं। यदि प्रथम मृत्यु के तीन वर्ष के बीच एक दूसरी मृत्यु हो जाती है इस सम्बन्ध में यह कोई गलती है, ठीक है। ऐसा जान बझ कर रखा गया है। अतः इसमें संशोधन की काफी गुंजाइश है जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वीकार भी कर लिया है।

प्रवर समिति ने भी कहा है कि ऐसी दशा में शुल्क नहीं लगना चाहिये। एक वर्ष का समय बहुत ही कम है। हमको अपने देश की स्थितियों को ध्यान में रख कर नियम बनाना है, विदेश की नकल करके नहीं। इससे मिताक्षरा वालों की हानि होगी। और यदि दायभाग में भी लागू कर दिया गया तो इससे हिन्दुओं के अतिरिक्त धर्मावलम्बियों की हानि होगी। हमारे देश में अधिक संख्या मिताक्षरा परिवार वालों की है, उनको सहायता देने के लिये इंकार कर दिया गया। एक के बाद दूसरे की मृत्यु पर लगातार शुल्क लगाते जाना उचित नहीं है। मुसलमानों, ईसाइयों तथा पारसियों आदि के साथ बड़ी सहृदयता दिखाई जाती है और मिताक्षरा परिवार वालों के साथ कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? मेरा कथन यह है कि यदि प्रथम मृत्यु होने के तीन वर्ष के अन्दर एक और मृत्यु हो जाती है तो उस पर कुछ भी शुल्क नहीं लगना चाहिये। मिताक्षरा परिवार में पिता की मृत्यु के पश्चात् परिवार का विभाजन हो जाता है और सब अलग-अलग हो जाते हैं। ऐसा ही मुसलमानों, ईसाइयों तथा यहूदियों में ी होता है। दायभाग परिवार में पिता की मृत्यु के पश्चात् उसकी सारी सम्पदा का कर-निर्धारण किया जाता है और शुल्क देना पड़ता है। अतः यदि जैसा कि सोचा जा रहा है वैसा ही नियम बन गया तो इस देश के बहुसंख्यकों के साथ अन्याय होगा।

अतः जहां ीघ्र मृत्युएं होती हैं उनमें ४० प्रतिशत छूट देने के बजाय बिल्कुल कर-मुक्त कर देना चाहिये। इस कारण यदि मेरा यह सुझाव मान्य है तो दूसरा सुझाव भी मान्य होना चाहिये कि जहां प्रथम मृत्यु होने के चार वर्ष के भीतर दूसरी मृत्यु हो जाती है ो छूट ५० प्रतिशत और यदि पांच वर्ष के भीतर दूसरी मृत्यु ोती है तो छूट ३० प्रतिशत दी जानी चाहिये।

अमरीका जैसे देश में जहां लोगों की आयु अधिक होती है, वहां भी यह छूट पांच वर्ष के लिये है। हमारे यहां उत्तराधिकार का प्रश्न न होकर अतिजीविका नियम है। एक के बाद दूसरे परिवार के सदस्यों की मृत्यु से सारे परिवार को दुःख होगा। इसके अतिरिक्त सरकार भी उसी समय अधिक से अधिक धन घसीटने का प्रयत्न करेगी क्योंकि प्रत्येक बार एक नया ही उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार परिवार वालों की आर्थिक अवस्था और भी गिरती जायगी। मानवता के दृष्टिकोण से सरकार के लिये ऐसा करना उचित नहीं जान पड़ता। इससे सरकार को आर्थिक लाभ की ओर अधिक ध्यान न देकर समाज के कल्याण की ओर अधिक ध्यान रखना चाहिये। यदि कुछ हानि भी सरकार को उठानी पड़ी तो वह नगण्य है।

अतः हमें इंग्लैण्ड या संयुक्त साम्राज्य का ही अनुकरण नहीं करना है, वरन् हमारे सम्मुख अमरीका तथा जापान का उदाहरण भी है। अतः इस प्रकार शीघ्र उत्तराधिकार

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

बदलने से किसी भी प्रकार सरकार के लिये यह उचित नहीं कि वह अपने लोगों को परेशान करे। अतः मेरे प्रस्ताव स्वीकृत किये जायं।

**श्री एस० एस० मोरे** : मुझे खण्ड ३० के प्रथम भाग के सम्बन्ध में कुछ शंकाएं हैं। मान लीजिये किसी मिताक्षरा परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी सम्पत्ति उसके छः लड़कों को मिलती है। प्रत्येक लड़के को पिता के अंश का छठा हिस्सा मिलता है। अब थोड़े समय ही बाद इन छै लड़कों में से एक लड़के की भी मृत्यु हो जाती है। निर्धारित अवधि के अन्दर दूसरी मृत्यु होने के कारण सम्पदा शुल्क की दर में कुछ कमी की जायेगी। पिता की मृत्यु के बाद सम्पत्ति एक व्यक्ति को तो मिली नहीं है, छै व्यक्तियों को मिली है। उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है। अब मेरा प्रश्न यह है कि पिता की सम्पत्ति किसे मिली समझी जायेगी। मुझ यह भी पूछना है कि इसमें बोर्ड के सन्तोष होने का उपबन्ध रखने की क्या आवश्यकता थी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है। समाचारपत्रों में यह खबर छपी है कि शायद दायभाग परिवारों के सम्बन्ध में विमुक्ति सीमा कुछ बढ़ाई जाने वाली है। मेरा भय यह है कि कहीं हम दायभाग परिवारों के प्रति भेदभाव दूर करने के प्रयत्न में मिताक्षरा परिवारों के प्रति भेदभाव न पैदा कर दें। मैं किसी एक प्रकार के परिवारों का पक्ष नहीं ले रहा हूं। यदि देश में भिन्न भिन्न लोगों की वैयक्तिक विधियों से भेदभाव उत्पन्न होता हो, तो सरकार का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह ऐसे भेदभाव को दूर करे। इस प्रयोजन के लिये सरकार को समुचित समायोजन करना पड़ेगा। यदि समुदाय के किसी एक भाग को कोई रियायत दी गई है, तो दूसरे भाग को भी कुछ न कुछ देना होगा जिससे कि दोनों के बीच सन्तुलन कायम रहे।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर असीन हुए]

अब मैं इस खंड के परन्तुक पर आता हूं। इसमें यह उपबन्ध है कि शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिये कम मूल्य को आधार समझा जायेगा मेरा कहना यह है कि जब आप एक निश्चित काल में दूसरी मृत्यु होने की दशा में शुल्क में छूट दी जाने का उपबन्ध रख चुके हैं तो फिर इस ओर रियायत की क्या ज़रूरत है? यदि स्वयं सरकार के प्रयत्नों से या किन्हीं विकास योजनाओं के फलस्वरूप किसी सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो सम्पदा शुल्क फैलाते समय इस बढ़े हुए मूल्य को आधार क्यों नहीं माना जायेगा?

एक तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि भारत में मृत्यु संख्या की दर अधिक है इसलिये यह अवधि जिसके अन्दर दूसरी मृत्यु होने की दशा में शुल्क की दर में कमी की जाने का उपबन्ध है—अधिक रखी जाय। परन्तु मेरा कहना यह है कि जिन लोगों से सम्पदा शुल्क वसूल किया जायेगा, प्रायः उनमें मृत्यु संख्या की दर अधिक नहीं है और करीब करीब इंग्लैण्ड के बराबर ही है। अतएव हमें इस तर्क से भी प्रभावित नहीं होना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि मेरे इन विचारों पर वित्त मंत्री विचार करें।

**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : खंड ३० में यह उपबन्ध है कि यदि प्रथम मृत्यु के बाद तीन मास के अन्दर दूसरी मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में उस सम्पत्ति पर, जिस पर पहले ही शुल्क लग चुका है, कोई और कर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं विधवाओं की ओर ध्यान

आकृष्ट करना चाहता हूं। विधवाओं के लिये सात वर्ष की जो अवधि दी गई है वह न्यायोचित है। परन्तु मेरी अपनी राय यह है कि विशेष रूप से हिन्दू परिवारों की विधवाओं के लिये अधिक उदारतापूर्ण उपबन्ध किया जाये। सरकार को चाहिये कि प्रारम्भ में दर निश्चित करते समय अधिक उदारता से काम ले, चाहे बाद में उनमें कुछ वृद्धि कर दे। कुछ समय बाद तो लोग इसके अभ्यस्त हो जायेंगे और उन्हें ये दर अखरेंगे नहीं। परन्तु शुरू में तो अधिक उदार उपबन्ध रखे जायें।

**श्री एच० जी० वैष्णव** (अम्बड): जैसा कि खंड ३० इस समय है, मैं समझता हूं कि सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि एक निर्धारित अवधि में दूसरी मृत्यु हो जाने की दशा में सम्पत्ति शुल्क के सम्बन्ध में कुछ राहत दी जाये। मेरे ख़याल में सरकार द्वारा दी गई राहत पर्याप्त नहीं है और मेरे संशोधन संख्या ३७७, ३७८, ३७९, ३८० और ३८१ उसी खंड से सम्बन्ध रखते हैं और उनमें अधिक राहत दी जाने की व्यवस्था है।

इसके पूर्व कि मैं अपने संशोधनों पर कुछ कहूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे श्री मोरे की शंका में कुछ सार प्रतीत होता है। मैं भी यह जानना चाहता हूं कि दूसरी मृत्यु होने पर शुल्क में कमी किस सम्पत्ति के सम्बन्ध में की जायेगी। मान लीजिये एक व्यक्ति ५ लाख रुपये की सम्पत्ति छोड़ कर मरता है। उसके पांच लड़के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि पिता की मृत्यु के पूर्व प्रत्येक के हिस्से में लगभग ८० हज़ार की सम्पत्ति आती थी, तो उसकी मृत्यु के बाद प्रत्येक के हिस्से में करीब २० हज़ार रुपये की सम्पत्ति और आ जाती है। अब मान लीजिये पिता की मृत्यु के एक वर्ष बाद पांच लड़कों में से भी एक लड़का और मर जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि शुल्क में कमी किस सम्पत्ति के सम्बन्ध में की जायेगी। क्या पूरी एक लाख की सम्पत्ति पर कम दर से शुल्क लगेगा या केवल उस बीस हज़ार की सम्पत्ति पर जो कि उस लड़के को अपने पिता के अंश में से मिली थी? इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

अब मैं अपने संशोधनों पर आता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब एक मृत्यु के बाद जल्दी ही दूसरी मृत्यु होने की दशा में सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में कुछ राहत दी जाने का सिद्धान्त मान ही लिया गया है, तो फिर यह राहत यथेष्ट होनी चाहिये। मैंने अपने पहले संशोधन में यही कहा है कि यदि दूसरी मृत्यु पहली मृत्यु के बाद एक वर्ष के अन्दर हो तो कोई शुल्क नहीं लगना चाहिये, यदि दो वर्ष के अन्दर हो तो ५० प्रतिशत पर शुल्क लगना चाहिये, यदि तीन वर्ष के अन्दर हो तो ४० प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिये, यदि ४ वर्ष के अन्दर हो तो ३० प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिये और यदि ५ वर्ष के अन्दर हो तो २० प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि इससे करदाता को भी राहत मिलेगी और सरकार के राजस्व में भी कोई हानि नहीं होगी। यदि दायभाग परिवारों को कुछ रियायत दी जाये तो मिताक्षरा परिवारों के साथ भी उदारता बरती जानी चाहिये।

**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा): खंड ३० के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसके अर्थ में कुछ संदिग्धता है। परन्तु मेरे विचार में यह बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें कोई संदिग्धता नहीं है। यदि पिता की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति उसके चार लड़कों को मिलती है और बाद में उन चार लड़कों में से भी एक लड़का और मर जाता है तो वह लड़का अपना हिस्सा तथा वह अंश, जो उसे

[श्री आल्तेकर]

अपने पिता से मिला, छोड़ता है । खंड के अनुसार यह स्पष्ट है कि शुल्क के दर में कमी केवल उस अंश के सम्बन्ध में की जायेगी जो उस लड़के को अपने पिता के अंश में से मिला था, उसकी कुल सम्पत्ति के सम्बन्ध में नहीं।

एक आपत्ति यह भी की गई थी कि बोर्ड का सन्तोष करने का उपबन्ध क्यों रखा गया । तो इस सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष दो बातों का प्रमाण दिया जाना होगा । एक तो यह कि पहली मृत्यु के समय उस पर कर लग चुका है और दूसरी यह है कि दूसरी मृत्यु पांच वर्ष के अन्दर हुई है । मेरी राय में यह खंड पूर्णतः स्पष्ट है और इसमें कोई संदिग्धता नहीं है ।

**श्री गाडगील** (पूना मध्य) : श्री मोरे ने यह आपत्ति की थी कि करारोपण में कुछ कठिनाइयां प्रस्तुत होंगी । यहां म उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने की कोशश करूंगा । मान लीजिये एक पिता के मरने के बाद सारी सम्पत्ति, पिता के अंश पर सम्पदा शुल्क चुकाये जाने के बाद, समांशियों को मिल जाती है । अब यदि उन समांशियों में से कोई एक व्यक्ति विदित समय में मर जाता है तो सम्पदा शुल्क में कमी करने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति के केवल उस अंश के सम्बन्ध में की जायेगी जो उसे अपने पिता के अंश में से प्राप्त हुआ था । यह प्रश्न श्री अल्तेकर ने भी स्पष्ट कर दिया था । अतएव जो कुछ मैंने कहा है उसे देखते हुए प्रस्तुत खंड में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होगी ।

**श्री एस० एस० मोरे** : श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खंड ३० में सारी स्थिति विशिष्ट रूप से स्पष्ट की जानी चाहिये । अभी मान लीजिये एक पिता के छै बेटे हैं । उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके बेटों में कुल सम्पत्ति का सातवां भाग अर्थात् पिता का हिस्सा बांटा जायगा, दूसरे शब्दों में प्रत्येक पुत्र को अपने हिस्से के अलावा कुल सम्पत्ति का १/४२ और मिलेगा । यदि उन में से किसी एक पुत्र की मृत्यु हो जायेगी तो सम्पत्ति के केवल १/४२ भाग के सम्बन्ध में यह द्वितीय मृत्यु समझी जायेगी । सम्पत्ति के १/७ भाग के सम्बन्ध में, जो कि उस पुत्र का अपना हिस्सा होगा यह प्रथम मृत्यु ही मान ली जायेगी, इसी बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

**श्री गाडगील** : परन्तुक में स्पष्ट रूप से "कमी करने के उद्देश्य से" लिखा गया है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, मैं महसूस कर रहा हूं कि इस खंड में जो स्कीम निहित है वह प्रवर समिति में काफी सोच विचार करने के बाद रखी गई है, यह स्कीम उत्तम भी है ।

**श्री तुलसीदास** (मेहसाना पश्चिम) : मुझे वाद विवाद में भाग लेने का कोई विचार नहीं था । किन्तु श्री मोरे के भाषण को सुनने के बाद मैं भी कुछेक शब्द कहने के लिये तत्पर हुआ हूं । यह महसूस किया जा रहा है कि इस मामले में एक प्रकार की रियायत दी गई है, मेरे विचार में यह रियायत का कोई प्रश्न नहीं । यह रियायत हासिल करने के लिए कोई व्यक्ति अविलम्ब ही प्राण त्याग करने को तैयार नहीं होगा । यह सही है कि कुछ परित्राण दिया गया है, धनवान अमेरिका में भी यह परित्राण सात वर्ष तक के लिए दिया गया है । श्री गाडगिल ने कहा कि प्रवर समिति में काफी सोच विचार के बाद यह खंड रखा गया है । यह सोच विचार का कोई प्रश्न नहीं, केवल इंग्लैण्ड के कानून की नक़ल की गई है । यह खेद की बात है कि जहां परित्राण का प्रश्न आता है हम इंग्लैण्ड के कानून की नक़ल

करते हैं किन्तु जब थोड़े बहुत फायदे का प्रश्न आता है हम इसकी अवहेलना करते हैं।

ब्रिटेन के कानून में कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है, किन्तु यहां हम ने सीमा निश्चित की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक नया विधान है तथा जनता को इसे समझने का मौक़ा मिलना चाहिये। हमें उचित रूप से तथा यहां की स्थिति के अनुकूल काम करना चाहिये, यदि किसी परिवार में एक के बाद दूसरे की मृत्यु हो जाती है तो यह उस परिवार के लिए एक प्रकार का प्रलय होता है, उसके पुनर्गठन में समय लग जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी, सम्पत्ति पर कर लगाने में दो वर्ष लगेंगे इस बात को प्रशासकीय दृष्टिकोण से देखना होगा, प्रशासकीय दृष्टिकोण से कालावधि को बढ़ा देना आवश्यक होगा।

**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर): अपने संशोधन पर बोलने से पहले मैं श्री तुलसीदास के इस कथनका उत्तर देना चाहता हूं कि हम ने यह खंड ब्रिटिश कानून से नक़ल करके लिया है, वह शायद भूल गए हैं कि इसी खंड के अन्तर्गत ब्रिटिश अधिनियम में कालावधि पांच वर्ष रखी गई है जबकि हमने यह केवल दो वर्ष रखी है, मैं महसूस कर रहा हूं कि यह सत्य है कि हमारी न्याय-प्रणाली तथा राजकोषीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है और इसका कारण हमारा इतिहास है। परन्तु ब्रिटिश परिसम्पत्त तथा ऐसी अन्य बातों के सम्बन्ध में हमारे जो कुछ विचार हैं, वह तो आप जानते ही हैं। यह सही है कि हम उन ब्रिटिश संस्थाओं तथा ब्रिटिश उत्तरदान में परिवर्तन करना चाहते हैं जो कि हमारे देश के लिए हानिकारक हैं, परन्तु हम निस्सन्देह उनकी विधि-प्रणाली कुछ ग्रहण करेंगे क्योंकि यह अनुभव तथा बद्धिमता पर आधारित है। हम उन कानूनों को अपने देश की भलाई के लिए तथा अपनी लक्ष्यपूर्ति के लिये प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें क्या आपत्ति है?

माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि यह विधेयक देश के एक सर्वोत्तम विधि-वेत्ता ने तैयार किया है, उन्होंने सम्भवतः अपनी सारी शक्ति इसे तैयार करने में लगाई होगी, तथा एक क्लर्क की तरह इसे केवल नक़ल नहीं किया होगा। इस उपबन्ध में उन परिवारों के लिए कुछ रियायतें रखी गई हैं जिन में कि एक के बाद दूसरे उत्तराधिकारी की मृत्यु जल्दी हो जाये। चूंकि यह कर धनवान वर्गों पर लगेगा। इसलिए यह रियायत भी उन्हीं लोगों को मिली समझनी चाहिये। यदि वह चालाकी से अपनी सम्पत्ति पहले ही दान. अथवा न्यास के रूप में न देदेंगे तो वह अवश्य ही इस उपबन्ध से फायदा उठा सकते हैं।

सम्पत्ति के निर्वचन का प्रश्न उठाया गया है तथा कहा गया है कि यह मिताक्षरा प्रणाली के लिए भेदात्मक तथा कठोर होगा। श्री गाडगिल इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। मैं नहीं समझता हूं कि यह खड अस्पष्ट है। प्रशासन तथा न्यायपालिका इसका ठीक ठीक निर्वचन कर सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए श्री मोरे के सुझाव पर भी विचार कर सकते हैं क्योंकि कुछेक व्यक्तियों के मन में शंकाए पैदा हो रही हैं।

अब मैं अपने संशोधन के बारे में कुछेक शब्द कहना चाहता हूं। आरम्भ में इस विधेयक में सम्पत्ति की परिभाषा विस्तृत नहीं थी। इस में केवल कृषि भूमि तथा कारबार शामिल था। अब इस में सभी प्रकार की सम्पत्ति शामिल की गई है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए मुझे इस बारे में संदेह है कि क्या यह रियायत सभी प्रकार की सम्पत्ति के लिए दी जा

[श्री के० के० बसु]

चाहिए । हमारे देश में चोर-बाज़ार में कमाया काफी धन है, बहुत सा धन आभूषणों में परिवर्तित किया गया है, मैं महसूस करता हूं कि सरकार की करारोपण नीति ऐसी होनी चाहिये कि यह छिपाया धन पूंजीपतियों की तिजोरियों से निकल कर औद्योगिक क्षेत्र में आ जाये ।

मैं चाहता हूं कि यह रियायत इस तरह से दी जानी चाहिये कि धनोत्पत्ति में कोई बाधा न आये तथा सीमान्त मामलों में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो । हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तथा हमें कृषक समुदाय को धनोत्पत्ति के लिए रियायतें देनी होंगी । उद्योगों की उत्पत्ति पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये । जिन उद्योगों का विकास हुआ है उन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये । इन तीन प्रकार की सम्पत्तियों को छोड़ कर किसी भी अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में रियायत नहीं दी जानी चाहिये ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह मेरे संशोधन पर विचार करें हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को बदलने के लिए सक्रिय रूप से कोशिश करनी चाहिये तथा छिपे हुए धन को विकास कार्यों में लगवाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

**श्री शोभा राम** (अलवर) : प्रवर समिति ने इस खंड का स्पष्टीकरण नम्बर २ प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यदि परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु के तीन महीने बाद ही दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाये तो मृत्यु-कर लगाने के विषय में उन्हें एक ही मृत्यु मान लिया जायगा । मेरा विचार है कि तीन महीने की कालावधि बहुत ही कम तथा अपर्याप्त है । हमें इसका निश्चय करते हुए न्याय, औचित्य तथा बुद्धिमता से काम लेना चाहिए । जहां तक धनोपार्जन का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता हूं कि कालावधि एक वर्ष रखने से सरकार को कोई विशेष हानि होगी । मेरे विचार में एक वर्ष की कालावधि रखना बिल्कुल उचित होगा तथा मैंने इसी उद्देश्य से अपना संशोधन नम्बर ८५ भी प्रस्तुत किया है । चार महीने के बाद ही यदि किसी परिवार पर दुबारा मृत्यु-कर लगेगा तो उस पर अनुचित बोझ पड़ेगा । संशोधन नम्बर ८५ संशोधन नम्बर ६८ का आनुषंगिक संशोधन है । मैं इस बात से सहमत हूं कि एक के बाद दूसरे के मरने के सम्बन्ध में जो रियायत दी गई है उसकी कालावधि पांच वर्ष तक बढ़ा दी गई है । प्रथम वर्ष के लिए कोई भी कर नहीं लगना चाहिये । शेष चार वर्षों के लिए प्रतिवर्ष शुल्क में १२ १/२ प्रतिशत कमी होनी चाहिये । यही मेरे संशोधन हैं तथा मैं मंत्री जी से इन्हें स्वीकृत करने की अपील करता हूं ।

११ म० पू०

**श्री वी० पी० नायर** (चिरापिन्किल) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि किसी परिवार में एक के बाद दूसरे के मर जाने के मामलों में यह परित्राण इसलिए दिया जा रहा है कि उत्पादन शक्ति में ह्रास न होने पाये । श्री देशमुख ने भी अपने भाषण में इस की ओर संकेत किया परन्तु एक बात की इस में पूर्णतया उपेक्षा की गई है । हो सकता है कि इस सुविधा का ऐसे मामलों में भी अनुचित रूप से लाभ उठाया जाये जहां कि सम्पत्तियां उत्पादी न हों । राष्ट्रीय आयात में इस प्रकार की सुविधा दी जाती है परन्तु यह समझ नहीं आता है कि यह रियायतें ऐसी सम्पत्ति के बारे में क्यों दी जायें जो कि उत्पादी कार-बार में न हो । लोगों में ऐसी प्रवृत्ति भी है कि वह अनुत्पादी कारबार में अपना धन लगाते हैं । सदन को यह मालूम है तथा मंत्री

जी भी स्वयं यह जानते हैं। ऐसे लोग इस सुविधा का अनुचित फायदा उठायेंगे। हमें कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिये जिससे कि धनी लोगों को इस अनुत्पादी धन के लिए यह सुविधा न मिले। हमें मालूम है कि धनी वर्ग कर-अपवंचन का प्रयत्न करते रहेंगे और यदि हमने यह सुविधा अनुत्पादी धन के लिए भी रखी तो वह अपना अधिकांश धन अनुत्पादी कारबार में लगाने के लिए प्रोत्साहित हो जायेंगे।

**श्री सी० आर० इयूनी** (त्रिचूर): मैंने खंड ३० के तीन संशोधन प्रस्तुत किए हैं, नामतः ४३६,४३७ और ४३८।

मेरा यह कहना है कि जब इस सदन में कोई करारोपण प्रस्ताव पास किया जाए तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि लोगों की आर्थिक दशा को जरूर ध्यान में रक्खा जाए। यहां व्याख्या में यह उपबन्धित है कि यदि तीन मास के अन्दर उसी परिवार में दूसरी मृत्यु हो जाए तो उस सम्पत्ति पर दोबारा शुल्क नहीं लगेगा। किन्तु यदि ९१ वें दिन मृत्यु हो जाती है तो शुल्क अनुसूची के अनुसार केवल ५० प्रतिशत छूट दी जाती है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे देश में जहां कि मृत्यु-दर शायद संसार में सबसे अधिक है दो मृत्युओं के बीच की यह तीन मास की अवधि बहुत कम है और इसे बढ़ा कर एक वर्ष कर देना चाहिए। अमरीका और जापान जैसे देशों में भी यह अवधि तीन मास से कहीं अधिक है।

दूसरे मामले के सम्बन्ध में, मैंने दर में मामूली परिवर्तन प्रस्तावित किया है। यह बहुत थोड़ा सा अन्तर है और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इसे स्वीकार कर लेंगे।

**श्री आर० के० चौधरी** (गौहाटी): यदि इस सम्पदा शुल्क विधेयक को सदन के सम्मुख लाने से पूर्व माननीय वित्त मंत्री मेरे राज्य आसाम को गए होते तो मुझे आशा है कि उन्हें इस प्रकार का संशोधन स्वीकार करने के लिए राजी किया जा सकता था:

"यह अधिनियम जम्मू व काश्मीर राज्य तथा आसाम राज्य को छोड़ कर समस्त भारत पर लागू होगा।"

क्योंकि आसाम में मृत्यु दर बहुत अधिक है और वहां के लोगों को इस प्रकार सताना ठीक नहीं होगा। काला आजार, हैज़ा, मलेरिया आदि रोग वहां के गांवों के गांवों का सफाया कर डालते हैं। यदि माननीय मंत्री जी कुछ समय के लिए वहां जाएं तो पंडित ठाकुर दास भार्गव की तरह बिना मलेरिया ग्रस्त होकर वापस नहीं आ सकते। मेरा निवेदन है कि जहां एक ही परिवार में एक साल के अन्दर कई मृत्युएं हो जाती हैं, वहां के मामले में अवश्य अपवाद किया जाना चाहिए। कम से कम एक वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना विशेष रूप से करूंगा कि इस विधेयक में मामूली साधनों के सामान्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षण होना चाहिए।

**श्री सी० डी० देशमुख**: सबसे बाद के वक्ता, श्री चौधरी के भाषण में मैं समझता हूं एक यह मुख्य बात उठाई गई है कि राज्य प्रति राज्य में मृत्यु-दर के आधार पर सम्पदा शुल्क के मामले में भेद किया जाए। मुझे विश्वास है कि सदन सहमत होगा कि यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता इससे हम एक असाध्य जटिलता में जा फंसेंगे तथा भेदभाव करने की भी एक गुंजाइश इससे पैदा हो जाएगी।

श्री वी० पी० नायर ने अपने संशोधनों के पक्ष में जो तर्क दिये उनसे तो विधेयक का, और विशेषकर इस खंड का, समस्त स्वरूप ही बदल जाएगा।

[श्री सी० डी० देशमुख]

श्री बसु का संशोधन सख्या ४५० है। जब हमने एक बार खंड २ के उप-खड १५ में सम्पत्ति की विस्तृत परिभाषा दे दी है, तो यदि हिन्दू संयुक्त परिवार पर इस शुल्क के परिणामस्वरूप जो विभिन्न जटिलताएं आ जाना अनिवार्य है उसके लिए हम नहीं समझते कि इस खंड के प्रयोजनार्थ सम्पत्ति की एक नई परिभाषा जोड़ना ठीक होगा। जो छूट हम खंड ३० में दे रहे हैं, इंग्लैण्ड में वह केवल भूमि तथा व्यापार तक ही सीमित है, समस्त सम्पत्ति पर लागू नहीं होती। किन्तु इस देश में हमें मनोवैज्ञानिक वातावरण का भी विचार रखना है। अर्थात्, किसी की मृत्यु पर जब कर-संकलक उसके दुखपूर्ण घर में जाएगा तो इंग्लैण्ड की अपेक्षा इस देश में इसकी प्रतिक्रिया अधिक होने की सम्भावना है। इसलिए यदि किसी परिवार में मृत्युएं शीघ्र क्रम में होती जाती हैं तो उसे राहत देने के लिए यह खंड ३० है।

जहां तक हमारे देश में मृत्यु-दर का प्रश्न है, यह अन्य देशों की अपेक्षा अवश्य कहीं ज्यादा है; किन्तु कुल संख्या इतनी अधिक नहीं है कि उस पर विधेयक की दरों को आधार करने की आवश्यकता हो। मृत्यु-दरों के अन्तर से राहत की मात्रा बढ़ाना अपेक्षित नहीं प्रतीत होता।

जहां तक कि धनाढ्यों के मध्य मृत्यु-संख्या का प्रश्न है, मुझे खेद है कि इस प्रकार के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि देश के विभिन्न वर्गों में मृत्यु-दर के कल्पित अन्तर के आधार पर इस खड को परिवर्तित करना श्रेयस्कर होगा।

श्री मोरे ने मसविदे के सम्बन्ध में कुछ शंका प्रकट की। मैं समझता हूं कि यह खड बिल्कुल स्पष्ट है। एक ही परिवार में एक निश्चित अवधि के दौरान में शीघ्र क्रम से होने वाली मृत्युओं पर पुनः करारोपण के मामले में इसमें छूट दी गई है और मैं नहीं समझता कि इसकी व्याख्या करने में कोई विशेष कठिनाई पैदा हो सकती है।

जहां तक अन्य माननीय सदस्यों के संशोधनों का प्रश्न है, उनमें या तो यह सुझाव दिया गया है कि राहत की मात्रा बढ़ा दी जाए अथवा अवधि या प्रतिशतक या दोनों ही बढ़ा दिए जाएं। और एक दो संशोधन ऐसे भी हैं जिनमें राहत को सीमित करने की अपेक्षा की गई है। मुझे यह कहना है कि सिद्धान्त रूप में, सम्पदा शुल्क एक ऐसा कर है जो मृत्यु के कारण प्रत्येक बार सम्पत्ति प्राप्त होने पर दिया जाना है। इसलिए इसमें उत्तराधिकार शुल्क की भांति उत्तराधिकारी की समस्त दशाओं को नहीं लिया गया है तथा यही कारण है कि चाहे मृत-व्यक्ति के छः बच्चे हों अथवा कम या अधिक, शुल्क वही होगा। किन्तु शीघ्र क्रम से मृत्यु होने पर जो राहत हमने इसमें दी है, उससे इसके प्रभाव की कठोरता कम हो जाती है, और मैं यह स्वीकार करता हूं कि हम ने यह मुख्यतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विचार करते हुए किया है। आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड में कोई भी राहत नहीं दी जाती। इग्लण्ड में उसी क्रम से राहत दी जाती है जो इस विधेयक में रखा गया है किन्तु वहां पर भी तीन मास वाला अपवाद नहीं है। तीन मास की जो विशेष छूट हम ने दी है वह विधेयक पर प्रवर समिति में विचार करते समय दी गई थी। और हमने तीन मास की अवधि रक्खी, एक वर्ष की नहीं, इसका कारण यह है कि हमारे दिमाग में महामारी का प्रश्न था। सन् १९१८ में देश में जब इंफ्लुएंजा बड़े पैमाने पर फैला तो एक-एक परिवार में बड़ी तेजी से मृत्युएं हुईं। कोई महामारी एक-एक वर्ष तक नहीं चला करती। इसीलिए

हमने तीन मास ठीक समझा माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट किए गए सुझावों पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि कोई भी संशोधन स्वीकार करना जरूरी नहीं है और मैं उनका विरोध करता हूं।

**सभापति महोदय** : मैं सभी संशोधनों को सदन के मतदान के लिये एक साथ प्रस्तुत करूंगा।

**श्री के० के० बसु** : कुछ ऐसे सशोधन हैं जिनमें अवधि में वृद्धि करने का सुझाव है। हम उनका समर्थन नहीं करते।

**श्री सी० डी० देशमुख**: उनके संशोधन अलग प्रस्तुत करने पड़ेंगे।

**सभापति महोदय** : कुछ सदस्य अवधि में वृद्धि चाहते हैं कुछ नहीं चाहते और मेरे पास इनकी वर्गीकृत सूची नहीं है। इसलिये ये सब एक साथ प्रस्तुत करूंगा।

**श्री एस० एस० मोरे** : मेरा एक सुझाव है कि जो अवधि में वृद्धि चाहते हैं वे इससे सम्बन्धित सभी संशोधनों पर एक साथ मत दे सकते हैं और जो इसके विरुद्ध हों वे अन्य संशोधनों पर एक साथ मत दे सकते हैं।

**सभापति महोदय** : इनमें कुछ दूसरे प्रकार के सशोधन भी हैं। मैं प्रत्येक संशोधन को अलग अलग प्रस्तुत करूंगा।

(सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।)

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

**खण्ड ३१**--(हिन्दू विधवा के भाग का विमोचन इत्यादि)

श्री जी० डी० सोमानी ने अपना संशोधन संख्या ८९ प्रस्तुत किया।

डा० कृष्णस्वामी ने अपना संशोधन संख्या २४५ प्रस्तुत किया।

श्रीमती सुषुमा सेन ने अपना संशोधन संख्या २४६ प्रस्तुत किया।

श्री एन० सोमना ने अपना संशोधन संख्या ६७२ तथा ६४५ प्रस्तुत किये।

श्री रामस्वामी ने अपना संशोधन संख्या ३१४ प्रस्तुत किया।

डा० कृष्णस्वामी ने अपना संशोधन संख्या २४८ प्रस्तुत किया।

श्री बर्मन ने अपना संशोधन संख्या २४९ प्रस्तुत किया।

श्री जी० डी० सोमानी ने अपना संशोधन संख्या ९० प्रस्तुत किया।

डा० कृष्णस्वामी ने अपना संशोधन संख्या २५० प्रस्तुत किया।

श्री के० के० बसु ने अपना संशोधन संख्या ४५१ प्रस्तुत किया।

श्री सोमना ने अपना संशोधन संख्या ६४६ प्रस्तुत किया।

श्री मूलचन्द दुबे ने अपना संशोधन संख्या ६७३ प्रस्तुत किया।

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १९, पंक्ति १४ तथा १५ में—

"persons who were members of a coparcenary immediately

[श्री सी० डी० देशमुख]

efor e or after his death or any of them" ["जो व्यक्ति उस की मृत्यु के ठीक पूर्व या उसके पश्चात् समांशिता के सदस्य थे या उन में से कोई"] के स्थान पर "the reversioners or any of them" ["परावर्त्ती या उन में से कोई"] आदिष्ट किया जाय।"

**सभापति महोदय** : अब इस खण्ड तथा प्रस्तुत संशोधनों पर सामान्य चर्चा होगी।

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैंने अपना संशोधन संख्या ५३१ इसलिये प्रस्तुत किया था कि खण्ड ३१ को सभी मामलों पर लागू करने का विचार था। इस खण्ड के आरम्भिक 'शब्दों से ही ऐसा मालूम देता है किन्तु 'जो व्यक्ति समांशिता के सदस्य थे' शब्दों के कारण एक सन्देह उत्पन्न हो गया है। इन शब्दों से ऐसा लगता है कि यह हिन्दू विधि के मिताक्षर सिद्धान्त के मानने वालों पर ही लागू होता है। इस संशोधन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसी बात नहीं है।

**सभापति महोदय** : मैं केवल इसी संशोधन को रखूंगा।

**श्री सी० डी० देशमुख** : इसे सबसे अन्त में रखा जा सकता है। दूसरे ऐसे भी संशोधन हो सकते हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया हो कि यह पूरा खण्ड हटा दिया जाय। इस पर विवाद हो सकता है।

**श्री एस० वी० रामस्वामी** (स्लेम): मेरा संशोधन छोटा सा है। इस विधेयक के द्वारा विधवा की सम्पत्ति पर शुल्क लगाया जायगा यदि विधवा की मृत्यु अपने पति की मृत्यु के सात वर्ष बाद हो। तो फिर स्थिति यह होगी कि परावर्ती यही चाहेंगे कि विधवा शीघ्र ही मर जाय ताकि उन्हें सम्पदा शुल्क न देना पड़े और राज्य यह चाहेगा कि उसकी दीर्घायु हो जिससे राज्य को सम्पदा शुल्क मिल सके। मुझे समझ में नहीं आता कि जब पति की मृत्यु के बाद ही सम्पत्ति हस्तान्तरित होन पर सम्पदा शुल्क लगना है तो यह विधवा की सात वर्ष में मृत्यु हो जाने या उसके बाद मृत्यु होने पर फिर क्यों लगाया जाय। यही मेरा अभिप्राय है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मत्री मेरे सशोधन को स्वीकार कर लेंगे और इस मामले में कोई कालावधि निश्चित नहीं करेंगे।

**श्रीमती सुषुमा सेन** (भागलपर दक्षिण): हिन्दू विधवाओं की दशा सर्वविदित है। मुझे डर है कि इस खण्ड से तो उनकी दशा और अधिक खराब हो जायगी। माननीय विधि मंत्री के द्वारा प्रस्तुत संशोधन से भी मेरी बात पूरी नहीं होती। मान लीजिये पति की सम्पति पर कर निर्धारण का मामला तय किया जा रहा है और इसी बीच में पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तब अवयस्क बच्चों तथा उसके आश्रितों का क्या होगा ? असहाय, असमर्थ तथा वृद्ध माता पिता सम्पदा शुल्क नहीं दे सकते और दुबारा तो वे बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अतः मैं चहती हूं कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि वह हिन्दू विधवाओं को किस प्रकार से सहायता देगी !

**श्री आर० के० चौधरी** : यदि श्रीमती सुषुमा सेन के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो इससे जो बात मैं चाहता हूं वह पूरी हो जायगी। हमें विधवाओं को सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिये जिन्हें कि केवल सीमित सम्पत्ति मिलेगी। उसकी सम्पत्ति पर शुल्क क्यों लगाया जाय। उसे पूरी सम्पत्ति थोड़े ही मिलती है। वह उसकी कानूनी मालिक तो है किन्तु वह उसे बचा नहीं सकती और न उसे दान में दे सकती है। उसे सम्पत्ति तो थोड़ी मिलेगी किन्तु उसे सम्पदा शुल्क

बहुत देना पड़ेगा। अतः हमें विधवा के हितों की रक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिये ? मैं इस तर्क को नहीं समझ पाया कि मृत व्यक्ति के अवयस्क बच्चों को सम्पदा शुल्क देना पड़ेगा जबकि दूर के सम्बन्धी को यह सम्पदा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यदि विधवा की मृत्यु अपने पति की मृत्यु के सात वर्ष के अन्दर ही हो जाती है तो परावर्त्ती को, जो कि दूर का सम्बन्धी है और जिसके इस परिवार से, पति या पत्नी से घनिष्ठ सम्बन्ध न हों, उस सम्पदा पर शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस बात का मतलब क्या हुआ ? इस मामले में युक्ति से काम लेना चाहिये था। इसके द्वारा आप विधवा की सहायता करना चाहते हैं किन्तु आप एक एसे व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं जिसका उस परिवार से कोई सम्बन्ध न रहा हो और सम्भवतः सम्पत्ति में से कुछ भाग प्राप्त करने के लिये पति से जिसकी मुकद्दमेबाज़ी रही हो। यदि विधवा की सात वर्ष के अन्दर ही मृत्यु हो जाती है तो परावर्ती सम्पदा शुल्क देने से मुक्त हो जायगा। परन्तु आप यह नहीं कह सकते हैं कि विधवा की औसत आयु सात ही वर्ष होती है। फिर इस 'सात वर्ष' को रखने का क्या अर्थ है। इस प्रकार तो आप परावर्ती के लाभ का साधन तैयार कर रहे हैं। क्या इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री उपयुक्त स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे ?

**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपरम्) : मैं इस खण्ड के अनुसार यही पता नहीं लगा पाया हूं कि हिन्दू विधवा का आजीवन स्वत्व शुल्क से मुक्त है अथवा नहीं। इसीलिये इस बात को श्रीमती सेन ने अपन संशोधन द्वारा रखा है कि विधवा के आजीवन स्वत्व पर उसी प्रकार शुल्क न लगाया जाय जैसा कि पूर्ण स्वत्व वाले व्यक्ति पर लगाया जाता है। मेरे विचार में विधबा के आजीवन स्वत्व पर सम्पदा शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि इस प्रकार उसके साथ अन्याय होगा। इसीलिये मैंने अपने संशोधन द्वारा यह सुझाव रखा है कि यदि किसी विधवा की मृत्यु अपन पति की मृत्यु के पश्चात् १४ वर्षों में ही हो जाती है तो उसकी सम्पत्ति पाने वाले व्यक्ति पर, चाहे उसे उत्तरजीवी या उत्तराधिकार के रूप में वह सम्पत्ति मिली हो, सम्पदा शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये। मैंने १४ वर्ष की अवधि इसलिये रखी है जिससे उस सम्पत्ति के बारे में कठिनाइयां कम हो जायें क्योंकि हो सकता है सात वर्ष की अवधि में अधिक शुल्क देना पड़ जाय। जहां तक मेरी अपनी राय का सम्बन्ध है मैं तो यही चाहूंगा कि विधवा के आजीवन स्वत्व पर कोई शुल्क ही न लगे और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम शुल्क की दर आधी कर दीजिये।

**श्री एन० सोमना** (कुर्ग) : यह एक ऐसा खण्ड है जिसे मेरे विचार में संविधि पुस्तक में होना ही नहीं चाहिये। मेरे विचार में इस प्रकार की छूट देने का कोई औचित्य नहीं है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि यह खण्ड ३० के उद्देश्य के विरुद्ध है। मैं यह नहीं समझ सका हूं कि हिन्दू विधवा की मृत्यु के पश्चात कोई शुल्क क्यों न लगाया जाये जब कि अन्य समुदाय की विधवा की मृत्यु के एक ही वर्ष के अन्दर शुल्क लगा दिया जायेगा। मेरी राय में तो यदि हिन्दू विधवा की मृत्यु अपने पति की मृत्यु के पश्चात ही हो जाती है तो भी उसकी सम्पत्ति पर शुक्ल लगाया जाना चाहिये। मेरे विचार में यदि आप इस खण्ड को निकालना नहीं चाहते तो कम से कम इस अवधि को एक वर्ष कर दीजिये। मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि वह इस खण्ड पर ध्यानपूर्वक विचार करें तथा ७ वर्ष की अवधि को घटा कर एक वर्ष कर द जिससे वह खण्ड ३० के विरुद्ध न हो।

**श्री आल्तेकर** : हिन्दू विधवा को वास्तव में सम्पत्ति के परहस्तकरण का कोई

[श्री आल्तेकर]

अधिकार नहीं है । वह तो केवल अपने पति के प्रतिनिधि के रूप से कार्य करती है । अतः उसकी स्थिति साधारण स्थिति से भिन्न है । मुझ से पूर्व वक्ता ने यह सुझाव दिया था कि ७ वर्ष की अवधि को घटा कर एक वर्ष कर दिया जाये । परन्तु मेरे विचार में उन्होंने यह ज्ञात करने का कष्ट नहीं उठाया कि हिन्दू विधवा को सम्पत्ति का केवल उपभोग करने का अधिकार है, वह उसे बेच नहीं सकती । यदि बेचती है तो वह भी अपने पति के प्रतिनिधि के रूप में । अपना उसका उस सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार उसकी स्थिति पूर्ण स्वत्व वाले व्यक्ति से कहीं भिन्न है । इसलिये उसे सात वर्ष की रियायत दी ही जानी चाहिये ।

**श्री आर० के० चौधरी** : मैं माननीय वित्त मंत्री को बीच का रास्ता बताता हूं । पति की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क लगाइये किन्तु विधव को मिलने वाली सम्पत्ति पर कोई शुल्क न लगाइये । उसके सम्बन्ध में ७ वर्ष की अवधि ही न रखिये । उसको बिल्कुल ही शुल्क मुक्त कर दीजिये ।

**श्री मूलचन्द दुबे** : (ज़िला फरूखाबाद-उत्तर) हिन्दू विधवा की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी सम्पत्ति नहीं लेते बल्कि मृत व्यक्ति के, जिससे उसे सम्पत्ति प्राप्त हुई है, उत्तराधिकारी सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं । फिर विधवा को मिलने वाली सम्पत्ति पर शुल्क लगाये जाने का क्या औचित्य है । मेरे विचार में सात वर्ष की अवधि नहीं होनी चाहिये ।

**सभापति महोदय** : मेरे विचार में इसके शीर्षक ही से कदाचित कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाता है और इसीलिये यह गड़बड़ी है ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : शीर्षक विधेयक का अंग नहीं है । उसे स्पष्ट करने के लिये प्रारूप सम्बन्धी परिवर्तन किया जा सकता है । विधवा का स्वत्व उसके उत्तराधिकारी को नहीं मिलता । प्रारूपक इसे स्पष्ट कर सकता है । उसे खण्ड के अंग के रूप में पारित करने की आवश्यकता नहीं है । मैं आपकी बात समझ गया । मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूं ।

**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : विधवा की मृत्यु के पश्चात जो सम्पत्ति उत्तराधिकारियों के पास जाती है उसके ऊपर कानून के अनुसार करारोपण किया जाना चाहिये । 'परावर्त्ती' शब्द के आदिष्ट कर दिये जाने से अब दूर के परावर्त्ती भी शामिल हो जाते हैं । परन्तु यह कहीं अच्छा होता यदि "परावर्त्ती" के स्थान पर यह शब्द रख दिये जाते "वे जो उसके पति के साथ अविभक्त परिवार के पुरुष सदस्य थे ।" इससे यह हिन्दू विधि की दोनों प्रणालियों पर लागू हो सकता था तथा वास्तव में, इसमें दूर के परावर्त्ती भी शामिल न हो पाते जिन्होंने सम्भव है शुल्क ही न दिया हो ।

**श्री एस० सी० सामन्त** (तामलुक) : मैं श्री देशमुख के संशोधन का समर्थन करता हूं । मेरे विचार में अवधि को १४ वर्ष तक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि डा० कृष्णस्वामी ने सुझाव रखा है । विधवा को मृत्यु के पश्चात क्या लाभ हो सकता है ? यदि कोई रियायत ही देनी है तो उसे जो सम्पत्ति दी जाय उस पर ही कोई सम्पदा शुल्क न लगाना चाहिये ।

**श्री तेलकीकर** (नान्देड़ह) : कुछ लोगों का कहना है कि विधवा का सम्पत्ति में अधिक स्वत्व नहीं होता और यदि होता भी है तो वह भी सीमित होता है । परन्तु उसे यह अधिकार अवश्य होता है कि वह सम्पत्ति का पूरा पूरा उपभोग कर सकती है । अतः सात वर्ष की अवधि के रख देने से दोनों ही पक्षों की बात

बनी रहती है—वे जो विधवा के स्वत्व के पक्ष में है और वे जो करारोपण के पक्ष में हैं। मैं वर्तमान खण्ड का स्वागत करता हूं।

**श्री सी० डी० देशमुख** : हिन्दू विधवा की मृत्यु के स्वत्व के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि इस सब की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं है। यह भी कहा गया है कि किसी प्रकार की रियायत दी गई है। परन्तु इस अवस्था पर हम ऐसी तर्कपूर्ण बातों पर विचार नहीं कर सकते हैं। हमें अपना ध्यान इस बात पर देना चाहिये कि खण्ड में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है और यही मैंने अपने संशोधन द्वारा करने का प्रयत्न किया है। जहां तक शीर्षक का सम्बन्ध है मैं इस बात से सहमत हूं कि उसका अर्थ विधवा के स्वत्व को पानेवाले के सम्बन्ध में छूट देने से है न कि 'विधवा के स्वत्व से'। विधवा का जो कुछ भी स्वत्व होता है वह उसके पति को मृत्यु के सात वर्षों के अन्दर ही समाप्त हो जाता है। एक और छूट की व्यवस्था की गई है। मैं नहीं कह सकता कि इससे कोई सुधार होता है अथवा नहीं—विधवा के स्वत्व को पाने वाले के पक्ष में छूट। यह तो सब ही जानते हैं कि वास्तव में इस खण्ड का क्या अर्थ है तथा मेरे विचार में इसके लागू किये जाने से किसी को गड़बड़ी नहीं हो सकती है और यही हम चाहते हैं। हम इस मामले को यहीं छोड़ सकते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

विधवा की मृत्यु हो जाने के पश्चात जो कुछ भी सम्पत्ति होती है वह उसके पति के परावर्त्तियों को जाती है तथा इस खण्ड से उस स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है।

यह भी बात उठाई गई थी कि यदि विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो इसका अनुचित लाभ उठाया जा सकता है। मुख्य बात तो यह है कि हमें यह देखना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, न कि उसके पुनर्विवाह करन के पश्चात। यदि विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो निस्सन्देह, उसका सम्पत्ति में कोई स्वत्व नहीं रह जाता है और इसीलिये वह स्वत्व जो उसे उसके पति की मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है वह परावर्त्तियों को चला जाता है। इस प्रकार का परावर्त्तन किसी की मृत्यु पर निर्भर नहीं करता तथा इसीलिये, कोई सम्पदा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अतएव, मेरी राय में यह संशोधन बेकार है तथा इससे कोई लाभ नहीं होता।

**श्री एस० एस० मोरे** : यदि वह अपने पति की मत्यु के दो वर्ष के भीतर दुबारा विवाह कर लेती है तो.....

**श्री सी० डी० देशमुख** : हमें केवल उन हितों की व्यवस्था करनी है जो मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं।

**श्री एस० एस० मोरे** : जहां तक विधवा का सम्बन्ध है वह तो सीमित स्वामी होती है। जहां तक परावर्तियों का प्रश्न है कुछ दिनों तक के लिए उन के हित विधवा के कारण निलम्बित हो जाते हैं। पर उस की मृत्यु के बाद फिर हस्तान्तरण होता है। केवल उस की मृत्यु के बाद ही मूल स्वामी की सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता है।

**श्री सी० डी० देशमुख** : हमारा आशय व्यवहारिक मृत्यु से है वास्तविक मृत्यु से नहीं।

**श्री आर० के० चौधरी** : मैं वित्त मंत्री से यह ज्ञात करना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति 'क' मरता है तो उस की विधवा सम्पत्ति की उत्तराधिकारी होती है। वह सम्पत्ति शुल्क की समस्त रक़म दे देती है। उस की मृत्यु के पश्चात किसी दूर के परावर्त्ती को यह सम्पत्ति अनायास ही मिल जाती है

**उपाध्यक्ष महोदय** : देना उसे भी होता है, जब तक कि वह समांशिता में न हो। पाठ यह है "वह व्यक्ति जो कि समांशिता के सदस्य थे।"

**श्री आर० के० चौधरी** : परन्तु कुछ परिवारों में समांशिता होती ही नहीं है। संभव है कि वह परावर्त्ती मृत पति का शत्रु ही हो, और यहां पर भी उसे कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : चाहे वह दूर का परावर्ती ही क्यों न हो ? ऐसा क्यों ? उस दूर के परावर्ती को यह सुविधा क्यों दी गई है ? यही तो प्रश्न है। मूल पाठ में केवल समांशिता वालों का ही निर्देश है। परन्तु यह संशोधन इस के विस्तार को परावर्त्ती तक विस्तृत करता है। जहां तक कि समांशिता वाले परावर्त्तियों का सम्बन्ध है श्री चौधरी को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि इसे दूर के परावर्ती तक क्यों फैलाया जाये ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है क्योंकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि किस प्रकार के परावर्ती को सम्पत्ति का अधिकार मिलेगा। विधवा का जीवन स्वत्व होता है। परावर्त्ती को जो अधिकार जाता है वह विधवा का जीवन स्वत्व होता है। वह सम्पूर्ण सम्पत्ति नहीं होगी।

**श्री गाडगील** : विधवा को अपने पति की वही सम्पत्ति मिलती है जो कि प्रत्येक अर्थ में पृथक होती है। यदि वह समांशी है तो विधवा को समांशिता वाली सम्पत्ति में से कुछ नहीं मिलता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस व्याख्या को मानना कठिन है। बिधवा का स्वत्व ही एक मात्र वह सम्पत्ति नहीं है जो कर योग्य हो। जो स्वत्व विधवा को मिलता है अगर वही स्वत्व परावर्त्ती को चला जाता है, तो उस सभी सम्पत्ति पर, जिस पर विधवा को शुल्क देना पड़ा होता, दुबारा शुल्क लिया जा सकेगा। यह दशा पास के परावर्ती के लिये भी हो सकती है और इसी लिये सात वर्ष की छट दी गई है। प्रश्न केवल यह है कि दूर के परावर्त्ती के लिए भी यह सुविधा क्यों रखी जाये।

**श्री आर० के० चौधरी** : विधवा को तो आप छट देना चाहते नहीं हैं परन्तु इस के परावर्त्ती को देना चाहते हैं। पति की मृत्यु के बाद उस पर शुल्क न लगाया जाये, परन्तु उस की मृत्यु के बाद उस पर शुल्क लगे।

**श्री सी० डी० देशमुख** : दुबारा विवाह के सम्बन्ध में कुछ शंकायें हैं। यदि कोई हिन्दू विधवा दुबारा विवाह कर लेती है। मैं स्वीकार करता हूं श्रीमान् कि इन बातों के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं है। विधवा द्वारा दुबारा विवाह कर लेने पर उस के स्वत्व क्या रहेंगे। विधवा के स्वत्व करावरति को प्राप्त होने पर क्या होगा ; फिर प्रश्न है व्यवहारिक मृत्यु का। फिर प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के स्वत्व विधवा की मृत्यु के बाद हस्तान्तरित होते हैं, क्योंकि स्वामी की मृत्यु के बाद उस पर एक बार सम्पदा शुल्क निर्धारित की जा चुकी है। यदि विधवा को केवल जीवन स्वत्व मिलता है तो, यदि इस खंड को न रखा जाये, तो क्या केवल यही जीवन स्वत्व हस्तान्तरित होता है। क्योंकि उस की मृत्यु के बाद यही चीज समाप्त हो जाती है। इसीलिये मैं इस सम्बन्ध में विधि मंत्री से परामर्श करना चाहूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : तो खण्ड ३१ को संशोधनों सहित स्थागित किया जाता है।

**श्री राघवाचारी** : क्योंकि इस खंड को और अधिक विचार विमर्श के लिए स्थगित कर दिया गया है अतः मैं एक और सुझाव विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। यह खंड ऐसे मामलों के सम्बन्ध में है जिन में कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस की स्त्री उत्तराधिकारी बनती है। ऐसे उदाहरण हैं जिन में मां उत्तराधिकारी हो सकती है और वह सीमित स्वामी होती है : कोई भी स्त्री, पत्नी होना ही आवश्यक नहीं है, उत्तराधिकारी हो सकती है। समांशी की मृत्यु पर उस की मां उत्तरा धिकार प्राप्त कर सकती है। इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हिन्दू विधि में विधवा की जायदाद और स्त्री की जायदाद में कोई अन्तर नहीं किया गया है। दोनों को सम्पत्ति दे देने का पूर्ण अधिकार नहीं है। उन का अधिकार कुछ शर्तों पर होता है।

**श्री राघवाचारी** : इस की बात यह है। शब्द 'परावर्ती' के रखे जाने का कारण माननीय मंत्री ने यह बताया था कि यह हिन्दू विधि की दोनों प्रणालियों पर लागू हो सकता है। आशय केवल यह था कि जिस व्यक्ति ने एक बार शुल्क दे दिया है उसी को, किसी दूर या पास के परावर्ती को नहीं, लाभ मिलना चाहिये। अतः मेरा सुझाव है कि हिन्दू संयुक्त परिवार के पुरुषों को ही ध्यान में रखा जाना चाहिये।

**श्री पाटस्कर** (जलगांव) : जहां तक मैं समझा हूं खंड ३१ का अर्थ यह है, यदि कोई समपत्ति मूल स्वामी की मृत्यु के बाद किसी सीमित स्वामी जैसे विधवा या मां या ऐसे ही किसी व्यक्ति को मिलती है और वह सीमित स्वामी भी सात वर्ष में ही मर जाता है, तो यदि उस का शुल्क जब कि वह सीमित स्वामी के पास थी दे दिया गया था तो ऐसी सम्पत्ति को छुट दी जाये। सात वर्ष की अवधि में उस पर दुबारा कर न लगाया जाये। सीमित स्वामी उक्त सम्पत्ति को हस्तान्रित नहीं कर सकता है, अतः सम्पत्ति नहीं रहती है। आशय यह है कि यदि सीमित स्वामी के पास पहुंचने के पूर्व शुल्क दे दिया गया हो तो उस के सीमित स्वत्व के समाप्त होने पर उस अवधि में दुबारा कर न लगाया जाये। सीमित स्वामी अर्थात विधवा को कोई सुविधा नहीं दी गई है। उसे शुल्क देना होता है। बात के वल इतनी ही है कि उस के स्वत्व के समाप्त होने पर सात वर्ष की अवधि में उस सम्पत्ति पर दुबारा शुल्क न लगाया जाये।

**नवीन खंड ३१ क**

**श्री सी० आर० इय्युमी** : इस में एक छापे की ग़लती है। इस में लिखा है 'husband's family' ['पति के परिवार'] परन्तु होना चाहिये था 'husband's death' [ 'पति की मृत्यु' ], अर्थात 'परिवार' शब्द के स्थान पर 'मृत्यु' शब्द होना चाहिये था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है। संशोधन के पाठ को देखते हुए शब्द 'परिवार' एक दम असंगत है, उस का कोई अर्थ ही नहीं है।

**श्री सी० डी० देशमुख** : यह बात तर्कसंगत है।

**खंड ३२ उन्मुतिक्यां**

**श्री कृष्ण चन्द्र** : मेरा प्रस्ताव है :

पृष्ट १९ में,

(१) पंक्तियों २३ से २५ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(a) property taken under a gift made by the deceased for a prescribed public charitable purpose;"

[श्री कृष्ण चन्द्र]

["(क) किसी निर्धारित सार्वजनिक धर्मार्थ कार्य के लिए मृत व्यक्ति द्वारा दिये गये दान के अनुसार किसी सम्पत्ति को ले लेना ;"]

(२) पृष्ट १९ में,

पंक्तियों २३ से २५ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(a) property taken under a gift made by the deceased for such public charitable purposes as may be prescribed;"

["(क) किसी निधारित किये जाने वाले सार्वजनिक धर्मार्थ कार्य के लिए मृत व्यक्ति द्वारा दिये गये दान के अनुसार सम्पत्ति को ले लेना ;"]

**श्री एस० वी० रामास्वामी** : मैं श्री टेकचन्द का संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं, यदि मुझे अनुमति दी जाय तो ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त और कोई सदस्य अपने अधिकार को प्रदत्त नहीं करते हैं । साथ ही मेरे विचार से यह संशोधन इतना महत्व पूर्ण भी नहीं है कि उस के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाये ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरा प्रस्ताव है।

(१) पृष्ट १९ की पंक्ति २४ में,—

शब्द "from' ['से' ] के स्थान पर शब्द 'before' ['पहले'] रखा जाये ।

(२) पृष्ट १९ की पंक्ति ३९ में,–

अन्त में, "but not exceeding rupees fifty thousand", ["पचास हज़ार रूपये सेअधिक नही "]

(३) पंक्ति ३९ के बाद यह जोड़ा जाये:

(ff) monies deposited with the Government in such manner as may be prescribed for the purpose of paying estate Duty, together with the interest which has accrued due thereon at such rate as may be prescribed, to the extent of the amount of duty payable but not exceeding rupees fifty thousand."

["(चच) सम्पदा शुल्क देने के लिए निर्धारित रीति के अनुसार सरकार के पास जमा किये गये धन, तथा उस पर उक्त अवधि में निर्धारित कर के अनुसार मिली ब्याज को देय शुल्क की रक़म तक परन्तु पचास हजार रुपये से अधिक नहीं ।"]

(४) पृष्ट १९ की पंक्ति ४३ में,—

शब्द "or" [ "अथवा" ] के पश्चात शब्द " archaeological or"

["पुरातत्व सम्बन्धी अथवा"] आदिष्ट किये जायें ।

(५) पृष्ट २० में—

पंक्तियों ४ से ९ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(j) monies earmarked under policies of insurance, or declarations of Trust or settlements effected or made by a deceased parent or natural guardian for the marriage of any of hisfemale relatives dependent upon him for the necessaries of life,

to the extent of rupees five thousand in respect of marriage of each of such relatives"

["(ट) अपने ऊपर आश्रित महिला रिश्तेदारों की जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा उन में से प्रत्येक रिश्तेदार के विवाह के लिए पांच हज़ार रूपये तक की रक़म का प्रावधान करने के लिये मृत माता पिता अथवा प्राकृतिक अभिभावक द्वारा बीमा पालिसियों में स्पष्ट निर्दिष्ट अथवा की गई प्रन्यास घोषना अथवा किये गये संविधा के अन्तर्गत नराशि ।"]

श्री **बनर्जी** (भिदनापुर-झडग्रास) : मेरा प्रस्ताव है :

पृष्ट १९ की पंक्तियां २४ और २५ में,—

"within a period of six months from his death, to the extent of rupees two thousand and five hundred in value"

["उस की मृत्यु के छै महीने की अवधि के भीतर ढाई हज़ार रूपये की रकम तक"] शब्द विलोपित किये जायें।

श्री तेलकीकर द्वारा अपने संशोधन (संख्या ४८८, ४६८, ४८९, ४९०, ४९१ ) प्रस्तुत किए गये ।

श्री जी० डी० सोमानी द्वारा अपने संशोधन (संख्या ९७, १०८, ११०, १२२ ) प्रस्तुत किए गए ।

श्री यू० एम ० त्रिवेदी द्वारा अपने संशोधन (संख्या ९८, १०५, १०७, ६९१ ) प्रस्तुत किए गए ।

श्री झुनझुनवाला द्वारा अपना संशोधन (संख्या ६७८) प्रस्तुत किया गया ।

श्री आल्तेकर द्वारा अपने संशोधन (संख्या ६४७, ६४८) प्रस्तुत किए गए ।

श्री कृष्ण चन्द्र द्वारा अपने संशोधन (संख्या ४१८, ४१९ ) प्रस्तुत किए गए ।

श्री बनर्जी द्वारा अपना संशोधन (संख्या १००) प्रस्तुत किया गया ।

श्री सी० डी० पांडे द्वारा अपने संशोध (संख्या २५४, ३१८, २५७, २५९, २६६,) प्रस्तुत किए गए ।

श्रीमती सुषमा सेन द्वारा अपना संशोधन (संख्या २५५) प्रस्तुत किया गया ।

श्री बर्मन द्वारा अपना संशोधन (संख्या ६३०) प्रस्तुत किया गया ।

श्री एच० जी० वैष्णव द्वारा अपने संशोधन (संख्या ३८३, ४५२, ३८२) प्रस्तुत किए गए ।

श्री सिंहासन सिंह द्वारा अपना संशोधन (संख्या ५३५) प्रस्तुत किया गया ।

श्री के० के० बसु द्वारा अपने संशोधन (संख्या ४५३, ४५४ ) प्रस्तुत किए गए ।

डा० कृष्ण स्वामी द्वारा अपना संशाधन (संख्या २५८) प्रस्तुत किया गया ।

श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा श्री टेक चन्द का संशोधन (संख्या २६२ ) प्रस्तुत किया गया ।

श्री रघुवीर सहाय द्वारा अपने संशोधन (संख्या ११४, ११७ ) प्रस्तुत किए गए ।

श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा अपने संशोधन (संख्या १२३, १२६) प्रस्तुत किए गए ।

श्री बी० पी० सिन्हा द्वारा अपना संशोधन (संख्या ३१९) प्रस्तुत किया गया ।

श्री एस० एस० मोरे द्वारा अपना संशोधन ( संख्या ४९२ ) प्रस्तुत किया गया ।

श्री आर० के० चौधरी द्वारा अपना संशोधन (संख्या ५८४) प्रस्तुत किया गया ।

श्री यू० एस० दुबे द्वारा अपना संशोधन (संख्या १२५) प्रस्तुत किया गया ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् द्वारा अपना संशोधन (संख्या ३५५) प्रस्तुत किया गया ।

श्री तुलसीदास द्वारा अपने संशोधन (संख्या ६८४, ६९३ ) प्रस्तुत किए गए ।

श्री मूलचन्द दुबे द्वारा अपना संशोधन (संख्या ६७४) प्रस्तुत किया गया ।

श्री वी० बी० गान्धी द्वारा अपने संशोधन (संख्या ६७६, ६७७ ) प्रस्तुत किए गए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब माननीय मंत्री अपने संशोधन रखें ।

**श्री सी० डी० देशमुख**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" पृष्ट १९, पंक्ति २४ में 'from' ['से'] के स्थान पर 'before' ['पहिले'] आदिष्ट कर दिया जाये ।"

श्रीमान, यह आलेखन विषयक सुधार है और अभिप्राय भाषा को उपखंड (ख) के अन्य खंडों की भाषा के अनुकूल बनाना है ।

फिर मेरा संशोधन संख्या ५३६ है :

'पृष्ट १९, पंक्ति ३९ के अंत में "but not exceeding rupees fifty thousand" ["किन्तु पचास हजार रूपये से अधिक नहीं" ] जोड़ दिया जाए ।'

हम ५० हजार की सीमा रख रहे हैं, अन्यथा यह अपेक्षतया सुसंपन्न कर दाताओं के ऊपर सब मिला कर अनुचित रियायत होगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सब मिला कर न ? क्या यह बताया गया है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : ३२ (छ) से संबंधित पंक्ति ३९ में यह बताया गया है कि " मृत व्यक्ति द्वारा अपने जीवन के बारे में निस्पादित एकाधिक बीमा-पत्रों के अधीन देय धन, जो पांच हजार तक सीमित होगा ।"

मेरा अगला संशोधन है :

"पृष्ट १९ की पंक्ति ३९ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाए :

"सम्पदा शुल्क को चुकाने के प्रयोजन से सरकार के पास ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, जमा किया गया शुल्क की देय राशि जितना किन्तु पचास हजार रुपये से अनधिक धन, उस के ऊपर उस दर से, जो विहित की जाए, प्रोद्भूत ब्याज ब्याज सहित; "

यह सम्पदा शुल्क के अग्रिम भुगतान का उपबंध करता है और बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है । यह अत्यन्त आवश्यक होगा, क्योंकि सभी बीमा न करा सकेंगे । विशेष आयु पर, विशेषत: जब वह व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा, तो कोई भी बीमा समवाय बीमा न करेगा । उसी कारण ५०,००० रुपए की सीमा रखी गई है, अन्यथा अपेक्षतया अधिक संपन्न करदाताओं को अनुचित लाभ प्राप्त हो जाएगा ।

फिर अगला संशोधन है :

'पृष्ट १९, पंक्ति ४३ में "or" ["या"] के पश्चात " archaeological " ["पुरातत्व संबंधी या"] निविष्ट कर दिया जाए ।'

यह संशोधन शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर रखा जा रहा है ।

मेरा अन्तिम संशोधन है :

'पृष्ट २० में पंक्ति ४ से ९ के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाए :

"(अ) किसी मृत जनक या सहज अभिभावक द्वारा अपनी किसी रिश्ते की

महिला के लिए, जो अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिये उस पर आश्रित हो, निष्पादित या किए गए बीमा-पत्रों या न्यास-घोषणाओं या समझौतों के अधीन प्रत्येक ऐसे सम्बन्धी के लिए अलग रखे गए पांच हज़ार रुपए से अनधिक धन;"

हमारा विचार है कि खण्ड ९ के संशोधनों की दृष्टि में निकाला गया खण्ड व्यर्थ है, अतः उपखंड (अ) का पुनः आलेखन किया गया है। शेष के सम्बन्ध में मैं कारण बता चुक।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन स्थगित होता है और चार बजे पुनः समवेत होगा।

**इसके पश्चात सदन की बैठक चार बजे तक के लिये स्थगित हो गई।**

---

**सदन की बैठक ४ बजे पुनः समवेत हुई**

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम खण्ड ३२ पर बातजारी रक्खेंगे।

**श्री रघुरामय्या** (तेनालि) : खण्ड ३२ में तथा वित्त मंत्री के संशोधन में यह निर्धारित किया गया है कि सम्पदा शुल्क की दर तै करने के लिये .....

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम खण्ड ३२ पर विचार कर रहे हैं और आप खण्ड ३३ की ओर निर्देश कर रहे हैं।

**श्री रघुरामय्या** : मुझे खेद है।

**श्री आल्तेकर** : स्वराज प्राप्ति के पूर्व दान वृत्ति का बहुत आदर किया जाता था परन्तु अब उसका महत्व गौण समझा जाने लगा है। हमारी सभ्यता में दान वृत्ति को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सम्पदा शुल्क विधेयक पर होने वाले वादविवाद को सुनने के बाद मुझे आभास हो रहा है कि अब ऐसा युग आ रहा है जिस के प्रवर्तकों--नियन्त्रकों, अंकनकर्ताओं तथा शुल्क निर्धारकों--की कठोरता के सामने दान वृत्ति का लोप हो जायेगा। धर्मार्थ संस्थाओं ने वास्तव में देश को बहुत लाभ पहुंचाया है। फिर भी उनकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना चाहिये। हमने अपने देश से अस्पृश्यता को निकाल दिया है और उसका अशुद्ध रिक्त स्थान दान वृत्ति को दे रहे हैं। हालांकि दान वृत्ति से देश को अत्यधिक लाभ हुआ है।

सम्पदा शुल्क विधेयक में दान के सम्बन्ध में इतनी सावधानी इस लिये दिखाई गई है कि सम्पदा शुल्क का करापवंचन न होने पावे और बड़ी बड़ी रियासतों के स्वामी केवल वही दान दे सकें जो सद्भावना से दिये जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि धनी व्यक्ति धर्मार्थ संस्थाओं को धन देने के लिये अधिक चिन्तित नहीं रहते हैं वे तो अपने सगे सम्बन्धियों को ही लाभ पहुंचाने के लिये चिन्तित रहते हैं। इसलिये यदि इस अभिप्राय से किये जाने वाले करापवंचन को रोकने के इतने उपाय किये गये हैं तो कोई दानवीर यदि धर्मार्थ संस्थाओं को दान दे तो हमें चाहिये कि हम उसका सम्मान करें और उसके लिये यथोचित स्थान सुरक्षित रक्खें। इस संबंध में २,५०० रुपये की जो सीमा निर्धारित की गई है वह उचित नहीं है क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन के पास लाखों करोड़ों की सम्पत्ति हो सकती है। यदि हम उनके पास धर्मार्थ संस्थाओं के लिये भारी भारी दान लेने जायेंगे तो वे सब से पहले तो सोचेंगे कि सरकार ने २,५०० रुपए की सीमा निर्धारित कर दी है। दूसरे यह कि उन की मत्यु के पश्चात जब हिसाब देखा जायेगा तो हो सकता है कि उन के उत्तराधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उनको मिलने वाली संपत्ति

[श्री आल्तेकर]

का एक बहुत बड़ा भाग निकल जाय तथा मुकदमे बाजी की कठिनाइयां पैदा हों। इस प्रकार इस अधिनियम का प्रभाव यह होगा कि दानवृत्ति की राह में बड़ी बड़ी कठिनाइयां तथा अवरोध उत्पन्न हो जायेंगे और कोई भी इस प्रकार के दान देने को तैयार न होगा।

मान लीजिये एक व्यक्ति जिस के पास एक करोड़ की सम्पत्ति है वह धर्मार्थ कार्यों के लिये दस लाख रुपया दान देता है तो यह सारी दस लाख रुपए की धनराशि समाज के हित में उपयोग में आयेगी। और यदि वह यह दान न दे तो सरकार के कोष में अधिक से अधिक चार लाख रुपया चला जायेगा और समाज को छः लाख रुपये से हाथ धोना पड़ेगा। आखिर सरकार भी तो समाज का ही एक अंग है और सारे समाज को हानि पहुंचा कर उसके एक अंग को लाभ पहुंचाने का यह अर्थ नहीं है समाज को होने वाला कुल लाभ बढ़ जायेगा।

दान वृत्ति से देश को कितना लाभ हुआ है इसका आभास करने के लिये हमें ऐसी संस्थाओं को देखना चाहिये जैसे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा पूना की 'लेडी थैकर से यूनिवर्सिटी फार वमेन'। धनी व्यक्तियों के भारी भारी धन, यदि न होते, तो ऐसी संस्थाओं का जन्म ही न होता और यदि हम २,५०० रुपये की सीमा निर्धारित कर देंगे तो भविष्य में ऐसी संस्थायें न बन पायेंगी। विभिन्न जिलों में चलने वाले अधिकतर कालिज तथा स्कूल, उनके भारी भारी भवन, तथा आवश्यक साजो सामान, सब दान ही से उपलब्ध हुए हैं। वर्तमान परिस्थिति में दान मिलना यों ही कठिन हो रहा है और अब इस विधेयक से कठिनाईयां और भी बढ़ जायेंगी।

कहा जाता है कि प्राथम्यों पर ध्यान देने के बाद ही धर्मार्थ संस्थाओं को दिये जाने वाले दान की सीमा निर्धारित की गई है। परन्तु जिन परिस्थितियों में इन प्राथम्यों पर ध्यान दिया गया है वह ऐसी हैं कि धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अनेकानेक शिक्षण संस्थायें, चिकित्सा की सहायता करने वाली संस्थायें, महिला आश्रम जहां भटकी हुई महिलाओं को शरण मिल सके तथा अनाथालय चल रहे हैं। यदि हमारी दृष्टि उन प्राथम्यों पर पड़ती है तो इसका आधार यह है कि धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार की सुविधायें देश को पहुंच रही हैं। इस लिये हम इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

इसका प्रभाव केवल यही नहीं होगा कि इस प्रकार धर्मार्थ संस्थायें भविष्य में न बनने पायेंगी वरन् वर्तमान धर्मार्थ संस्थाओं के लिये भी काम चलाना असंभव हो जायेगा। कुछ तो ऐसी हैं जिन्होंने बड़े बड़े दान प्राप्त करने की आशा से ही कार्य आरम्भ किया था उनके लिये अपने कार्यों को पूरा करना कठिन हो जायेगा ; उदाहरण के लिये श्रद्धानन्द आश्रम जिसका आयव्ययक लाखों से भी अधिक है और वह सभी धन दान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता था। दान पर इस प्रकार की सीमा निर्धारित हो जाने से यह कार्य असभव हो जायेगा।

इसीलिये मैंने सुझाव दिया है कि इस के लिये सीमा होना चाहिये, २,५०० रूपया अथवा मृतक की कुल सम्पत्ति का पांच प्रतिशत जो भी धन राशि बड़ी हो'। इस प्रकार वे व्यक्ति जो बहुत धनी हैं तथा जो धर्मार्थ कार्य के लिये अपनी सम्पत्ति का पांच प्रतिशत दान में देना चाहते हैं वे इस के लिये स्वतन्त्र कर दिये जायें।

जहां तक अन्य प्रकार के दान का सबंध है जैसे उन लोगों को दिये जाने वाले दान जिन का उन्होंने अपने बच्चों के समान लालन

पालन किया है, उन को यदि वे १५०० रुपये से अधिक देना चाहें तो उनको इससे रोकना नहीं चाहिये । मैं चाहता हूं धर्मार्थ संस्थाओं को दिये जाने वाले दान के लिये पांच प्रतिशत की तथा अन्य प्रकार के दान के लिये, तीन प्रतिशत की छूट हो । यह सब मिला कर आठ प्रतिशत होता है । अन्य प्रकार की विमुक्तियां ७५ हजार या एक लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती हैं । यदि किसी के पास एक करोड़ रुपये की सम्पत्ति हो तो इस प्रकार सम्पत्ति शुल्क से मुक्त हो जाने वाली सम्पत्ति नौ लाख रुपये या दस प्रतिशत से अधिक न होगी । सम्पत्ति के परिमाण को देखते हुए यह बड़ी भारी छूट नहीं है । दान का प्राप्त करना इतना सुगम नहीं है । जो धर्मार्थ संस्थायें चला रहे हैं वही इसकी कठिनाइयों से परिचित हैं । परन्तु मैं देखता हूं कि एक धनी व्यक्ति से दान प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है जितना माननीय मंत्री को इसके लिये राजी करना है । जहां तक देश के हितों का प्रश्न है मैं चाहता हूं कि लोकोपकारी सार्वजनिक संस्थाओं को यह कहने का अवसर न मिले, "हे परमेश्वर ! हमारे मित्रों (वित्त मंत्री तथा उनके परामर्श-दाता) से हमारी रक्षा करो ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं जानना चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट हो जाय कि क्या २५०० रुपये की यह धनरशि पांच हजार रुपये में सम्मिलित है ?

**श्री सी० डी० दशमुख** : यह धनराशि पृथक है तथा ९ (२) के अन्तर्गत है ।

**श्री वी० पी० सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन नम्बर ३१९ का समर्थन करता हूं । इस मृत्युकर बिल के स्थान पर यदि हम सम्पत्ति कर या उत्तराधिकार बिल लाते तो भारतीय भावनाओं का हनन न होता । आज इस मृत्यु कर बिल से जिसे हम एस्टेट ड्यूटी बिल के नाम से पुकारते हैं, भारतीय भावनाओं को बहुत ठेस पहुंच रही है । परन्तु, जो कुछ भी हो, इस का सिद्धान्त हम ने कबूल कर लिया है, फिर भी उत्तम होता कि इस बिल को हम मृत्यु कर बिल के रूप में न रख कर उत्तराधिकार या सम्पत्ति कर बिल के रूप में लाते । इस बिल का उद्देश्य आर्थिक समता लाना है । मैं नहीं चाहता हूं कि देश में महलों और छप्परों का अन्तर न मिटे । परन्तु साथ ही साथ मैं यह जरूर चाहता हूं कि मध्यम स्तर का मार्ग इसके लिये निकल सके जहां पर कि हमें निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठा कर ले जाने की चेष्टा करनी चाहिये और जो ऊंचे स्तर पर हैं उन को उस स्तर तक नीच ले जाने की चष्टा करनी चाहिये । ऐसा न होने से समाज में अव्यवस्था हो जायेगी, हमारा समाज अस्त व्यस्त हो जायेगा और हम देश के अन्दर शान्ति की स्थापना न कर सकेंगे । इस लिये सरकार को इस के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये । वह इस तरह का प्रयत्न करे कि जो आज नीचे के स्तर के लोग हैं उन को मध्यम स्तर पर ले जाये । यदि हम इस प्रकार से बिना उचित विचार किये हुए बिल लावेंगे जिस से कि हम निम्न स्तर के लोगों को मध्यम स्तर पर न ला सकें, तो मध्यम स्तर छिन्न भिन्न हो जायेगा और देश में अशान्ति फैल जायेगी । इस लिये मेरा ख्याल है कि मध्यम वर्ग के लोगों को छेड़ना अनुचित होगा । १९४६ और १९४८ में एस्टेट ड्यूटी बिल का जो ढांचा तैयार किया गया था उस में भूमि कर नहीं लगाया गया था । आज ऐसी कोई विशेष अवस्था पैदा नहीं हुई है जिस में जमीन पर भूमि कर लगाने का हमें फैसला करना चाहिये था । आज देश में उत्पादन में जो कमी हो रही है वह हमारे लिये एक मुख्य विषय है । जो साधन इस बढ़ी समस्या को हल करने में सहायक हों हमें उनको ही श्रेयस्कर मानना चाहिये और उन्हीं को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

[श्री वी० पी० सिंह]

मेरा ख्याल है कि इस प्रकार के बिल से आप के उत्पादन में कमी होगी। आज भूमि की जो अवस्था है, जिस के लिये अभी हमने कोई नीति निश्चित नहीं की है, उस से उत्पादन में बड़ी कमी हुई है। आज किसानों के पास जो जमीन है जिसे आप वेस्ट लैंड कह सकते हैं, या जो जमीन साधारण मिट्टी की है उसे वे उर्वरा बनाने की चेष्टा नहीं करते हैं क्योंकि वह नहीं जानते हैं कि कितनी जमीन उनके पास रहेगी और कितनी नहीं रहेगी। यह जो ऐग्रिकल्चरल टैक्स की बात रखी गई है उस में किसानों के बीच में और भी भ्रम फैल जायेगा और जो जमीन जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़ी रह जायेगी। जिस के पास वेस्ट लैंड है वह उसको सुधारने की चेष्टा नहीं करेगा, जिस के पास निम्न स्तर की जमीन है वह उसे सुधारने की चेष्टा नहीं करेगा। इस लिये इन बातों पर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये। साथ ही साथ यदि आप जमीन को एस्टेट ड्यूटी बिल के अन्दर लेते हैं तो आप के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या उस के मूल्यांकन में ही लगी रह जायेगी, और मैं समझता हूं डैथ ड्यूटी के बाद जब दूसरी ड्यूटी का सवाल आयेगा तो आप मूल्यांकन करने में भी असमर्थ होंगे। इस लिये यह जो कानून है वह बिलकुल अनुपयुक्त है और आपके उत्पादन में बाधक होने वाला है। साथ ही साथ जो आप निम्न स्त को ऊंचे स्तर पर लाना चाहते हैं उस में भी बाधा पड़ेगी। आप को सोचना चाहिये कि अब देश में जमीदारी न रहे, । केवल किसान ही देश के अन्दर हैं जिन के पास भूमि है। यह भले ही हो कि किसानों में दो प्रकार के लोग हैं। एक ऊंचे वर्ग के किसान और दूसरे निम्न वर्ग के किसान। इस में आप कमी कर सकें तो करें। आज देश में समता लाने के लिये, ताकि गरीबों के घर मेंदोनों वक्त रोटी बन सके, चूल्हा चल सके, जो सब से बड़ी आवश्यकता है वह है नशाखोरी को बन्द करना, जिस की ओर से देश उदासीन है। नशाखोरी के कारण गरीबी कम नहीं हो रही है, इस ओर सरकार को विचार करना चाहिये। यदि सरकार इस ओर विचार करती है तो मैं समझता कि आज वह देश में आर्थिक समता लाने की बात सोच रही है। आज यदि सरकार के पास यह सुझाव भी होता कि इस डेथ ड्यूटी से जो पैसा आयेगा उस को नशाखोरी बन्द करने से जो कमी होगी उस की पूर्त्ति की जायेगी।

तो हम समझते हैं कि गरीबों की अवस्था सुधारने की बात कही जा सकती है। लेकिन वह सब कोई भी योजना हमारे देश में नहीं है। योजना हमारे देश में ऐसी हैं जिन से दिन प्रति दिन सरकार के प्रति लोगों के दिल के अन्दर अविश्वास पैदा होता जा रहा है और आज जनता यह समझती है कि सरकार जितने पैसे हम से लेती है उन पैसों का कोई उचित उपयोग वह नहीं करती है। इस के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उदहारण न देना ही बेहतरीन होगा। क्या अर्थ मंत्री या सरकार के शासन को चलाने वाले लोग यह समझते हैं कि जो पैसा हम लेते हैं उस पैसे का उचित उपयोग हो रहा है? जहां तक जनता का सम्बन्ध है उस के दिल में ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है कि जो पैसा सरकार लेती है वह उचित रूप से खर्च नहीं होता है। इस प्रकार बिल पर बिल ला कर टैक्स लगाना हम समझते हैं कि जनता का विश्वास खोना है। इस लिये इन सब चीजों की तरफ हम अपने अर्थ मंत्री का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहते हैं।

इस के ऊपर जो ऐस्टेट ड्यूटी कर लगाने की बात जो सोची जा रही है यह तो बहुत ही

गम्भीर विषय है, बहुत ही विचारणीय विषय है। अब हमारे अधिकारियों को, जो शासन के अधिकारी हैं, उन को सोचना चाहिये कि जमींदार वर्ग खत्म हो गया। किसान हैं। किसानों को भूमि से जो आय होती है, उस पर आप जो टैक्स लगावेंगे तो किसानों की आय तो अनिश्चित है। किसानों की आय वर्षा पर निर्भर करती है। लगातार दो तीन वर्ष तक वर्षा न होने के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। आप को सोचना चाहिये कि दो तीन वर्ष तक खेती करने में किसानों को दुर्भिक्ष के कारण कितना नुकसान होता है। फिर उस की पूर्ति कितने वर्ष में हो सकती है, यह सोचने की बात है। आजकल किसानों की आय पर जो टैक्स स्टेट्स में लगाये जा रहे हैं, वे ही यथेष्ट हैं। यदि अकाल में कोई किसान मरा और उस पर मृत्यु कर लगा तो उसका सर्वनाश हो जायेगा उस ने खेती के ऊपर जो खर्चा किया उस की पूर्ति करने में ही कई वर्ष लग जायेंगे और उस से मृत्यु कर के रूप में, उस की ऐग्रीकल्चर के ऊपर उसको और टैक्स देना पड़ेगा तो वह किसान कई वर्ष तक के लिये बैठ जायेगा और देश की बड़ी भारी क्षति होगी। किसानों की सहायता करना, उन को प्रोत्साहन देना, हमारा काम है। साथ ही यदि आज किसानों के पास सम्पत्ति है, तो उसको लेने में भी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन उसे डैथ ड्यूटी के बिल से, स्टेट ड्यूटी के नाम पर न ले कर आप दूसरे बिल के द्वारा भूमि कर के रूप में लें, जैसे कि बहुत से राज्यों में प्रचलित है। हम समझते हैं कि आज आर्थिक समता की जो भावना है तो उस में इस तरह से पैसा लेना चाहिये, ऐस्टेट ड्यूटी के नाम पर नहीं। ऐग्रीकल्चर टैक्स के नाम से ही सरकार को पैसा प्राप्त हो सकता है और मैं नहीं समझता हूं कि भूमि के लायक जमीन पर कोई ऐस्टेट ड्यूटी टैक्स लगाने की समस्या सरकार के सामने है।

आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। आज नशाखोरी के कारण कितने घरों में दोनों वक्त चूल्हा नहीं जलता है। आप नशाबन्दी कर दें तो गरीबों का कितना बड़ा सुधार हो सकता है। मुझे दुःख है कि शासन ने इस ओर काफी ध्यान नहीं दिया है। वह तो कहते हैं कि स्टेट्स का यह काम है। लेकिन जमीन का विषय भी तो स्टेट्स का है। उस पर सरकार कर लगाने की बात क्यों सोचती है? यदि आज इस तरह के गरीबों की अवस्था वास्तव में सुधारने की बात है तो सरकार इस तरह क सुझाव राज्यों को दे सकती है कि वे नशाखोरी बन्द करें, जिस से गरीबों की अवस्था सुधरे। हम नहीं समझते हैं कि सरकार वास्तव में गरीबों की अवस्था सुधारना चाहती है, वास्तव में आर्थिक समता लाना चाहती है। यदि वास्तव में यह बात है तो हमारा सरकार से यह नम्र निवेदन है कि वह राज्य सरकारों को इस तरह का आदेश दे, सुझाव दे, कि वे नशाखोरी को बन्द कर दें और जो आज झौंपड़ों और महलों का अन्तर है, उस में किसी तरह कुछ समता ला सके, उसी की बात हम को करनी चाहिये। जो यह मध्यम स्थान पर लोग हैं, जिन की अवस्था हम सुधारना चाहते हैं, जिस तरह हम लोगों में आर्थिक समता लाना चाहते हैं, तो हम को इस की ओर इस तरह नशाबन्दी आदि के उपायों की ओर ध्यान करना चाहिये। तभी हम वास्तव में कोई सुधार का काम कर सकेंगे।

किसानों की जमीन का भविष्य क्या होगा, यह भी अन्धकार में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जमीन का बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो इस तरह की बातें सोचते हैं, उन को किसान के सम्बन्ध में कोई आईडिया नहीं है। आज देश में जो

[श्री वी० पी० सिंह]

आबादी है, इस के लायक जो जमीन है, यदि सारी जमीन बराबर बराबर लोगों में बांट दी जाय तो वह सब जमीन अनइकानामिक होल्डिंग में बंट जायगी और उत्पादन में इतनी कमी हो जायगी, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई हद नहीं है ।

आज हमारे अर्थ मंत्री जी ने बराबरर इस बात का हमें विश्वास दिलाया है और कहा है कि जो उचित सुझाव किसी भी ओर से आवेंगे तो वे दलगत की भावना के बिना उन पर विचार करेंगे । मैं समझता हूं कि भूमि सम्बन्धी नीति के बारे में हमारे अर्थ मंत्री को बहुत ही गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये । मैं उन से आग्रह करूंगा कि भूमि को इस कर से नहीं निकालेंगे तो उस के मूल्यांकन करने में बहुत बड़ी दिक्कतें पेश आवेंगी और सब मामला बहुत ही अस्तव्यस्त हो जायेगा । इस लिये आज आपको देखना चाहिये कि जिन किसानों पर हम भूमि कर डैथ ड्यूटी के रूप में लगाने जा रहे हैं, उन किसानों की अवस्था क्या हो जायेगी । मैं फिर भी याद दिलाऊंगा कि श्री श्रीमन्नारायण जी अग्रवाल ने इस बिल का प्रथम वाचन में समर्थन करते हुए यह कहा था कि यह बिल इसलिये जरूरी है कि किसानों के ऊपर दूसरे दूसरे बहुत से ज्यादा कर लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे वर्ग इन से अछूते हैं । इसलिये इस बिल का लाना बहुत जरूरी है । मैं समझता हूं कि कम से कम इस बिल में इस कर के रूप में किसानों को छूट मिलनी चाहिये । जब दूसरे दूसरे वर्ग ही इस में रहेंगे तो आर्थिक समता के आने में सहायता होगी । मेरा अर्थ मंत्री को यह सुझाव है कि आज देश में बड़ा भ्रम फैलेगा कि आज से पहले जो सरकार थी, १९४६ के ढांचे के अनुसार जो सरकार थी, १९४८ के ढांचे में जो सरकार थी, उन ने किसी तरह भूमि को इस कर से मुक्त कर रखा था, लेकिन यह जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है, वह कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहती है, जहां पर कि उस को किसी न किसी रूप में टैक्स मिल सके ।

आज यह टैक्स तो आ ही रहा है और आ ही जायगा । लेकिन भूमि की अनिश्चित स्थिति है, किसानों की आय तो वर्षा पर निर्भर करती है । लगातार दो तीन वर्षों तक अनावृष्टि हो तो उस की क्या दशा हो जाती है और फिर उस के ऊपर डैथ ड्यूटी, ऐस्टेट ड्यूटी बिल का कर लागू हो तो वह किसान तो उठ भी नहीं सकेगा । उस की रीढ़ टूट जायगी ।

इसलिये हमारे अर्थ मंत्री से तीन निवेदन हैं । पहला निवेदन तो यह है कि वह भूमि जो खेती के लायक है उस को इस बिल से निकाल दें । यदि वह उस को निकालना न चाहते हों तो उस को तबतक के लिये स्थगित कर दें जबतक कि सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति निश्चित नहीं हो जाती है । यदि इस के लिये भी वह तैयार नहीं हैं तो सब से निम्न, सब से छोटा जो निवेदन है, वह हमारा इस अमेंडमेंट का निवेदन है, वह इस अमेंडमेंट को क़बूल करने की कृपा करें ।

दूसरी छट के बारे में मैं चाहता हूं कि हर परिवार को एक मकान रहने के लिये चाहिये । उस को इस बिल से छटकारा मिलना चाहिये । आज बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा मूल्य का मकान है तो उस को क्यों छोड़ा जाय । मैं समझता हूं कि आप मकान को नहीं छोड़ेंगे तो जो आप के कर्मचारी हैं, वे मकान का इस तरह मूल्य लगावग कि जिस से उस की किसी तरह छूट नहीं हो सके । हमारी कांस्टीट्यूएंसी में एक नवाब बहादुर हैं । उन के पास बहुत बड़ा मकान है । यदि

कोई भी उस का मूल्य लगावे तो वह मूल्य एक लाख तक जा सकता है। लेकिन मैं ने देखा है कि हालत यह है कि उस मकान की एक टूटी हुई खिड़की है तो उस में वह कोई तख्ता भी नहीं लगा सकते हैं। मैं ने सेवा-ग्राम में देखा था कि धूप से बचने के लिये खजूर की छड़ी (पत्ता) लगा हुआ था, नवाब के मकान की खिड़की में तख्ता की जगह एक खजूर की टट्टी लगी हुई थी।

इसलिए एक मकान का छोड़ना निहायत ज़रूरी है और अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो इस के फलस्वरूप देश के अन्दर बहुत बदअमनी फैलेगी, अशान्ति फैलेगी, वैसे ही देश की जनता सरकार का जो एग्ज़ीक्यूटिव वर्ग है, उस से तबाह हो रही है। जिस धारा में कहा जा रहा था कि मूल्यांकन की जांच करने के लिए कोई जुडीश्यल अधिकारी होना चाहिए, उस के लिए हमारे अर्थ मंत्री महोदय ने कहा कि उस काम को एग्ज़ीक्यूटिव ज्यादा सहूलियत से कर सकती है, आज जनता में एग्ज़ीक्यूटिव के प्रति वैसे ही भारी असन्तोष है और जनता त्राहि त्राहि कर रही है, अब अगर इस काम को जुडीश्यल को न सौंप कर एग्ज़ीक्यूटिव को दिया जायगा, तो देश में जो हाहाकार मचेगा, उस का हम इस वक्त अन्दाज़ा नहीं कर सकते।

अन्त में मैं और अधिक न कह कर वित्त-मंत्री महोदय से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप खेती के लायक़ जो ज़मीन है, उसे आप इस कर से मुक्त कर दें, दूसरे एक रहने का जो मकान हो, उसे भी इस कर से मुक्त कर दें भले ही वह किसी भी मूल्य का क्यों न हो। सरकार को यह उचित नहीं है कि जनता की सहूलियत का ख्याल किये बिना उस से पैसा लिया जाय। जनता की सरकार का काम यह देखना है कि जनता में सर्वत्र शान्ति, सुख और चैन हो और जब देश समृद्धिशाली होगा, तब पैसा मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसलिए मेरा अर्थ मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मेरा जो पहला सुझाव एग्रीकलचर लैंड को कर से मुक्त करने का है, उस को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर वह संभव न हो तो मेरे भूमि नीति निश्चित होने तक इस कर को स्थगित करने के सुझाव को मंजूर कर लें, लेकिन अगर वह भी मंजूर करने में अपने को असमर्थ पाते हों, तो कृपया मेरा जो अन्तिम सुझाव है और एक मकान को कर से मुक्त करने का, उसे अवश्य स्वीकार करने का कष्ट करेंगे, ऐसा मेरा उन से अनुरोध है।

**पंडित एस० सी० मिश्र** (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : ऐसा जान पड़ता है कि वित्त मंत्री हमारे ऊपर तथा बाहर की जनता पर यह प्रदर्शिकरण चाहते हैं कि वे बहुत सावधान हैं तथा उन्होंने छोटी से छोटी सम्पत्ति पर भी ध्यान रक्खा है जिस से केवल कुछ पाईयां ही प्राप्त हो सकती हैं। परन्तु वास्तव में उन बातों में तो बहुत उदार हैं जिन से अधिक धन प्राप्त हो सकता है और छोटी छोटी चीजों पर बाज़ार के कंजड़ों के समान खिच खिच कर रहे हैं।

खंड ३२ के सबन्ध में बहुत छोटी छोटी सीमायें निर्धारित की गई हैं : २,५०० रूपये; मेरी समझ में नहीं आता कि १,५०० रूपय, उस के बाद २,००० रूपये तथा ५०० रूपये, उन का तात्पर्य क्या है यदि आप कोई रियात देते हैं तो वह ऐसी रियायत होना चाहिए जिस से कुछ वास्तविक सहायता मिले। जहां तक खण्ड ३२ (२) का सम्बन्ध है यदि सरकार को तथा वित्त मंत्री को यह मालूम कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन के लिये उन को विमुक्तियां देना पड़ेंगी तो ज्यादा अच्छा होता यदि वह सारी बातें यहां बताई जातीं। हम चाहते हैं कि देशवासी विधि का आदर करें तथा उस का पालन करें परन्तु हम जो विधि बनाने वाले हैं कुछ न कुछ गुप्त रक्खे बिना

[पंडित एस० सी० मिश्र]

अपना काम ही नहीं चला सकते हैं। लोग यही कहेंगे, "देखा ! पक्षपात तथा परिवार पोषण इत्यादि के लिये उपखड (२) में इन लोगों ने काफ़ी स्थान रख छोड़ा है।" मैं कहता हूं जब यह अधिनियम प्रयोग में आ जाता है और वह बातें पैदा होतीं तब सरकार यह परन्तुक लाती तो सरकार की नेक नियती पर किसी को सन्देह न होता। आप कहते हैं भाषावार प्रान्त हानि पहुचावेंगे। दरों के सम्बन्ध में यह पक्षपात या ऐसी कोई बात जो अधिक मात्रा में धन आने से रोकेगी उस से लोगों को आसन्तोष होगा। इस लिये यदि कोई बात आप के ध्यान में हो तो उसे यहां बताना चाहिये। यदि रियायतें देना हैं तो वह पर्याप्त हों वरना छोटी हैसियत के व्यक्तियों की ओर से मेरा निवेदन है जो रियायतें दी गई हैं वह सभी वापस ले ली जायें।

**श्री एस० एस० मोरे** : मेरा संशोधन संख्या ४९२ है। कृषकों के खेती के काम आने वाले औजार तथा कारिगरों के औजारों के संबंध में तो उल्लेख किया गया है किन्तु कृषकों के पशुओं के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहूंगा कि इस को भी उस में जोड़ दिया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप का संशोधन क्या है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : इन का संशोधन अन्तर्जातीय विवाहों के संबध में है।

**श्री एएस० एस० मोरे** : उस संशोधन के पूर्व में चाहूंगा कि कृषकों के पशुओं के लिये कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरे संशोधन के विषय में जो कुछ श्री आर० के० चौधरी ने कहा वह सर्वथा अनावश्यक है। वह जो कुछ मैं अभी कहना चाहता हूं इस को छोड़ कर एक दम अन्तर्जातीय विवाह पर पहुंच जाना चाहते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य "अन्य कोई भी कारीगरों तथा कृषकों के औजारों" के पश्चात कुछ जोड़ना चाहते हैं।

**श्री एस० एस० मोरे** : पशु।

**उपाध्यक्ष महोदय** : "अथवा आवश्यक पशु।"

**श्री एस० एस० मोरे** : इस में तथा नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा ६० में बहुत कुछ समानता है। अन्तर केवल इतना ही है कि केवल पशु हटा दिया गया है।

अनेक कलात्मक कृतियां तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं जो तत्काल विक्रय के लिये नहीं संग्रह की जाती हैं और जो खण्ड (ज) के अधीन नहीं आती हैं, इन को क्यों कर मुक्त कर दिया गया है। ये पदार्थ करोड़ों रुपये के मूल्य के हो सकते हैं। यदि इन सब वस्तुओं का संग्रह किसी संस्था को देने के विचार से किया गया है, तब तो वे कर मुक्त किये जा सकते हैं, अन्यथा किसी भी दशा में इन को कर मुक्त करना उचित नहीं जब कि कृषकों के लिये यह सीमा २,५०० रुपये तक ही निर्धारित कर दी गई है। ऐसी वस्तुओं के मूल्य पर भी कोई न कोई सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिये नहीं तो लाखों रूपयों के मूल्य की सम्पत्ति में ही समाप्त हो जायगी। अतः इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

**श्री सी० डी० पांडे** : अन्य अनेक धब्बों के होते हुए भी मैं केवल उपखण्ड (ग) के विषय में ही कहना चाहता हूं। दानों आदि पर रोक लगा देना भी उन में से एक है।

आपने जो २,५०० रुपये छूट सीमा निर्धारित की है वह भी काफी है यदि उस में पशुओं को न सम्मिलित किया गया हो तो अन्यथा इस में कुछ वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस के पश्चात यह भी निश्चित हो जाना

चाहिये कि कितने जोड़ी बैल होने चाहियें क्योंकि इसी से उस की आर्थिक अवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है ।

मैं प्रस्तावित करता हूं कि यह जो २,५०० रुपये सीमा रख दी गई, हटा दी जाय अन्यथा सहायता देने के बजाय और भी परेशानी उत्पन्न हो जायगी । ऐसा करने से तो आयकर विभाग वाले मृतक की सारी ही वस्तुओं का मूल्य आंक कर उन पर कर लगाने का प्रयत्न करेंगे और यह पता लगाना तक कठिन हो जायगा कि वास्तव में मृतक की सम्पत्ति कितनी थी । इस से परेशानी और भी अधिक बढ़ जायगी । हो सकता है कि कुछ वस्तुएं मृतक की न हो कर उस के पूर्वजों की रही हों । हर जगह इंग्लैण्ड का उदाहरण देना ठीक नहीं ।

**श्री एम० सी० शाह** : आप दाय भाग परिवार के हैं ।

**श्री सी० डी० पांडे** : इंगलैण्ड में तो आप मृतक की सम्पत्ति का पता लगा सकते हैं क्योंकि माता-पिता तथा बच्चे अलग-अलग रहते हैं किन्तु भारत में ऐसा नहीं है । अतः घरेलू सभी सामान बिलकुल ही कर मुक्त होना चाहिये, उस पर किसी प्रकार का कर लगाने की आवश्यकता नहीं । क्या आप इस से यह समझते हैं कि लोग अपने धन को वस्तुओं आदि में परिवर्तित कर लेंगे ?

**श्री के० के० बसु** : ऐसे बहुत से लोग हैं ।

**श्री सी० डी० पांडे** : मेरे विचार से तो वास्तव में जो काफी धनी व्यक्ति हैं वह कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कुछ समय में उन वस्तुओं का मूल्य आधा रह जाता है जब कि शुल्क ४० प्रतिशत ही है ।

ऐसा करने से मृतक की एक-एक वस्तु को ढूंढ़ना पड़ेगा कि उस की घड़ी, छड़ी, फाउन्टेनपेन यहां तक कि जूतों तक नौबत आ जायगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह सूचना समय से पूर्व दे रहे हैं ।

**श्री सी० डी० पांडे** : ये प्रश्न ही आ आ कर हमारे सामने उत्पन्न होंगे । यहां तक कि मृतक की चारपाई तक मांगी जा सकती है और उस को मेहतर को दे देने पर दण्ड दिया जा सकता है ।

**एक माननीय सदस्य** : वह कर एक त्रितकर्ता को दी जानी चाहिये ।

**श्री सी० डी० पांडे** : इसी प्रकार बर्तनों आदि के संबंध में भी यह कठिनाई उत्पन्न हो सकती है कि कुछ बर्तन मृतक के पुत्र क्रय कर सकता है और साथ रहने के कारण कर एकत्रितकर्ता को वह अपने पैसे से लाये हुए बर्तन भी भेंट करने पड़ सकते हैं । श्री गाडगील का कथन यह है कि इधर-उधर की कुल छूट मिला कर ११,५०० रू० है । मैं समझता हूं कि उन्होंने वास्तव में नकद राशि में मध्यम-वर्ग को दी गई छूट का हिसाब नहीं लगाया है । १ लाख रुपये तक शुल्क की दर ५ प्रतिशत है । तो आप ने क्या छूट दी है । यह तो केवल कुल मिलाकर १२५ रू० ही हुई ।

**श्री गाडगिल** : २,५०० रू० ।

**श्री सी० डी० पांडे** : आपने यह २,५०० रुपये की जो छट रखी है, प्रश्न उस का नहीं वरन् उन के साथ दयालूता का व्यवहार करने की भी आवश्यकता है । इस प्रकार तो आप मध्यम वर्ग के लोगों के साथ एक प्रकार का युद्ध प्रारम्भ कर रहे हैं ।

मान लीजिये कि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति केवल ५०,००० रुपये की है किन्तु आयकर

[श्री सी० डी० पांडे]

वाले उसका मूल्यांकन ६०,००० रुपये करते हैं, केवल उसके परिवार वालों को परेशान करने के लिये ही तो उस समय आप क्या करेंगे ? यह केवल कर देने की बात नहीं वरन्, इससे ये व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं जिन पर हमें अभी विचार करना है। मैं तो चाहूंगा कि आप कोई एक खंड ऐसा बना दीजिये जिसके अनुसार १ लाख रुपये से कम की सम्पत्ति वाले २,००० रुपये अग्रिम दे दिया करें बजाय इसके कि बाद को लोटा, थाली, तथा चप्पल आदि का मूल्य आंकना पड़े।

अतः संबंधित व्यक्तियों को यह १२५ रुपये देने का प्रश्न नहीं ह। मैं तो चाहूंगा कि इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह १२५ रुपये की छूट वापस ले ली जाय तो कहीं अच्छा है। कम से कम झंझट तो समाप्त हो जायगा।

**श्री आर० के० चौधरी** : क्या मैं जान सकता हूं कि एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी चारपाई उस की कहलायेगी अथवा उसकी पत्नी की जो जीवित है ?

**श्री सी० डी० पांडे** : इस संबंध में संबंधित विभाग का विचार ही अन्तिम निर्णय होगा।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : यदि किसी व्यक्ति को जितना शुल्क देना है, उतनी ही राशि का वह बीमा करवा लेता है शुल्क देने के लिये ही तो सम्पूर्ण राशि पर शुल्क नहीं लगगा। यह छूट सीमा भी ५०,००० रुपये तक ही रखी गई है। उस सम्पत्ति का मूल्य जिस पर यह शुल्क लगेगा वह भी ५ लाख रुपये से कम न होना चाहिये।

धनिकों को छूट दी गई है। मैं इससे सहमत हूं किन्तु सभी कर इस प्रकार लगाये जायें कि गरीबों को कम से कम उनका भार उठाना पड़े और अमीरों पर जहां तक सम्भव हो सके अधिकाधिक कर लगाये जायें। तभी कुछ समानता हो सकती है।

यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति ५ लाख रुपये की है, और आप उसे कर आदि को मिला कर ५०,००० रु० की छूट दे देते ह। यद्यपि एक प्रकार से यह राशि सम्मिलित होते हुए भी खण्ड ३४ के अन्तर्गत कर मुक्त हो गई।

क्या जैसा कि श्री मोरे प्रश्न कर चुके हैं कि पशु भी कृषि औजारों में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभी बातों का स्पष्टीकरण प्रत्येक अवस्था में नहीं हो सकता वित्त मंत्री अन्त म इन सभी बातों का उत्तर दगे।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : श्रीमान्, इन सभी बातों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिये जिससे कि गरीबों को न तो परेशान होना पड़े और न किसी प्रकार से उनकी हानि हो क्योंकि अमीरों की भांति वे हजारों रुपये खर्च कर न्यायालयों की शरण लेने में असमर्थ हैं। उनके पास अन्य भी साधन है।

**श्री के० के० बसु** : वे अन्य साधन क्या हैं ?

**श्री टी० एस० ए० चेटियार** : ग्रामों में तो लोग अधिकतर अपढ़ हैं ही। वे कुछ जानते ही नहीं। इसके अतिरिक्त तमाम ऐसी सम्वदाएं भी हैं जिनका भार विधवा स्त्रियों पर है। अतः वे इन सब पेचीदा बातों को न तो समझ ही सकेंगे और न स्थिति का सामना ही कर सकने में समर्थ हो सकेंगी। इससे उनको बड़ी असुविधा एवं परेशानी उठानी पड़ेगी। इस कारण निम्न गरीब वर्ग के लिये यह बड़ी ही दुखद स्थिति होगी।

सामाजिक सेवाओं के लिये सरकार को चाहिये कि समाज सेवा संगठनों को सहायता एवं प्रोत्साहन देती रहे जिससे कि शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी उन्नति हो। सरकार को चाहिये कि ऐसे नियम बनाये जिससे इन सबका भली भांति विकास हो सके।

देश में भिखमंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। समाज सेवा संस्थाओं द्वारा भी सहायता मांगी जा रही है। क्या अब चन्दे आदि देना बन्द हो जायगा। जहां तक मैं समझता हूं इसका प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि सभी संस्थाओं को आर्थिक सहायता मिलनी बन्द हो जायगी। अभी कम से कम गरीब लोग मध्यमवर्ग के लोगों से भी अधिक सहायता करने को तैयार रहते हैं किन्तु इस खण्ड से सहायता देना कम हो जायगा। मेरा संशोधन यह ह कि आयकर अधिनियम की धारा १५ ख को पालन करने म लोगों को धर्मार्थ संस्थाओं को मान्यता देने की अनुमति मिलनी चाहिये।

**श्री सी० डी० देशमुख**: क्या मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उन्होंने जो कुछ धर्मार्थ राशि अब तक एकत्रित की है, उसमें से उन लोगों का प्रतिशत क्या है, जिनकी मृत्यु दान देने के छः मास के अन्दर हो गई?

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार**: मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति दान के लिये धन देते समय अपनी मृत्यु के विषय में सोचता हो।

**उपाध्यक्ष महोदय**: वास्तव में, माननीय मंत्री यह जानना चाहते हैं कि दान देने के बाद तत्काल ही कितने लोगों की मृत्यु हो गई?

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार**: शायद बहुतों की नहीं हुई होगी किन्तु मैं इतना जानता हूं कि धारा १५ ख में जो हाल में छूटें दी गई हैं इससे लोगों को दान देने में प्रोत्साहन मिलता है। हम लोगों से हर जगह यही पूछा जाता है कि क्या इसके लिये आय-कर अधिनियम द्वारा अनुमति प्राप्त है, और बहुत से मामलों में जहां ये छूट दी गई हैं, वहां बड़ी सरलता से दान मिल जाता है।

**श्री गाडडिल**: वे पसन्द करें या न कर किन्तु उनकी मृत्यु हो जाती है।

**श्री टी० एस० ए० चेटियर**: हां, कुछ लोगों को इसकी आशंका रहती है कि वे कुछ ही दिनों के और मेहमान हैं और इसीलिय वे दान और भी उत्साहपूर्वक धर्मार्थ संस्थाओं को मान्यता प्राप्त कराने के लिये दे देते हैं।

**श्री जगजीवन राम**: सरकार का गला काट कर।

**श्री टी० एस० ए० चेटियार**: सरकार को कोई हानि नहीं होती। वह तो निधि इसलिये संचित करती है कि समाज सेवा के कार्यों में लगा सके और यदि उसका यह उद्देश्य विभिन्न उपायों द्वारा भली प्रकार पूरा हो सकता है, तो उसे चाहिये कि वह उनको मान्यता दे। यदि सरकार यह समझती कि ऐसे दानों से लोकहित का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वह आय-कर अधिनियम की धारा १५ ख में कोई भी संशोधन न करती। चूंकि सरकार ने इस सिद्धान्त को मान लिया है, अतः यह सिद्ध है कि सरकार का विचार है कि धर्मार्थ चन्दों की राशि को समाज सेवा संस्थाओं को सामाजिक सेवा के लिये देना समाज के लिये उपयोगी है। अतः जो कुछ आय कर अधिनियम के लिये स्वीकृत किया गया है, वही सम्पदा शुल्क विधेयक के सम्बन्ध में भी स्वीकार किया जाना चाहिये। इस कारण यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है तो कोई भी चीज़ विधि के विपरीत न होगी

[श्री टी० एस० ए० चेडियार]

तथा समाज का अधिक से अधिक हित भी होगा।

उपखण्ड (२) के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है कि सरकार जिस मामले में भी उचित समझे छूट दे सकती है। इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है। उस खण्ड के सम्बन्ध में बहुत से संशोधन रखे गए हैं। अतः इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। ये छूटें केवल राजाओं के लिये ही नहीं होनी चाहियें। इस विषय में सरकार यदि स्पष्ट बता देगी कि इन-इन मामलों में छूट दी जायगी तो उसके कार्य में सुविधा हो जायगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवकाश मिलेगा। परन्तु दूसरे सदस्यों की बातों को दुहराया नहीं जाना चाहिये।

**डा० कृष्णस्वामी** : हम दोहरायेंगे नहीं।

**श्री रघुबर सहाय** : मैं आपकी आज्ञा लेकर संशोधन संख्या ११४ और ११७ को मिलाना चाहता हूं। मेरा पहला संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ २० पर पंक्ति ५ में "female relatives" ["रिश्ते की महिलाएं"] के पश्चात् यह सम्मिलित किया जाये।

"or for the education of minor male relatives"["अथवा अल्पव्यस्क रिश्ते के पुरुष की शिक्षा के लिये"]

दूसरा संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ २० पंक्ति ९ में

(१) "relatives" ["सम्बन्धियों"] के स्थान पर पर यह रखा जाय :

"female relatives" ["रिश्ते की महिलाएं"]

(२) "सम्बन्धियों" के पश्चात् सम्मिलित किया जाय "and a like amount in respect of education of such minor male relative or relatives" ["और ऐसे अल्पव्यस्क रिश्ते के पुरुष या पुरुषों की शिक्षा के लिए उतनी ही रकम"]

मैं चाहता हूं कि अल्पवयस्क पुत्रियों के विवाह के लिये ५,००० रुपये छोड़ दिये जाने चाहिएं। इसी प्रकार आज कल के महंगे दिनों में मध्यम श्रेणी के लोगों को अपने पुत्रों को शिक्षा देना कठिन हो रहा है। परन्तु अपनी सन्तान को शिक्षित करना भी माता पिता का कर्तव्य है। बच्चे की उत्पत्ति के बाद डाकखानों में उन के नाम की पास बुक अथवा बीमा पालिसी नहीं ली जाती। ऐसी अवस्था में यदि उन का पिता केवल निवासस्थान को छोड़ कर मर जाये, तो उस सम्पदा पर शुल्क लगाने से उन बच्चों की शिक्षा आदि के लिये क्या बचा ? अतः जैसे पुत्रियों के विवाह के लिये पांच हजार रुपये छोड़े गये हैं उतने ही पुत्रों की शिक्षा के लिये भी छोड़ देने चाहिएं। श्री गाडगिल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि माता पिता की मत्यु के पश्चात बालकों और बालिकाओं के पास केवल सम्पत्ति बचती है जिस के सहारे वे जीवन-निर्वाह कर सकते हैं। ऐसे सम्पत्ति से पर्याप्त भाग को न छोड़ कर सारी पर शुल्क लगाना अन्याय है। विधवा और अल्पवयस्क बच्चों के मामले में मत्यु-कर लगाने से बेचारी विधवा और बच्चों के लिये रोटी खाने की भी शक्ति घट जाती है, जो सर्वथा अन्यायपूर्ण है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह पुस्तक कब लिखी गई थी ?

**श्री रघुवीर सहाय** : मैं समझता हूं कि कुछ वर्ष हुए यह पुस्तक लिखी गई थी और

श्री गाडगिल ने अपने विचारों को बदला नहीं है ।

**श्री सी० डी०-पाण्डे** : पत्नि और बच्चों के लिये प्रेम और वात्सल्य सदा रहता है ।

**श्री गाडगील** : यह पुरानी बात है । तब से अब तक बहुत कुछ बदल हो चुकी है ।

**श्री रघुबीर सहाय** : मैं समझता हूं कि ये अनुभूतियां संगत हैं और इस मामले में भी लागू होती हैं । यह सुझाव रखा गया है कि अल्पवयस्क पुत्रों की शिक्षा के लिए प्रन्यास स्थापित किया जाय । परन्तु उस में कठिनाइयां हैं और उस से मृत व्यक्ति के बच्चों को पूर्ण लाभ पहुंचना असंभव है । अतः जैसे छोटी लड़कियों के विवाह के लिए सम्पत्ति का भाग छोड़ा गया है उसी प्रकार अल्पवयस्क बच्चों की शिक्षा के लिये भी छूट होनी चाहिए । मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

**श्री बी० पी० नायर** : श्री के० के० बसु और नाम्बियार के संशोधन संख्या ४५४ के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । जब कि ठीक वहां उपखण्ड (ज) वर्तमान है तो उपखण्ड (१) का उपबन्ध क्यों किया गया है । और अगले उपखण्ड (१) में यह सम्मिलित किया जाना चाहिए "और ऐसे शर्तों के साथ उन का उपयोग और निपटारा किया जाना चाहिए, जैसी कि मण्डल निर्धारित करे ।"

**श्री के० के० बसु** : जैसा यह छपा है, उस में कुछ अशुद्धियां हैं ।

**श्री बी० पी० नायर** : गलती से यह अगले खण्ड में रखा गया है । आप जानते हैं कि उत्तराधिकार में मिले माल अस्बाब में कई चीज़ें सम्मिलित होती हैं । इस में बहुमूल्य हीरे और ताज भी हो सकते हैं । त्रावनकोर के महाराजा के ताज में बहुत से बहुमूल्य हीरे थे और वह ताज लाखों रुपये का था । पुराने समय में कहा जाता था कि भूमि पर के सब आभूषण और गहने राजा के होते थे । जब किसी के पास मोती व हीरे होते थे, तो महाराजा उसे अपने लिये ले लेता था । और कोई नवाब अपने कोट में सोने के बटन लगा कर उन बटनों में हीरे और जवहारात जुड़वा कर करोड़ों रुपये का माल अपनी सन्तान के लिये छोड़ सकता है । उस माल-अस्बाब पर सम्पदा शुल्क नहीं लगेगा । इसी प्रकार नक्शे और चित्रकारी के सम्बन्ध में धनी पुरुष लाखों रुपये में तस्वीर खरीद कर उसे अपने उत्तराधिकारियों को छोड़ जायं, और वे उसे सोने के चौखटे में लगवा कर घर में रख लें, तो वह भी माल अस्बाब में माना जायगा । दिल्ली में हुई रेलवे प्रदर्शनी में एक रेल आई थी, जिसे एक महाराजा ने अपने बच्चे के खेलने के लिये बनवाया था । वह भी उत्तराधिकार माल-अस्बाब में आएगी । यदि इन महाराजाओं और नवाबों को कोई छूट दी गई तो वे प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं लगा कर शुल्क से मुक्ति पाने का प्रयत्न करेंगे ।

**एक सदस्य** : यह तो खण्ड (च) में आ जायगा ।

**श्री बी० पी० नायर** : वे लोग कहेंगे कि यह पहनने का वस्त्र नहीं है, अपितु उन के पिता ने दिया है, और वे भी अपनी सन्तान को दे देंगे । इस प्रकार बहुत गड़बड़ की जा सकती है । यह उपबन्ध जान बूझ कर दिया गया है । वित्त मंत्री ने बड़ी चतुरता से इस उपबन्ध में कार्य किया है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर प्रवर समिति में विचार किया गया था, और सारी बात वित्त मंत्री जी ने नहीं बतलाई ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : क्या 'चतुर' शब्द का प्रयोग करना संसदोचित है ?

**श्री वी० पी० नायर** : मेरा 'क्रैफट' शब्द से अभिप्राय 'स्पाने' से है। हमें बहुत देर से सरकार और विशेष कर वित्त मंत्री पर सन्देह है कि वे समाज के धनाढ्य लोगों को जान बूझ कर अधिक से अधिक रियायतें और सुविधायें दे रहे हैं। वास्तव में यह खण्ड निर्धन लोगों की भलाई के लिये किया गया था। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस खण्ड को निकाल देना चाहिए।

**श्री जी० डी० सोमानी** : दान और निवासस्थान के बारे में मुझ से पहले बोलने वाले सदस्यों न बहुत कुछ कहा है। मैं तो केवल वित्त मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि मुझे ऐसे मामलों की जानकारी है कि मृत्यु से छः महीने पहले एक व्यक्ति ने १५ लाख रुपये दान दिये, और मृत्यु के समय उस के पुत्रों और भाई ने २५ लाख रुपये दान दिये। उस निधि से समाज को बहुत लाभ पहुंच रहा है। मुझे बम्बई के एक व्यापारी का पता है कि उस ने मृत्यु से कुछ घण्टे पहले एक करोड़ रुपये का प्रन्यास स्थापित किया, जिस से जनता को बहुत लाभ पहुंच रहा है। मैं अब संशोधन नं० १२२ को लेता हूं। मैं वित्त मंत्री का ध्यान औद्योगिक व्यवसायों में लगाये गये रुपये की ओर दिलाना चाहता हूं। ठीक है इन सब संशोधनों के कारण सरकारी राजस्व में कमी होती है। परन्तु सरकार इस प्रकार ३० प्रतिशत से अधिक नहीं गंवाती। परन्तु इस के स्थान पर उस व्यक्ति को भी ७० प्रतिशत औद्योगिक व्यवसाय में लगाना पड़ेगा। ऐसा करने से सरकार को भी लाभ होगा, और देश के लिये औद्योगिक धन्धे बढ़ेंगे, तथा अनेक लाभ होंगे। तीन या चार वर्ष के पश्चात् इन औद्योगिक कम्पनियों की उपज ८ प्रतिशत होगी, और सरकार को ३ रुपये ८ आने कर मिलेगा। अर्थात ३० रुपये तक ३।। रुपये कर, ११।। प्रतिशत के लगभग होगा। फिर वे सभी लोग पांच वर्ष के अन्दर नहीं मर सकते। पांच वर्ष के पश्चात् सरकार को कहीं अधिक कर आदि मिल सकेगा, और यह विधान उन पर भी लागू होगा। मृत्यु की अवस्था में जो छट होगी, उस से यह कर कहीं अधिक होगा।

इस के अतिरिक्त इस विधेयक के अधीन बेकारी को दूर करने का भी प्रयत्न किया जा सकता है। सरकार आए दिन बेकारी को दूर करने की बात पर विचार करती है। पांच वर्ष की अवधि के लिये छट देकर लोगों को औद्योगिक धन्धे स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने से यह होगा कि बहुत से लोगों को काम मिलेगा। और बेकारी कुछ मात्रा में कम हो सकेगी।

दूसरी बात यह है कि लोग सम्पदा शुल्क से बचने के लिये अपनी सम्पदा को बेच कर हीरे जवहरात और आभूषण इकट्ठे कर लेंगे, जिन की खोज बीन करना सम्पदा शुल्क विभाग के लिये कठिन एवं दुष्कर हो जायगा। अतः यह उचित है कि लोगों को ऐसी बातों में न डाला जाय, अपितु उन को उत्पादन के साधनों को जुटाने के लिये प्रोत्साहित किया जाय, और पांच वर्ष के लिये औद्योगिक धन्धों में रुपया लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस से राजस्व तो कुछ कम होगा, परन्तु यह रकम ऐसे उद्योगों में लगाई जानी चाहिए, जिन से बाद में राजस्व लिया जा सके। इस छोटी सी छट से राज्य को विशेष नुकसान नहीं होगा, जब कि इस से देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ ठीक हो सकती है। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती कि यह छट न दी जाय। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे।

**श्री सिंहासन सिंह** : खण्ड ३२ विमुक्तियों से सम्बन्धित है। यदि हम इस खण्ड की

असैनिक प्रक्रिया संहिता से तुलना करें, तो इस में विमुक्तियां बहुत कम हैं। असैनिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार डिग्री होने की दशा में खेतीहरों को बहुत आराम दिया गया है। उन की खेती करने का सामान, पशु और उपज का पर्याप्त भाग उस के पास छोड़ा जाता है, ताकि वह अगली फसल तक अपना निर्वाह ठीक रूप से कर सके, और अपनी फसल भी बो सके। हमारे देश में अनाज की कमी है और हम अधिक अन्न उपजाओ का नारा लगाते हैं, परन्तु हम सोचें तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। यह संहिता पशु, खेती करने का सामान और उपज का भाग छोड़ने की आज्ञा देता है, परन्तु हम केवल २,५०० रुपये की विमुक्ति देते हैं। आजकल महंगाई के दिनों में एक बैल ही ५०० रुपये में आता है, और अधिक अन्न उपजाने के लिये बैल और दूसरा सामान परमावश्यक है। आजकल तो ट्रैक्टरों से खेती होती है। यदि कृषकों को पर्याप्त विमुक्ति नहीं दी जायगी, तो वे झूठ बोलेंगे, और कहेंगे कि बैल उन के नहीं हैं, इत्यादि।

**डा० राम सुभग सिंह :** बैलों के साथ सम्बन्ध नहीं, वे बल रख सकते हैं।

**श्री सिंहासन सिंह :** परन्तु मैं समझता हूं कि वे बैलों को सम्मिलित नहीं करते। बैलों और सामान इत्यादि के लिये वह इतनी कम रकम निश्चित करते हैं कि उस से काम नहीं चल सकता। अतः मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वे असैनिक प्रक्रिया संहिता को देखें और कृषकों को अधिक सहायता देने का उपबन्ध करें। राज्य सरकारें और भी कई साधनों से कृषकों की सहायता कर सकती हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है परन्तु जो कुछ भी सहायता उन को दी जा सकती है, वह २,५०० रुपये की सीमा निश्चित कर के, कम कर दी गई है। अतः २,५०० रुपये का शब्द दिया जाना चाहिए; इस से कुछ सहायता मिल सकती है।

इस के अतिरिक्त एक बात और है कि असैनिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार स्त्रियों के आभूषण, रसोई के बर्तन और बिस्तर आदि भी विमुक्त किये जाते हैं। अतः यहां भी हमें धार्मिक रीति अनुसार स्त्रियों के पहनने के आभूषण, बर्तन और बिस्तर आदि की विमुक्ति प्रदान करनी चाहिए।

**श्री सी० डी० पाण्डे :** प्रवर समिति में यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसी विमुक्तियां दी जायेंगी।

**श्री सिंहासन सिंह :** परन्तु विधेयक में ऐसा उपबन्ध नहीं किया गया है। समाज की रीति के अनुसार कोई स्त्री ऐसे आभूषणों आदि को बेच नहीं सकती। अतः इस के लिये भी विधेयक में स्पष्टतया उपबन्ध होना चाहिए। इस से बहुत सी कठिनाई दूर हो जायेगी।

सदन को विदित है कि उत्तर प्रदेश में प्रपन्नाधिकरण अधिनियम लागू है। मुझे प्रपन्नाधिकरण का एक कर्मचारी मिला जिस ने बतलाया कि वे धनवान व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उस की सम्पत्ति पर टूट पड़ते हैं, जैसे मृत व्यक्ति के परिवार के सामने महापात्र लोग हाथ फैला कर भीख मांगने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इस लिये कुछ आवश्यकताओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो कृषकों को अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी और अधिक अन्न उपजाना संभव नहीं होगा। अतः 'एकत्रीकरण' के सम्बन्ध में खण्ड ३३ में एक टिप्पणी दी जानी चाहिए।

एक मुख्य बात यह है कि हम नगर के लोगों को ग्राम्य लोगों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं दे रहे हैं। बीमा और विवाह के

[श्री सिंहासन सिंह]

लिए हम ने नागरिकों को ५००० रुपये मुक्त कर दिये हैं। परन्तु गांव वाले लोग बीमा को नहीं जानते, अतः उन की सम्पत्ति को विमुक्ति नहीं मिल सकती। हमारा देश खेती बाड़ी पर अवलम्बित है और जब तक देश की कृषि और कृषक उन्नति नहीं करते, सारा देश भी उन्नति नहीं कर सकता। अकेले उद्योगीकरण से देश की अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। अतः मेरा निवेदन है कि हमें ग्राम्य जनता के लिये अधिक सहायता देनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त-मंत्री मेरे संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

**श्रीमती सुषुमा सैन** : मै अपने संशोधन संख्या २५५ पर कुछ कहना चाहती हूं, जिसमें कि पंक्ति २९ में "household" ["घरेलू"] के पूर्व "residential house" ["रिहायशी मकान"] जोड़े जाने का सुझाव दिया गया है और यह भी मांग की गई है कि पंक्ति ३२ के बाद यह परन्तुक जोड़ा जाये--

"Provided that if the value of the house does not exceed rupees one lakh"

["परन्तु शर्त यह है कि मकान का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक न हो"]।

मैं समझती हूं कि यदि रिहायशी मकान पर भी छूट न दी गई तो यह मध्यम वर्ग के परिवारों के साथ अन्याय होगा।

दूसरा संशोधन उपखण्ड (ञ) के सम्बन्ध में है। हम--विशेष रूप से संसद् की महिला सदस्याएं--यह चाहती हैं कि लड़कियों के विवाह के सम्बन्ध में रखी गई धनराशि के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा के लिये अलग रखी गई राशि पर भी यह शुल्क न लगे। बहुत सी लड़कियें ऐसी हैं जो अविवाहित हैं और व्यावसायिक जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। ऐसी लड़कियों की शिक्षा के लिये अलग रखा गया धन सम्पदा शुल्क से विमुक्त होना चाहिये।

अन्त में मैं अपने माननीय मित्र का समर्थन करूंगी जिन्हों ने यह सुझाव दिया है कि स्त्रियां समाज की रीति-रिवाज के अनुसार जो आभूषण पहनें वे भी सम्पदा शुल्क से विमुक्त रखे जायें।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मेरे ख्याल में इस खंड में जो विमुक्तियां दी गई हैं वे बहुत अधिक हैं और उन से विधेयक का मुख्य प्रयोजन विफल होने का भय है। अतएव मैं चाहता हूं कि इन विमुक्तियों में और कमी की जाये तथा उन्हें अधिक सीमित बनाया जाये। इंगलैंड में विमुक्तियां अधिक रखी गई हैं और यही कारण है कि वहां इस अधिनियम का प्रयोजन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वहां यह कानून मुख्यतः इस अभिप्राय से बनाया गया था कि धन के वितरण में असमानताओं को दूर कर के समाज में समानता स्थापित की जा सके। परन्तु स्पष्ट है कि यहां अभी तक इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी है। अतः हमें इंगलैंड से सबक लेना चाहिये और जहां तक सम्भव हो सके, अपनी विमुक्तियों को कम और सीमित करना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी अधिक विमुक्तियां क्यों दी जा रही हैं। उदाहरण के लिये, यह उपबन्ध किया गया है कि रिश्ते की प्रत्येक महिला के विवाह के लिये ५,००० रुपये अलग रखे जा सकते हैं। इस का मतलब तो यह होगा कि बहुत सा धन करमुक्त हो जायेगा, अतः मैं चाहता हूं कि मूल उपबन्ध ज्यों का त्यों रहे और उस में फेरबदल न की जाये।

जहां तक पहनने की पोशाक का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस के मूल्य की कोई सीमा न रखी गई तो हो सकता

है कि इस की आड़ में बहुत से सोने के गहनों आदि पर भी कर न दिया जाये।

मैं समझता हूं कि खण्ड ३२ का उपखण्ड (२), जिस में केन्द्र को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह आवश्यक समझे तो इन के अलावा कुछ और भी विमुक्तियां दे सकती है, अनावश्यक है और उसे आसानी से हटाया जा सकता है। यदि इसे न हटाया गया तो स्वार्थी लोग दबाव डाल कर स्थिति का अनुचित लाभ उठायेंगे। हां, यदि बाद में सरकार को इस खण्ड के सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो वह विमुक्तियों की सूची में संशोधन करने के लिये एक अन्य संशोधक विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और सदन उस समय उस पर विचार कर लेगा।

[**श्री पातस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

**श्री गाडगील** : कहा गया है कि सम्पदा शुल्क के कारण लोगों पर "भारी बोझ" पड़ जायेगा। मैं कुछ आंकड़े देकर यह बतलाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई बोझ नहीं पड़ेगा। वर्तमान प्रस्थापना के अनुसार, एक लाख रुपये की सम्पत्ति वाले व्यक्ति को केवल ६५० रुपये सम्पदा शुल्क देना पड़ेगा। यदि यह खबर सच्ची हुई कि विमुक्ति सीमा बढ़ा कर एक लाख की जा रही है, तब तो १,१३,००० रुपये तक की सम्पत्ति वाले को कुछ नहीं देना पड़ेगा। १,२५,००० रुपये की सम्पत्ति वाले व्यक्ति को ९७५ रुपये देने पड़ेंगे —अर्थात् ३।४ प्रतिशत से भी कम। समाज की परिस्थिति को देखते हुए जिस व्यक्ति के पास १ लाख रुपये हों उसे गरीब नहीं कहा जा सकता। आखिर, रियायतों की भी कोई सीमा होती है। पहले तो हमें जनसाधारण की सामान्य आर्थिक स्थिथि का निरीक्षण करना है, फिर यह सोचना है कि क्या वास्तव में १ लाख की सम्पत्ति वाले व्यक्ति द्वारा ६५० रुपये दिया जाना अनुचित है। यदि संयुक्त परिवार है, तो अधिक से अधिक १,६५० रुपये देने होंगे। इन परिस्थितियों में हमें और अधिक विमुक्तियों की मांग नहीं करनी चाहिये।

**श्री एस० वी० रामस्वामी** : मैं ने ६ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। संशोधन संख्या ९५ उपखण्ड (क) के सम्बन्ध में है। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहे तो सरकार को उस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उसे छः मास की सीमा नहीं रखनी चाहिये।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या १०५ है जिस में उपखण्ड (ग) में "दो हजार पांच सौ" के स्थान में "पांच हजार" आदिष्ट किये जाने की अपेक्षा है।

इस के बाद मैं उपखण्ड (छ) पर आता हूं। यह बीमे के अन्तर्गत देय धन के सम्बन्ध में है। इसमें ५,००० रुपये तक की विमुक्ति दी गई है। ५,००० रुपये की विमुक्ति तो कुछ भी नहीं है। इस की अपेक्षा तो कोई विमुक्ति दी ही नहीं गई होती तो अच्छा होता।

उपखण्ड (ञ) के सम्बन्ध में एक संशोधन श्री टेक चन्द द्वारा रखा गया है जो मैं ने अपना लिया है। इस संशोधन में "female" ["स्त्री"] शब्द के हटाये जाने की अपेक्षा है। मेरी समझ में नहीं आता कि केवल रिश्ते की महिलाओं के सम्बन्ध में ही विमुक्ति क्यों रखी जाये पुरुष सम्बन्धियों के सम्बन्ध में भी क्यों नहीं। पुरुषों की शादी में भी खर्च करना ही पड़ता है। इन के अलावा पुरुष और स्त्री में यह भेदभाव हमारे संविधान के अनुच्छेद १५ के भी प्रतिकूल होगा।

मेरा दूसरा संशोधन रिहायशी मकान के सम्बन्ध में है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक ही घर है तो वह विमुक्त कर दिया जाये और

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

यदि एक से अधिक मकान हैं तो उस एक मकान को विमुक्त कर दिया जाये जिस में कि वह रहता है। हो सकता है कि किसी के पास केवल एक ही मकान हो और उस की कीमत एक लाख या इस से अधिक हो। हो सकता है कि उस मकान के सिवाय उस के पास कुछ नक़दी आदि न हो। तो फिर क्या उस की मृत्यु के बाद उस के उत्तराधिकारी सम्पदा शुल्क चुकाने के लिये मकान बेच कर किराये के मकान में रहेंगे ? अतः मेरा निवेदन है कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

अब मैं अपने अन्तिम संशोधन संख्या १२६ पर आता हूं। इस में विधेयक के खण्ड ३२ में चार नये उपखण्ड—(३), (४), (५) और (६)—जोड़े जाने की अपेक्षा है। उपखण्ड (३) के जोड़े जाने की इसलिये आवश्यकता है कि हमारे जंगलों और मूल्यवान लकड़ी की रक्षा हो सके। कहीं ऐसा न हो कि लोग ऐसी लकड़ी को काट कर बेच दें और इस से राष्ट्र की हानि हो। उपखण्ड (४) कृषि सम्पत्ति से सम्बन्ध रखता है जिस में वे कुटीरें शामिल हैं जहां कृषि कार्य में संलग्न व्यक्ति रहते हों। उपखण्ड (५) द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किन्हीं प्रतिभतियों में विनियोजित पूंजी को सम्पदा शुल्क से विमुक्त घोषित कर सकती है। उपखण्ड (६) में यह उपबन्ध है कि संघ सरकार को यह अधिकार है कि वह नये उपक्रमों में विनियोजित पूंजी को मृत व्यक्ति की सम्पदा में सम्मिलित न करे। भारतीय आयकर अधिनियम में भी ऐसा ही उपबन्ध है। हमें इस विधेयक में भी यह उपबन्ध रखना चाहिये क्योंकि इस से निजी विनियोजन को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इस विचार का मानने वाला हूं कि देश की अर्थ-व्यवस्था के गैर-सरकारी क्षेत्र को उचित बढावा मिलना चाहिये। यदि मेरा यह सुझाव मान लिया गया तो नये नये उपक्रमों में विनियोजित होने लगेगा और इस से बेकारी की समस्या भी सरल होगी। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये जिस से कि लोगों पर भी इस का अधिक बोझ न पड़े और राष्ट्र का भी लाभ हो।

**श्री वी० बी० गांधी :** (बम्बई नगर—उत्तर) मैंने खण्ड ३२ के दो संशोधन रखे हैं। मेरे संशोधनों में उपखण्ड (च) तथा उपखण्ड (छ) के निकाले जाने की अपेक्षा है।

हम पहले खण्ड (च) को, जैसा कि वह इस समय है, लेते हैं। इस खण्ड के अन्तर्गत धनी लोगों के लिये यह सम्भव है कि वह अधिक राशि का बीमा करा के सम्पदा शुल्क बचा लें। माननीय वित्त मंत्री द्वारा एक नया उपखण्ड (चच) प्रस्तुत किया गया है जिस में यह उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति सम्पदा शुल्क चकाने के लिये सरकार के पास कुछ धन जमा कर दे तो वह धन सम्पदा शुल्क से विमुक्त रहेगा। मेरा विचार है कि उपखण्ड (च) तथा उपखण्ड (चच) को साथ साथ लूं क्योंकि उन दोनों में बहुत कुछ समानता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिये तीन धनी व्यक्ति हैं और प्रत्येक के पास कोई ६४ लाख रुपये की सम्पत्ति है। अब हम मान लें कि पहले व्यक्ति ने अपने ६४ लाख में से १४ लाख का बीमा करा लिया। तो अब क्या होता है ? उस की मृत्यु के पश्चात उस की सम्पत्ति का मूल्य ५० लाख रुपए आंका जाता है और १४ लाख रुपए बीमा की राशि है जो करमुक्त है। यदि यह राशि करमुक्त न होती तो उसे सम्पदाशुल्क के रूप में ५,६०,००० रु० सरकार को देने पड़ते। इस प्रकार बीमे के द्वारा वह ५,६०,००० रुपए की यह राशि बचा लेता है। इसे दूसरी

व्यक्ति मान लीजिए १४ लाख रुपए सरकार के पास जमा कर देता है। इस रुपए पर उसे ब्याज मिलती है और ५,६०,००० रुपये के सम्पदा शुल्क की राशि वह भी बचा लेता है। तीसरा व्यक्ति इन दोनों में से कुछ नहीं करता और उसे ५,६०,००० रुपये की यह छूट नहीं मिलती। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले दो व्यक्तियों के लिए यह छूट महज़ इसलिए क्यों है कि उन्होंने बीमा करा रखा है अथवा सरकार के पास रुपया जमा कर रखा है? इस साधारण से कार्य के लिए सरकार प्रथम दोनों व्यक्तियों में से प्रत्येक को ५,६०,००० रुपये का दान क्यों दे रही है।

बाद में सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि बीमा भी तथा सरकार के पास जमा करने वाली राशि जोकि सम्पदा शुल्क से मुक्त होगी ५०,००० रुपये से अधिक नहीं होगी। इस में सन्देह नहीं कि इस संशोधन से सरकार ने उक्त त्रुटि को एक बड़ी सीमा तक कम कर दिया है तथापि फिर भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हमारे लिये समस्त स्थिति पर विचार करना आवश्यक हो जाए। जिन लोगों पर ५०,००० रुपये सम्पदा शुल्क लगेगा उन की सम्पत्ति पांच लाख रुपये होगी। यदि इस ५०,००० रुपये को शुल्क से मुक्त कर दिया जाए तो ५ लाख रुपये की सम्पत्ति वाला व्यक्ति १५ प्रतिशत के हिसाब से शुल्क देगा। यदि यह ५०,००० रुपया कर-मुक्त न होता और उस की सम्पत्ति में जोड़ दिया जाता—जैसा कि यह जोड़ा ही जाता—तो वह व्यक्ति दूसरे 'खंड' में आ जाता और उसे २० प्रतिशत के हिसाब से शुल्क चुकाना पड़ता। इस प्रकार से उस की कितनी बचत हो जाती है? २० प्रतिशत के हिसाब से ५०,००० रुपये पर वह १०,००० रुपये बचा लेता है। मैं जानना चाहता हूं कि पांच लाख रुपये की सम्पत्ति वाले व्यक्ति को क्यों यह दान दिया जा रहा है? सरकार उस के पक्ष में ५ लाख की सम्पत्ति पर अपना राजस्व क्यों छोड़ रही है? किन्तु यह त्रुटि यहीं समाप्त नहीं हो जाती। इस का लाभ ५० या ६० लाख की सम्पत्ति वाला व्यक्ति भी उठाएगा। अपनी सम्पत्ति में से ५०,००० रुपया वह बीमा या सरकार के पास जमा करने के रूप में उठा कर अलग रख सकता है और अन्त में उसे इस का लाभ मिलेगा।

अब उन व्यक्तियों के बारे में जिन्हों ने कि व्यक्तिगत बीमा करा रक्खा है इस में ५,००० रुपए तक के बीमे पर छूट दी गई है। तो ५,००० रुपये के बीमा कराने वाले मध्य वर्ग के व्यक्ति हैं और अवश्य ही हमारी सहानुभूति के पात्र हैं। किन्तु फिर इस मामले पर हमें सहानुभूति के साथ-साथ आचार-नीति तथा निरपेक्षता के साथ भी विचार करना है। मेरे पास इंग्लैण्ड, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों के बारे में सूचना है और वहां कहीं भी बीमा की राशि को कर-मुक्त नहीं किया जाता है। मैं मानता हूं कि यह वर्ग हमारी सहानुभूति का पात्र है और इसे कुछ राहत मिलनी चाहिये। किन्तु इस के लिए हम यह कर सकते हैं कि छूट की सीमा ५०,००० रुपये से बढ़ा कर ५५,००० या ६०,००० रुपये कर दें। किन्तु हमें इस प्रकार अप्रत्यक्ष तथा अवैज्ञानिक तरीके से यह राहत नहीं देनी चाहिये। देश में ऐसे लोगों की एक बहुत संख्या है जो कम शिक्षित हैं, जो खेती पर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, जिन्हें अपना जीवन-बीमा कराने का कभी मौका नहीं मिला। अब उन के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। यदि राहत देनी ही है तो छूट की सीमा ५०,००० रुपये से अधिक कर दीजिए।

**श्री आर० के० चौधरी** : श्रीमती सुषमा सेन द्वारा प्रस्तावित संशोधन का मैं

[श्री आर० के० चौधरी]

पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। मेरे नाम में जो संशोधन है वह भी इसी प्रकार का है। मेरा संशोधन है कि :

पृष्ठ २० पर लाइन ९ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाए :

"रिहायशी मकान जहां कि मृतक के उत्तराधिकारी तथा निकट सम्बन्धी उस के जीवन-काल में वास्तव में रहे और उस की मृत्यु के पश्चात रहते आए हैं।"

मैं यह नहीं चाहता कि रहने वाले सारे मकानों पर कर-मुक्ति दे दी जाए। मैं केवल उन मकानों की सम्पदा-शुल्क से मुक्ति चाहता हूं जिन में कि उस के जीवन-काल में उस के उत्तराधिकारी अथवा निकट सम्बन्धी रहे थे और उस की मृत्यु के बाद भी रहते आए हैं। मानलीजिए कि रिटायर हुए किसी व्यक्ति ने दस वर्ष पूर्व अपने प्रावीडेंट फंड के रुपये से एक मकान बनवाया, जिस की कीमत आज कल एक लाख रुपये है। मानलीजिये कि उस के वारिस काफ़ी पढ़े-लिखे नहीं हैं और उपयुक्त नौकरी प्राप्त नहीं कर सके हैं। तो इस एक लाख की सम्पत्ति पर शुल्क के रूप में उसे १,४०० रुपये देने पड़ेंगे। किन्तु एक बात भुला दी जाती है कि यह सम्भव हो सकता है कि उस के वारिस की कोई आमदनी न हो। तो क्या उस मकान का नीलाम कर के शुल्क वसूल किया जाएगा ? क्या सम्पदा शुल्क का भुगतान करने के लिये वह अपना मकान बेच दे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं जिस के कई मकान हैं और जिन से उसे किराए की आय है। किन्तु जिस के पास एक ही मकान है जो उस के रहने के काम आता है और जिस को आमदनी का कोई और जरिया नहीं है उस के लिए तो आप को छूट देनी ही चाहिये। जैसा श्रीमती सेन ने कहा, इस देश में लोग अपने निजी मकान से बहुत मोह करते हैं। क्या सम्पदा शुल्क देने के लिये वे उसे बेच दें ? इसलिये मेरा कहना है कि जिस मकान में उस की मृत्यु के बाद उस का परिवार रहेगा उस के सम्बन्ध में छूट होनी चाहिये। यदि वित्त मंत्री जी रहने के मकान के विषय में छूट दे दें तो मुझे बिलकुली चिन्ता नहीं है कि अन्य सम्पत्ति पर कितनी छूट दी जाएगी। हमें अपने घर, तथा मंदिर छोड़ने पर बाध्य न कीजिये। मरने पर हम सम्पदा शुल्क देंगे ही परन्तु आप शिशु मरण अवश्य रोकिए। अन्य देश में ऐसा किया जाता है। वहां परिवारों को शिशुओं के पोषण के लिए भत्ता दिया जाता है। युद्धकाल में सम्पत्ति का मूल्य इतना अधिक बढ़ गया है कि यहां पर भी वैसा भत्ता दिया जाना चाहिये। सम्पदा शुल्क के लिए मकान का जितना मूल्य आंका जाएगा उतने में वह बाजार में नहीं बिक सकेगा। आसाम में मकान छोटे होते हैं परन्तु उन की कीमत ज्यादा होती है। हमें उन के लिए अत्यधिक सम्पदाशुल्क देना पड़ेगा। यह मेरी कठिनाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सदन के सदस्य चाहते हैं कि मैं अब आगे न बोलूं।

**सरदार हुक्म सिंह** : कुछ सदस्यों ने यह कहा कि भावावेश के कारण ही कुछ सदस्य इस बात के पक्ष में हैं कि एक घर पर सम्पदा शुल्क न लगे। किन्तु वास्तव में बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि कमाने वाले पति की मृत्यु के बाद विधवा तथा बच्चों के लिये वह मकान ही उन का सहारा होता है और उस के अतिरिक्त उन की आय का कोई साधन नहीं होता। यदि उस मकान पर सम्पदा शुल्क लगेगा तो इस से उस परिवार को बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी।

अब मैं श्री गाडगिल की बात पर आता हूं। वह इस विधेयक का बहुत अधिक समर्थन कर रहे हैं। उन्हों ने कहा कि जिस के पास एक लाख की सम्पत्ति हो उसे गरीब नहीं कहा जा सकता। मैं पंजाब की बात कह रहा हूं जहां आम किसान के पास औसतन सात एकड़ जमीन, एक छोटा मकान, एक जोड़ी बैल, एक गाय और खेती करने के कुछ औज़ार होते हैं। उस की यह कुल सम्पत्ति एक लाख रुपये होती है। पंजाब में एक एकड़ ज़मीन का मूल्य दस या बारह हज़ार रुपया होता है। किन्तु ऐसे किसान के परिवार के प्रत्येक सदस्य को पूरे दिन भर अपने खेतों में या घर में काम करना पड़ता है। उस फसल से उसे जो अनाज प्राप्त होता है वह केवल इतना होता है कि उसे उसका परिवार वर्ष भर खा सकता है। इस में उसे अनाज दुकानदारों को देना पड़ता है और बाकी उसे सरकार को भू राजस्व के रूप में देना पड़ता है। इस प्रकार उस के पास बहुत थोड़ा रह जाता है। मैं श्री गाडगिल से पूछता हूं कि क्या ऐसा आदमी काफ़ी धनी होता है जिस से कि उस पर सम्पदा शुल्क लगाया जा सके। यदि आप ऐसे आदमी से पांच रुपये लेने की आशा करें तो उस के पास पांच रुपये नकद नहीं होंगे। तो अपनी मृत्यु के पश्चात् वह ६००, ५०० या २०० रुपये कैसे दे सकता है? आप इस बात को समझ सकते हैं कि यदि ऐसे परिवार को सम्पदा शुल्क देना पड़ेगा तो उसे कितनी कठिनाई उठानी पड़ेगी। मेरा कहना तो यह है कि आप विधेयक में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिस से ऐसे आदमियों को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उन की कठिनाइयां ही बढ़ जायेंगी। इसलिये कम से कम इस समय मैं श्री मोरे के संशोधन का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा था कि पशुओं पर सम्प शुल्क नहीं लगना चाहिये। श्री पांडे ने कहा कि सम्पत्ति सीमा हटा देनी चाहिये। किन्तु इस के हटा देने से यह बात उठेगी कि किसान के ट्रैक्टर तथा अन्य औज़ारों पर सम्पदा शुल्क लगाया जाय या न लगाया जाय। इसलिये किसी गड़बड़ी से बचने के लिये इस सीमा को बढ़ा देना चाहिये और इसे बढ़ा कर कम से कम ५,००० रुपये कर देना चाहिये और किसान के पशुओं तथा अन्य खेती के औज़ारों पर सम्पदा शुल्क नहीं लगना चाहिये। ऐसा करना पंजाब जैसे भागों के किसानों के लिये, जहां वे मालिक हैं, बहुत आवश्यक है।

**सभापति महोदय** : कार्य-सूची के अनुसार हमारी बैठक शाम के साढ़े सात बजे समाप्त हो जानी चाहिये। अभी बहुत से सदस्य बोलेंगे और मैं जानना चाहता हूं कि इस में कितना समय लगेगा, क्योंकि शायद यह आज समाप्त न हो सके।

**श्री आर० के० चौधरी** : "रिहायशी मकान" के सम्बन्ध में कुछ मिथ्या धारणा हो गई थी। मेरा अभिप्राय बहुत से रिहायशी मकानों से नहीं था। हमारी ओर एक ही रिहायशी मकान में कई छोटे छोटे मकान होते हैं जिन में विवाहित लड़के, विधवा, बहिन आदि सम्बन्धी अलग अलग रहते हैं। यह पूरा एक रिहायशी मकान होता है।

**श्री जी० एच० देशपांडे** (नासिक—मध्य) : इस संशोधन पर एक माननीय सदस्य कितनी बार बोल सकते हैं? इस पर मेरे पूर्व वक्ता चार बार बोले हैं। इस के लिये कोई अवधि निश्चित होनी चाहिये। क्योंकि हम इन बातों की चर्चा कर चुके हैं।

**सभापति महोदय** : यह अच्छा है कि यह बैठक ७-३० बजे समाप्त हो जाय काफ़ी देर से मैं देख रहा हूं कि माननीय मंत्री को छोड़ कर शायद ही कोई सदस्य

[सभापति महोदय]

वक्ताओं की बात सुन रहा हो। मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा कि हमारी बैठक ७-३० ही समाप्त हो जाये।

**श्री बिस्वास** : मैं समझता हूं कि आज प्रातः उपस्थित सदस्यों ने यह तय किया था कि सदन की बैठक रात को साढ़े आठ बजे तक होगी। यह ठीक नहीं है कि हम उस समय-अवधि का पालन करें जो पहिले घोषित नहीं की गई थी।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को ठीक सूचना नहीं मिली। जो कार्य-सूची जारी की गई थी उस में बैठक समाप्त होने का समय साढ़े सात बजे दिया हुआ है।

**श्री के० के० बसु** : वित्त मंत्री ने जो कहा था वह उस का पालन नहीं कर रहे हैं। हम कुछ देर और रुक कर आध घंटे तक चर्चा कर सकते हैं इस से वाद विवाद जल्दी समाप्त हो जायगा।

**सभापति महोदय** : पिछले ४५ मिनिटों में जैसी चर्चा हुई है उस के देखते हुए तो यही अच्छा है कि हम अपनी बैठक समाप्त कर दें और मैं समझता हूं कि सदन की बैठक साढ़े सात बजे समाप्त हो जानी चाहिये।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन संख्या ९८ के पहिले भाग को हटा दिया जाय। अब मैं वित्त मत्री के संशोधन संख्या ५३७ को लेता हूं। खण्ड ३२ में प्रवर समिति ने यह रखा है कि इस विधेयक में किन्हीं विशेष चीजों पर शुल्क लगाये जाने के मामले में छूट दी जानी चाहिये। कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिन में और अधिक सहायता देने की आवश्यकता हो इसलिये उपखण्ड (२) में ऐसा अधिकार रखने की व्यवस्था की गई है जिस के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार उपयुक्त मामलों में और अधिक सहायता दे सकेगी। वित्त मंत्री भी प्रवर समिति के सदस्य थे किन्तु उन्होंने किसी अधिकतम सीमा का, जिसे संशोधन द्वारा रखने का विचार था, उल्लेख नहीं किया। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन का संशोधन संख्या ५३७ अनियमानुकल है। प्रवर समिति ने एक नया खण्ड रखा है और ऐसी सम्पत्ति का विशेष उल्लेख किया है जिस पर सम्पदा शुल्क नहीं लगेगा। फिर यह समझ में नहीं आता कि यह अधिकतम सीमा रखने की आवश्यकता कैसे हुई। अतः मेरा सुझाव है कि श्री देशमुख का संशोधन छोड़ दिया जाय या संशोधन संख्या ५३७ के "किन्तु ५०,००० रुपये से अधिक न हो" शब्दों को हटा दिया जाय। और इस अधिकतम सीमा वाली बात को भी छोड़ दिया जाय और प्रवर समिति ने यह विधेयक जिस रूप में भेजा है उसे इस संशोधन के बिना ही स्वीकार कर लिया जाय।

किसानों को छट दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मोरे तथा अन्य सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि इस मामले में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिये। किन्तु किसी ने भी उपयुक्त सुझाव नहीं दिया और श्री मोरे का सुझाव भी बड़ा व्यापक है। छूट देने के मामले में वित्त मत्री को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ६० का अनुसरण करना चाहिये। श्री वैष्णव ने "पशु" शब्द का सुझाव दिया जिस में बैल, घोड़ा, ऊंट आदि भी आते हैं किन्तु यदि ऐसी छूट दी गई तो घुड़दौड़ के घोड़े रखने वाले धनी आदमियों को भी यह छूट मिल जायेगी। मैं चाहता हूं कि हम व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ६० की उप-धारा (ख) को रख लें।

मेरा सुझाव यह है कि इस २,५०० रुपये की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया जाय। श्री गाडगिल को, जैसा सरदार हुक्म सिंह

ने कहा था, गांवों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं है । वहां सम्पत्ति के मूल्य में बहुत अधिक अन्तर आ गया है। २०० या ३०० रुपये के मकानों को लोग २०,००० या ३०,००० रुपये तक खरीदने को तय्यार हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति से सम्पदा शुल्क लेंगे तो उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । इसीलिये यह सुझाव दिया गया है कि परिवार के लिये जो रिहायशी मकान हैं उस पर सम्पदा शुल्क न लगे ।

**सभापति महोदय** : अब सदन की बैठक स्थगित की जाती है ।

**इस के पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।**